अप्रैल 2016

मध्यप्रदेश पंचायिका

पंचायतों की मासिक पत्रिका

प्रबंध सम्पादक
बृजेश कुमार

समन्वय
मंगला प्रसाद मिश्रा

परामर्श
शिवानी वर्मा
डॉ. विनोद यादव

सम्पादक
रंजना चितले

सहयोग
अनिल गुप्ता

वेबसाइट
आत्माराम शर्मा

आकल्पन
अल्पना राठौर
आलोक गुप्ता
विनय शंकर राय

एक प्रति : बीस रुपये
वार्षिक : दो सौ रुपये

सम्पर्क
मध्यप्रदेश पंचायिका
मध्यप्रदेश माध्यम
40, प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल
भोपाल-462011
फोन : 2764742, 2551330
फैक्स : 0755-4228409
Email : panchayika@gmail.com

कृपया वार्षिक ग्राहक बनने के लिए अपने ड्राफ्ट/ मनीआर्डर मध्यप्रदेश माध्यम, भोपाल के नाम से भेजें।

मध्यप्रदेश पंचायिका में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं, इसके लिए सम्पादक की सहमति अनिवार्य नहीं है।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में ग्राम उदय से भारत उदय अभियान पर मंत्रीगण व अधिकारियों के साथ चर्चा की।

इस अंक में

अभियान : ग्राम उदय से भारत उदय की अभिनव पहल 3
विशेष : भारत रत्न बाबासाहेब की राष्ट्र निर्माण में भूमिका 9
विशेष लेख : ग्राम उदय तो राष्ट्र उदय 14
प्रयास : मुकुन्दपुर टाइगर सफारी विश्व की सर्वश्रेष्ठ सफारी बनेगी 20
अच्छी पहल : ज्ञानार्जन प्रोजेक्ट ने दिलाई मण्डला जिले को राष्ट्रीय पहचान 22
खास खबरें : बुन्देलखण्ड को तीन सौ बहत्तर करोड़ आठ लाख के विकास कार्यों की सौगात 23
हाट बाजार : मुख्यमंत्री ग्राम हाट योजना ने बदली ग्रामीण हाट बाजारों की तस्वीर 26
योजना : कोदरिया पंचायत ने तेईस लाख रुपये की राशि एकत्र कर बनाया कीर्तिमान 28
पंचायत : आपकी पंचायत आपके द्वार 30
सफल गाथा : पानी लाकर खेतों को किया हरा 31
कानून चर्चा : पंचायत राज विधान एक नजर में 33
पंचायत गजट : पंचायतों में चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त राशि का उपयोग 40

आयुक्त की कलम से...

प्रिय पाठको,

भारत गाँवों में बसता है। देश की एक-तिहाई से अधिक आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत है। सामुदायिक विकास में पंचायतों की अहम भूमिका है। अतः ग्राम पंचायतों को स्व शासन की प्रमुख इकाई के रूप में स्थापित किया गया है। ग्राम पंचायतों को सशक्त करने के लिए सरकार द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। ग्राम सशक्त होंगे तभी राष्ट्र सशक्त होगा। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गाँवों के सम्पूर्ण विकास के लिए ग्राम उदय से भारत उदय अभियान चलाने की घोषणा की है। इस अभियान की शुरुआत 14 अप्रैल को इन्दौर जिले के विकासखण्ड महू से होगी। इस अभियान का समापन 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस पर होगा। ग्राम उदय से भारत उदय अभियान की जानकारी को हमने 'अभियान' स्तंभ के अंतर्गत प्रकाशित किया है।

14 अप्रैल को भारत रत्न बाबासाहेब डॉ. बी.आर. अम्बेडकर की 125वीं जयंती है। राष्ट्र निर्माण में बाबासाहेब अम्बेडकर की महती भूमिका है। उनका जन्म मध्यप्रदेश के इंदौर जिले के महू में हुआ था। बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जयंती पर भारत सरकार ग्राम उदय से भारत उदय अभियान शुरू कर रही है। अभियान की शुरुआत महू से ही होगी। बाबासाहेब अम्बेडकर जी का सम्पूर्ण जीवन सामाजिक समरसता को समर्पित था जिसकी संक्षिप्त जानकारी को विशेष स्तंभ में प्रकाशित किया गया है। मध्यप्रदेश में ग्रामीण विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हुए हैं। इसी वजह से ग्राम उदय से भारत उदय अभियान की शुरुआत के लिए मध्यप्रदेश को चुना गया। इस अभियान से संबंधित लेख को 'विशेष लेख' स्तंभ में प्रकाशित किया गया है। मध्यप्रदेश के सतना जिले के मुकुन्दपुर में विश्व के पहले व्हाइट टाइगर सफारी का लोकार्पण मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। इस सफारी के प्रारंभ होने से विन्ध्य क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इस खबर को 'प्रयास' स्तंभ में शामिल किया गया है। विगत दिनों सागर जिले के गढ़ाकोटा में आयोजित रहस मेले के समापन अवसर पर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बुंदेलखण्ड क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए 372 करोड़ 8 लाख रुपये की सौगात दी। इस खबर को हमने 'खास खबरें' स्तंभ के अंतर्गत प्रकाशित किया है।

मध्यप्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में लगने वाले हाट बाजार के उन्नयन के लिए मुख्यमंत्री हाट बाजार योजना चलाई गई है। इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के साधन बढ़ने से ग्रामीणों को भरपूर रोजगार मिलने लगा है। इस योजना की जानकारी को 'हाट बाजार' स्तंभ में प्रकाशित किया गया है। झाबुआ जिले में संचालित महिला स्व-सहायता समूह से जुड़कर न सिर्फ महिलाएँ आत्मनिर्भर हुई हैं वरन् अब खेती को भी विकसित करने में जुट गई हैं ऐसे ही एक प्रयास को 'सफल गाथा' स्तंभ में प्रकाशित किया गया है।

गांवों के विकास के बिना देश के विकास की बात करना या योजना बनाना बेमानी है। इसीलिए प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों के सम्पूर्ण विकास के लिए मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम बनाकर त्रिस्तरीय पंचायतों द्वारा अधिनियम के अनुसार पंचायतों की विकास योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस जानकारी को 'कानून चर्चा' स्तंभ के अंतर्गत प्रकाशित किया गया है। और अंत में 'पंचायत गजट' स्तंभ में हमने त्रिस्तरीय पंचायतों को विकास कार्यों के लिए 14वें वित्त आयोग द्वारा प्राप्त राशि के उपयोग के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं जिसकी जानकारी प्रकाशित की है।

इस अंक में बस इतना ही। हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा।

(बृजेश कुमार)
आयुक्त पंचायत राज

ग्राम उदय से भारत उदय की अभिनव पहल

मध्यप्रदेश में 'ग्रामोदय से भारत उदय' अभियान 14 अप्रैल से 31 मई तक चलेगा। इस महत्वाकांक्षी अभियान का शुभारंभ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी महू से करेंगे। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने इस अभियान को मूर्तरूप देने की कार्य-योजना बनाने के लिये अधिकारियों को निर्देश दिये हैं।

मुख्यमंत्री ने एक बैठक में अभियान की रूप-रेखा बतायी और उस पर अमल सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। श्री चौहान ने कहा कि अभियान का उद्देश्य गाँव और गाँववासियों की तरक्की की योजना की मैदानी हकीकत जानना और उनमें जरूरी सुधार कर हरेक पात्र हितग्राही को योजना से लाभान्वित करवाना एवं ग्रामीणों को योजनाओं की जानकारी देना है। इससे सुशासन के लिये प्रशासन को और पारदर्शी बनाया जा सकेगा।

श्री चौहान ने बताया कि संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर की जन्म-स्थली महू में उनकी 125वीं जयन्ती पर 14 अप्रैल को कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी शामिल होंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा 'ग्राम उदय से भारत उदय अभियान' का शुभारंभ किया जायेगा। साथ ही उनके द्वारा ई-कृषि मंडी का भी शुभारंभ किया जायेगा।

मुख्यमंत्री तीन दिन भ्रमण करेंगे

इस अभियान में सांसद, विधायक, पंचायत पदाधिकारी एवं अन्य जन-प्रतिनिधि तथा सभी अधिकारी जोड़े जायेंगे। इसके अंतर्गत ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला एवं प्रदेश स्तर पर कार्यक्रम किये जायेंगे। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिये कि योजनाओं के लाभ से कोई भी पात्र हितग्राही नहीं छूटे। साथ ही अभियान की सघन मॉनीटरिंग की जाये। अभियान के दौरान मुख्यमंत्री स्वयं सप्ताह में तीन दिन भ्रमण करेंगे। साथ ही ग्राम से प्रदेश स्तर तक के अधिकारी भी गाँवों में पहुँचेंगे।

अलग-अलग कार्यक्रम होंगे

अभियान के दौरान अलग-अलग दिनों में अलग-अलग योजनाओं और कार्यक्रमों पर चर्चा होगी। इनमें अनुसूचित जाति, जनजाति के कल्याण और सामाजिक समरसता के कार्यक्रम, कृषि एवं किसानों की आय दो-गुना करने की जानकारी किसानों को देने, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, महिला सशक्तीकरण, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी एवं युवा स्व-रोजगार योजना, मुद्रा बैंक के हितग्राही, पंचायत प्रतिनिधियों का सम्मेलन, फसल बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री जन-धन योजना और अन्य बीमा योजनाओं पर चर्चा, स्वच्छता, पेयजल, दिव्यांग कल्याण, सुशासन, महिला स्वास्थ्य परीक्षण, महिला स्व-सहायता समूह एवं नशामुक्ति पर आधारित कार्यक्रम होंगे।

ग्रामीणों की होगी संसद

अभियान के एक दिन ग्रामीणों की संसद की जायेगी, जिसमें ग्रामीणजन गाँव के विकास पर संसद की तर्ज पर खुली बहस कर सकेंगे।

इसके अलावा ग्राम पंचायतों के अगले पाँच वर्ष के विकास कार्यों का रोड मैप तैयार किया जायेगा।

ग्रामीणों को पानी बचाने के प्रति जागरूक किया जायेगा। मनरेगा में नये तालाब बनाने और पुराने तालाबों के जीर्णोद्धार की कार्य-योजना बनायी जायेगी। एक दिन ग्रामीणों की खेलकूद प्रतियोगिताएँ भी की जायेंगी।

बैठक में मुख्य सचिव श्री ॲन्टोनी डिसा, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री पी.सी. मीणा, अपर मुख्य सचिव जल संसाधन श्री राधेश्याम जुलानिया, प्रमुख सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, प्रमुख सचिव श्री एस.के. मिश्रा, श्रीमती अलका उपाध्याय, श्री जे.एस. कन्सोटिया, श्री अशोक शाह, डॉ. राजेश राजौरा और आयुक्त खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति डॉ. मनोहर अगनानी आदि अधिकारी उपस्थित थे।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ग्राम स्वराज के आधार पर ग्रामीणों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास तथा लोकतांत्रिक मूल्यों से देश के विकास की नींव की परिकल्पना की है। ग्रामों के कायाकल्प को देश के कायाकल्प के प्रमुख आधार के रूप में विकसित करने की परिकल्पना को साकार करने के लिए पूरे देश में भारत सरकार ने दिनांक 14 अप्रैल, 2016 से दिनांक 24 अप्रैल, 2016 तक "ग्राम उदय से भारत उदय" अभियान संचालित करने का निर्णय लिया है। इस अभियान के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक सौहार्द्र/समरसता को बढ़ावा देना, पंचायतराज प्रणाली को मजबूत बनाने, ग्राम विकास को बढ़ावा देने एवं किसानों का कल्याण, पोषण करने एवं ग्राम पंचायत विकास योजना में लोगों की सहभागिता प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा।

ग्राम उदय से भारत उदय अभियान अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम

मध्यप्रदेश सरकार के द्वारा भारत सरकार के ग्राम उदय से भारत उदय अभियान को और अधिक विस्तारित करते हुये दिनांक 14 अप्रैल, 2016 से दिनांक 31 मई 2016 तक संचालित करने का निर्णय लिया है। इस अभियान में सुशासन, अंत्योदय सेवाओं का समयबद्ध प्रदाय सुनिश्चित करते हुये प्रत्येक ग्राम के समग्र विकास की कार्ययोजना तैयार की जाएगी।

इस अवधारणा के अनुरूप पूरे प्रदेश में तीन चरणों में 5 दिवस की ग्राम सभा/ग्राम संसद का आयोजन किया जायेगा। दिनांक 14 अप्रैल 2016 को डॉ. अम्बेडकर जयंती पर प्रत्येक ग्राम में ग्राम सभाओं का आयोजन किया जायेगा। प्रदेश की 22804 ग्राम पंचायतों में 3 दिन की सघन ग्राम सभा जिसे ग्राम संसद का नाम दिया गया है, आयोजित की जायेंगी। इस अभियान के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये आगामी 45 दिनों में हितग्राहीमूलक योजनाओं के सर्वव्यापीकरण, ग्राम विकास तथा कृषि योजनाएं तैयार की जायेंगी। ग्रामीणजन इस कार्यक्रम में अभियान अवधि में प्रचलित शासकीय कार्यक्रमों एवं योजनाओं की प्रभाविकता पर चर्चा करेंगे एवं सुझाव देंगे। ग्राम विशेष की आवश्यकताओं तथा संसाधनों का आंकलन कर ग्राम पंचायत के विकास का रोड मेप (ग्राम पंचायत विकास योजना, GPDP) का निर्माण किया जाएगा। विकास के इसी रोड मेप के आधार पर आगामी वर्षों में ग्राम पंचायतों में विकास गतिविधियाँ संचालित की जाएंगी।

ग्राम उदय से भारत उदय अभियान अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर से ग्राम स्तर तक निम्नानुसार विविध कार्यक्रम आयोजत किये जाएंगे :-

राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम

दिनांक 14 अप्रैल 2016 को डॉ. भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती के अवसर पर इंदौर जिले में महू में राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों से प्रदेश में "ग्राम उदय से भारत उदय" अभियान का शुभारम्भ होगा।

दिनांक 19 अप्रैल 2016 को विजयवाड़ा (आंध्रप्रदेश) में अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिला सरपंचों का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन में मध्यप्रदेश के अनुसूचित क्षेत्र की अनुसूचित जनजाति वर्ग की 100 महिला सरपंचों को एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के 10 अधिकारियों को सम्मेलन में भाग लेने हेतु भेजा जावेगा।

24 अप्रैल 2016 को जमशेदपुर (झारखंड) में राष्ट्रीय पंचायत दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ग्रामसभा सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन को माननीय प्रधानमंत्री जी संबोधित करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के संबोधन का विविध माध्यमों से सीधा प्रसारण किया जावेगा। प्रत्येक ग्राम और ग्राम पंचायत स्तर तक सीधे प्रसारण को देखने या सुनने की समुचित व्यवस्था जिले के द्वारा की जायेगी।

राज्य स्तर के कार्यक्रम

दिनांक 1 मई, 2016 से दिनांक 15 मई, 2016 के मध्य ग्रामीण युवा उद्यमी सम्मेलन आयोजित किया जाएगा।

दिनांक 16 मई, 2016 से दिनांक 31 मई, 2016 के मध्य राज्य स्तरीय स्व-सहायता समूह सम्मेलन आयोजित किया जाएगा।

जिला स्तर के कार्यक्रम

जिला स्तर पर दिनांक 14 अप्रैल 2016 को डॉ. भीमराव अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में जिले के प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में पुष्पांजलि एवं संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया जावेगा। कार्यक्रम में जिले के माननीय सांसद तथा विधायकगणों, जिला पंचायत अध्यक्ष/उपाध्यक्ष तथा सदस्यगणों

सहित अन्य जन प्रतिनिधियों और गणमान्य नागरिकों को आमंत्रित किया जावेगा। इसके साथ ही "ग्राम उदय से भारत उदय" अभियान का समारोह पूर्वक शुभारंभ किया जायेगा।

2. जिला एवं जनपद स्तर पर महिला स्वास्थ्य परीक्षण शिविर तथा निःशक्तजनों के प्रमाण पत्र, कृत्रिम अंगों का वितरण किया जावेगा।

3. राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण हेतु जिला/तहसील स्तर पर निरन्तर केम्प आयोजित किये जावेंगे।

4. अभियान को गति देने तथा परिणाममूलक बनाने के लिये जिला कलेक्टर अपने जिले में अन्य नवचारी प्रयास भी कर सकते हैं।

ग्राम पंचायत स्तर के कार्यक्रम

प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायतों में दिनांक 14 अप्रैल 2016 से दिनांक 31 मई 2016 के मध्य 3 चरणों में 5 दिवस की अवधि में निर्धारित कार्यक्रम अनुसार ग्राम सभाओं एवं ग्राम संसद का आयोजन किया जावेगा। ग्राम पंचायतें आवश्यकतानुसार और ग्राम सभाएं भी आयोजित कर सकती हैं।

सामाजिक सौहार्द्र एवं समरसता कार्यक्रम

दिनांक 14 अप्रैल 2016 को डॉ. अम्बेडकर जयंती के अवसर पर प्रत्येक ग्राम में ग्राम सभाएं आयोजित की जावेंगी, इसमें सामाजिक सौहार्द्र एवं समरसता कार्यकम आयोजित किये जायेंगे। प्रत्येक ग्राम सभा में आयोजित होने वाले कार्यक्रम का विवरण निम्नानुसार है :-

डॉ. भीमराव अम्बेडकर की 125वीं जयंती के अवसर पर सभी लोगों के द्वारा पुष्पांजलि दी जायेगी।

कार्यक्रम में विशेष रूप से अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों की उपस्थिति में डॉ. अम्बेडकर के छायाचित्र (फोटोग्राफ) को पुष्पमाला अर्पित की जायेगी।

ग्रामीणों द्वारा अपने ग्राम में सामाजिक समरसता को बढ़ावा दिये जाने का संकल्प लिया जायेगा।

डॉ. भीमराव अम्बेडकर के जीवन एवं राष्ट्रीय एकता पर उनके विचारों पर चर्चा की जायेगी एवं उनके जीवन से संबंधित साहित्य का वितरण ग्राम सभा में किया जायेगा।

शासन द्वारा सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी जायेगी एवं प्रदर्शनियां लगायी जायेंगी। कार्यक्रम में दिनांक 14 अप्रैल 2016 से दिनांक 31 मई 2016 तक आयोजित होने वाले "ग्राम उदय से भारत उदय" अभियान की रूपरेखा प्रस्तुत की जावेगी।

राष्ट्रीय पंचायत दिवस पर पंचायत प्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय पंचायत दिवस के अवसर पर 24 अप्रैल को झारखंड के जमशेदपुर में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। 14 से 24 अप्रैल तक चलने वाले "ग्राम उदय से भारत उदय" राष्ट्रीय अभियान के अनुक्रम में आयोजित इस कार्यक्रम में देश के विभिन्न राज्यों के पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित पदाधिकारी शामिल होंगे। इसमें मध्यप्रदेश के 170 पंचायत प्रतिनिधि भाग लेंगे जिसमें 26 जिला पंचायत अध्यक्ष, 52 जनपद पंचायत अध्यक्ष, 78 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति श्रेणी के सरपंच शामिल होंगे। इस आयोजन में मुख्य रूप से वर्ष 2015-16 के 15 पंचायत सशक्तिकरण अभियान के पुरस्कृत प्रतिनिधि तथा 2 गौरव ग्रामसभा के पुरस्कृत प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस तरह देशभर के पंचायत प्रतिनिधियों को एक साथ देश के प्रधानमंत्री का सीधा मार्गदर्शन प्राप्त होगा ताकि पंचायतों के माध्यम से ग्राम उदय अभियान में सक्रिय भागीदारी से भारत उदय को सार्थक किया जा सके।

जनजाति विकास और पंचायतें- ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के सशक्तिकरण और उत्थान के लिए पंचायतों में महिला नेतृत्व को बढ़ावा दिया जा रहा है। अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में महिला सरपंचों को वित्तीय और प्रशासनिक रूप से अधिकारसम्पन्न करने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे ग्राम उदय से भारत उदय अभियान के अंतर्गत आंध्रप्रदेश के विजयवाड़ा जिले में 19 अप्रैल 2016 को पाँचवीं अनुसूची में दर्ज अनुसूचित क्षेत्र की अनुसूचित जनजाति की महिला सरपंचों का एक दिवसीय सम्मेलन आयोजित होगा। इस सम्मेलन में मध्यप्रदेश से 100 महिला सरपंच (अनुसूचित जनजाति) हिस्सा लेंगी। इस सम्मेलन में महिलाओं से संबंधित मुद्दे, पेसा क्षेत्र की समस्या और उनका विकास, ग्राम पंचायत डेव्लपमेंट प्लान, महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे आदि पर चर्चा होगी। इस सम्मेलन में 10 राज्यों की अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिला सरपंच हिस्सा लेंगी।

ग्राम उदय से भारत उदय अभियान में ग्राम सभाओं का आयोजन

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 के तहत ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा का त्रैमासिक सम्मेलन आयोजित करना अनिवार्य है। इस वर्ष 14 अप्रैल से लेकर 24 अप्रैल तक ग्राम उदय से भारत उदय अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान ग्राम पंचायतों में ग्राम सभाओं का चरणबद्ध आयोजन किया जायेगा तथा ग्राम उदय से भारत उदय अभियान ग्राम सभाओं में निर्धारित चरणों में आयोजित होगा। इस संबंध में मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी आदेश को मध्यप्रदेश पंचायिका में यथावत प्रकाशित किया गया है।

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक एफ 16-1/2016/22/पं.-2 **भोपाल, दिनांक 02.04.2016**

प्रति,

1. संभागायुक्त, संभाग - समस्त (मध्यप्रदेश)
2. कलेक्टर, जिला - समस्त (मध्यप्रदेश)
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत - समस्त (मध्यप्रदेश)
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत - समस्त (मध्यप्रदेश)

विषय - 'ग्राम उदय से भारत उदय' अभियान की तैयारियों के संबंध में।

संदर्भ - म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का पत्र क्र. एफ 16-1/2016/22/पं.-2 भोपाल दिनांक 24.03.16 एवं क्र./पं.रा./पंचा./2016/3979 भोपाल दिनांक 31.03.16

पूरे देश में भारत सरकार ने दिनांक 14 अप्रैल 2016 से दिनांक 24 अप्रैल 2016 तक 'ग्राम उदय से भारत उदय' अभियान संचालित करने का निर्णय लिया है। अभियान का प्रमुख उद्देश्य ग्रामों के कायाकल्प के माध्यम से देश का कायाकल्प किया जाना है। इस अभियान के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक सौहार्द्र/समरसता को बढ़ावा देना, पंचायत राज प्रणाली को मजबूत बनाने, ग्राम विकास को बढ़ावा देने एवं किसानों का कल्याण पोषण करने एवं ग्राम पंचायत विकास योजना में लोगों की सहभागिता प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा।

मध्यप्रदेश सरकार के द्वारा भारत सरकार के इस अभियान को और अधिक व्यापक करते हुए दिनांक 14 अप्रैल 2016 से दिनांक 31 मई 2016 तक 'ग्राम उदय से भारत उदय' अभियान चलाये जाने का निर्णय लिया है। इस अभियान में सुशासन, अंत्योदय, सेवाओं को समयबद्ध प्रदाय सुनिश्चित करते हुए प्रत्येक ग्राम के समग्र विकास की कार्ययोजना तैयार की जाएगी।

अभियान के दौरान पूरे प्रदेश में तीन चरणों में 5 दिवस की ग्रामसभा/ग्राम संसद का आयोजन किया जायेगा।

प्रदेश के सभी 22804 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर तीन दिवसीय सघन ग्राम सभाएं आयोजित की जाएंगी, जिसे ग्राम संसद का नाम दिया गया है। अभियान अवधि में ग्रामसभा के समक्ष चर्चा की जाकर पात्रतानुसार एक बार में ही समुदाय के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु प्रयास किया जावेगा। ग्रामसभाओं में आमजन की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिये इस प्रकार का वातावरण निर्मित किया जाएगा कि प्रत्येक ग्रामीण स्वेच्छा से ग्राम सभाओं के समक्ष अपनी बात रखने के लिये स्वतः उपस्थित हो सके।

इस अभियान के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये आगामी 45 दिनों में हितग्राही मूलक योजनाओं के सर्वव्यापीकरण, ग्राम विकास तथा कृषि योजनाएं तैयार की जायेंगी। ग्रामीणजन अभियान अवधि में प्रचलित शासकीय कार्यक्रमों एवं योजनाओं की प्रभाविकता पर चर्चा करेंगे एवं सुझाव देंगे। ग्राम, विशेष की आवश्यकताओं तथा संसाधन का आंकलन कर प्रत्येक ग्राम पंचायत के विकास का रोड मेप (ग्राम पंचायत विकास योजना, GPDP) तैयार की जाएगी।

कृषि से आय को दोगुना करने तथा किसान भाइयों के कल्याण पर केन्द्रित बिन्दुओं पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। अपेक्षा यह है कि 'प्रत्येक किसान-प्रत्येक खेत' चर्चा में सहभागिता से ग्राम एवं पंचायत की कृषि विकास योजना तैयार हो सके, जिससे 'अधिकतम कृषकों को - अधिकतम लाभ' सुनिश्चित हो सके।

विकास में महिलाओं की सहभागिता आवश्यक है। महिला सशक्तीकरण हेतु प्रदेश सरकार कटिबद्ध है। स्व-सहायता समूहों के माध्यम से

महिला सभाओं का आयोजन किया जायेगा, जिससे विकास की धारा में महिलाओं की सहभागिता सुनिश्चित हो सकेगी।

अभियान की सफलता जन सहभागिता पर निर्भर है इसलिये अभियान में क्रियान्वयन के प्रत्येक स्तर पर जनप्रतिनिधियों तथा आमजन की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। प्रत्यक्ष सहभागिता के लिये ग्राम सभाओं का सफल आयोजन जिले के द्वारा निर्धारित कार्यक्रम (Calendar of events) अनुसार किया जाएगा।

ग्राम/ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के माध्यम से प्राप्त होने वाले आवेदन/शिकायत/मांगों के निराकरण हेतु सभी विभाग इन 45 दिनों में ग्राम/जनपद/जिला स्तर पर सतत् कार्यवाही करेंगे। अभियान के परिणामों का आकलन तथ्यात्मक एवं प्रभाविकता दोनों रूप से किया जाएगा।

राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम :-

1. दिनांक 14 अप्रैल 2016 को डॉ. भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती के अवसर पर इंदौर जिले में महू में राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों से प्रदेश में "ग्राम उदय से भारत उदय" अभियान का शुभारम्भ होगा।

दिनांक 14 अप्रैल 2016 को डॉ. अम्बेडकर जयंती के अवसर पर प्रत्येक ग्राम में ग्राम सभाएं आयोजित की जावेंगी।

- डॉ. भीम राव अम्बेडकर की 125वीं जयंती के अवसर पर सभी लोगों के द्वारा पुष्पांजलि दी जायेगी।
- कार्यक्रम में विशेष रूप से अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों की उपस्थिति में डॉ. अम्बेडकर के छायाचित्र (फोटोग्राफ) को पुष्पमाला अर्पित की जायेगी।
- ग्रामीणों द्वारा अपने ग्राम में सामाजिक समरसता को बढ़ावा दिये जाने का संकल्प लिया जायेगा।
- डॉ. भीमराव अम्बेडकर के जीवन एवं राष्ट्रीय एकता पर उनके विचारों पर चर्चा की जायेगी एवं उनके जीवन से संबंधित साहित्य का वितरण ग्राम सभा में किया जायेगा।
- शासन द्वारा सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के लिये चलायी जा रही योजनाओं की जानकारी दी जायेगी एवं प्रदर्शनियां लगायी जायें।

2. दिनांक 19 अप्रैल 2016 को विजयवाड़ा (आंध्रप्रदेश) में अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिला सरपंचों का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन में मध्यप्रदेश के अनुसूचित क्षेत्र की अनुसूचित जनजाति वर्ग की 100 महिला सरपंचों को एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के 10 अधिकारियों को सम्मेलन में भाग लेने हेतु भेजा जावेगा।

3. 24 अप्रैल 2016 को जमशेदपुर (झारखंड) में राष्ट्रीय पंचायत दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ग्रामसभा सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन को माननीय प्रधानमंत्री जी संबोधित करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के संबोधन का विविध माध्यमों से सीधा प्रसारण किया जावेगा। प्रत्येक ग्राम और ग्राम पंचायत स्तर तक सीधे प्रसारण को देखने या सुनने की समुचित व्यवस्था जिले के द्वारा की जायेगी।

मध्यप्रदेश में ग्राम उदय से भारत उदय अभियान दिनांक 14 अप्रैल 2016 से दिनांक 31 मई 2016 तक आयोजित किया जाएगा। दिनांक 14 अप्रैल 2016 को डॉ. अम्बेडकर जयंती पर प्रत्येक ग्राम में ग्राम सभाओं का आयोजन किया जायेगा।

अभियान के दौरान आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की समय सारिणी निम्नानुसार रहेगी। जिले तदानुसार कार्यक्रमों का आयोजन कर विभिन्न गतिविधियों का संचालन करेंगे।

ग्राम उदय से भारत उदय अभियान (14 अप्रैल से 31 मई 2016) की समय सारणी

दिनांक	कार्यक्रम का विवरण	किस स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा
14 अप्रैल, 2016	डॉ. अम्बेडकर जयंती	1. माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में महू में राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम 2. जिला स्तर पर पुष्पांजलि एवं संगोष्ठी 3. प्रत्येक ग्राम में ग्राम सभाओं का आयोजन
15 अप्रैल से 21 मई, 2016	सघन ग्राम संसदों का आयोजन प्रथम दिवस - "ग्राम पंचायत विकास योजना" पर चर्चा द्वितीय दिवस - हितग्राही मूलक योजनाओं के संबंध में कार्यवाही तृतीय दिवस - ग्राम कृषि सभा का आयोजन	ग्राम पंचायत स्तर पर
20 अप्रैल से 22 मई, 2016	ग्राम सभाओं में प्राप्त हितग्राही मूलक आवेदनों पर कार्यवाही पूर्ण करना एवं राजस्व मामलों का निराकरण	ग्राम पंचायत/जनपद/जिला स्तर समस्याओं के निराकरण संबंधी कार्य का निष्पादन

23 मई से 31 मई, 2016	ग्राम सभा में की गई कार्यवाही का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करना	ग्राम पंचायत स्तर
01 मई से 31 मई, 2016 के मध्य	1. महिला स्वास्थ्य शिविर का आयोजन 2. निःशक्तजन परीक्षण एवं वितरण शिविर का आयोजन	जिला स्तर/विकासखण्ड स्तर
01 मई से 31 मई, 2016 के मध्य	1. महिला स्वसहायता सम्मेलन का आयोजन 2. युवा उद्यमी सम्मेलन का आयोजन	राज्य स्तर
01 से 15 जून, 2016 तक	अभियान के दौरान की गई कार्यवाही का जिला स्तर पर संकलन करना। जिला कलेक्टर द्वारा संकलित जानकारी जिला योजना समिति तथा राज्य शासन को प्रस्तुत करना।	जिला स्तर
15 जून से 30 जून, 2016 तक	कलेक्टर एवं सी.ई.ओ. जिला पंचायत द्वारा प्रस्तुतीकरण एवं आगामी वर्ष की कार्य योजना का निर्धारण करना।	राज्य स्तर

राज्य स्तर के अन्य कार्यक्रम :-

1. दिनांक 1 मई, 2016 से दिनांक 15 मई, 2016 के मध्य ग्रामीण युवा उद्यमी सम्मेलन आयोजित किया जाएगा।
2. दिनांक 16 मई, 2016 से दिनांक 31 मई, 2016 के मध्य राज्य स्तरीय स्व-सहायता समूह सम्मेलन आयोजित किया जाएगा।

जिला स्तर के कार्यक्रम :-

1. जिला स्तर पर दिनांक 14 अप्रैल 2016 को डॉ. भीमराव अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में जिले के प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में पुष्पांजलि एवं संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया जावेगा। कार्यक्रम में जिले के माननीय सांसद तथा विधायकगणों, जिला पंचायत अध्यक्ष/उपाध्यक्ष तथा सदस्यगणों सहित अन्य जन प्रतिनिधियों और गणमान्य नागरिकों को आमंत्रित किया जावेगा। इसके साथ ही "ग्राम उदय से भारत उदय" अभियान का समारोह पूर्वक शुभारंभ किया जायेगा।
2. जिला एवं जनपद स्तर पर महिला स्वास्थ्य परीक्षण शिविर तथा निःशक्तजनों के प्रमाण पत्र, कृत्रिम अंगों का वितरण किया जावेगा।
3. राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण हेतु जिला/तहसील स्तर पर निरन्तर केम्प आयोजित किये जावेंगे।
4. अभियान को गति देने तथा परिणाममूलक बनाने के लिये जिला कलेक्टर अपने जिले में अन्य नवाचारी प्रयास भी कर सकते हैं।

ग्राम पंचायत स्तर के कार्यक्रम :-

प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायतों में दिनांक 14 अप्रैल 2016 से दिनांक 31 मई 2016 के मध्य 3 चरणों में 5 दिवस की अवधि में निर्धारित कार्यक्रम अनुसार ग्राम सभाओं एवं ग्राम संसद का आयोजन किया जावेगा। ग्राम पंचायतें आवश्यकतानुसार और ग्राम सभाएं भी आयोजित कर सकती हैं।

विस्तृत दिशा-निर्देश एवं गतिविधियों तथा विभागवार कार्ययोजनाओं से संबंधित जानकारी पृथक से भेजी गयी है।

(अलका उपाध्याय)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

भारत रत्न बाबासाहेब डॉ. बी.आर. अम्बेडकर के 125 वीं जयंती वर्ष के शुभ अवसर पर शासन का अभियान

भारत रत्न बाबासाहेब की राष्ट्र निर्माण में भूमिका

डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर का मूल नाम भीमराव था। उनके पिता श्री रामजी वल्द मालोजी सकपाल महू में ही मेजर सूबेदार के पद पर एक सैनिक अधिकारी थे। अपनी सेवा के अंतिम वर्ष वह और उनकी धर्मपत्नी भीमाबाई वर्तमान में काली पलटन स्थित जन्मस्थली स्मारक की जगह पर विद्यमान एक बैरेक के घर में निवास करते थे। सन् 1891 में 14 अप्रैल के दिन जब रामजी सूबेदार अपनी डयुटी पर थे, 12 बजे यहीं भीमराव का जन्म हुआ। कबीर पंथी पिता और धर्मपरायण माता की गोद में बालक का आरंभिक काल अनुशासित रहा।

शिक्षा - बालक भीमराव का प्राथमिक शिक्षण दापोली और सतारा में हुआ। मुंबई के एलफिन्स्टन स्कूल से वह 1907 में मैट्रिक की परीक्षा पास हुए। इस अवसर पर एक अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया और उसमें भेंट स्वरूप उनके शिक्षक श्री कृष्णाजी अर्जुन केलुस्कर ने स्वलिखित पुस्तक "बुद्ध चरित्र" उन्हें प्रदान की। बड़ौदा नरेश सयाजी राव गायकवाड़ की फैलोशिप पाकर भीमराव ने 1912 में मुम्बई विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा पास की। बी.ए. के बाद एम.ए. के अध्ययन हेतु बड़ौदा नरेश सायाजी गायकवाड़ की पुनः फैलोशिप पाकर वह अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में दाखिल हुए। सन् 1915 में उन्होंने स्नातकोत्तर उपाधि की परीक्षा पास की। इसके लिए उन्होंने अपना शोध "प्राचीन भारत का वाणिज्य" लिखा। उसके बाद 1916 में कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका से ही उन्होंने पीएच.डी. की उपाधि प्राप्त की। उनके पीएच.डी. शोध का विषय था, "ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकेन्द्रीकरण"। फैलोशिप समाप्त होने पर उन्हें भारत लौटना था अतः वे ब्रिटेन होते हुए लौट रहे थे। उन्होंने वहां लंदन स्कूल ऑफ इकोनामिक्स एण्ड पोलिटिकल साइंस में एम.एससी. और डी.एससी. तथा ग्रेजन नामक विधि संस्थान में बार-एट-लॉ की उपाधि हेतु स्वयं को पंजीकृत किया और भारत लौटे। सबसे पहले छात्रवृत्ति की शर्त के अनुसार बड़ौदा नरेश के दरबार में सैनिक अधिकारी तथा वित्तीय सलाहकार का दायित्व स्वीकार किया। कुछ हफ्तों के बाद ही मुंबई वापस आये। वहां परेल में डबक चाल और श्रमिक कॉलोनी में रहकर अपनी अधूरी पढ़ाई को पूरी करने हेतु पार्ट टाईम अध्यापकी और वकीली कर अपनी धर्मपत्नी रमाबाई के साथ जीवन निर्वाह किया। सन् 1919 में डॉ. अम्बेडकर ने राजनीतिक सुधार हेतु गठित साउथबरो आयोग के समक्ष राजनीति में

दलित प्रतिनिधित्व के पक्ष में साक्ष्य, मूक और अशिक्षित तथा निर्धन लोगों को जागरूक बनाने के लिये मूकनायक और बहिष्कृत भारत साप्ताहिक पत्रिकायें संपादित किये और अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी करने के लिये वह लंदन और जर्मनी जाकर वहां से एम.एससी., डी.एससी., और बैरिस्टर की उपाधियाँ प्राप्त कीं। उनके एम.एससी. का शोध विषय "साम्राज्यीय वित्त के प्रांतीय विकेन्द्रीकरण का विश्लेषणात्मक अध्ययन" तथा उनके डी.एससी. उपाधि का विषय "रुपये की समस्या - उसका उद्‌भव और उपाय" था। बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर को कोलंबिया विश्वविद्यालय ने एल.एल.डी. और उस्मानिया विश्वविद्यालय ने डी.लिट्. की मानद उपाधियों से सम्मानित किया था। इस प्रकार डॉ. अम्बेडकर वैश्विक युवाओं के लिये प्रेरणा बन गये क्योंकि उनके नाम के साथ बीए, एमए, एमएससी, पीएचडी, बैरिस्टर, डीएससी, डी.लिट्. आदि कुल 26 उपाधियां जुड़ी हैं।

योगदान - भारत रत्न डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने अपने जीवन के 65 वर्षों में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, औद्योगिक, संवैधानिक इत्यादि विभिन्न क्षेत्रों में अनगिनत कार्य करके राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया, उनमें से प्रमुख हैं :-

सामाजिक उत्थान संबंधित योगदानः

- मानवाधिकार जैसे दलितों एवं दलित आदिवासियों के मंदिर प्रवेश, पानी पीने, छुआछूत, जातिपाति, ऊंच-नीच जैसी सामाजिक कुरीतियों को मिटाने के लिए मनुस्मृति दहन (1927), महाड सत्याग्रह (वर्ष 1928), नाशिक (वर्ष 1930), येवला (वर्ष 1935) में आंदोलन चलाये।
- बेजुबान, शोषित और अशिक्षित लोगों को जगाने के लिए वर्ष 1927 से 1956 के दौरान मूक नायक, बहिष्कृत भारत, समता, जनता और प्रबुद्ध भारत नामक पांच साप्ताहिक एवं पाक्षिक पत्र-पत्रिकाओं का संपादन किया।
- कमजोर वर्गों के छात्रों को छात्रावासों, रात्रि स्कूलों, ग्रंथालयों तथा शैक्षणिक गतिविधियों के माध्यम से अपने दलित वर्ग शिक्षा समाज (स्था. 1924) के जरिये अध्ययन करने और साथ ही आय अर्जित करने के लिए सक्षम बनाया। सन् 1945 में उन्होंने अपनी पिपुल्स एज्यूकेशन सोसायटी के जरिए मुम्बई में सिद्धार्थ महाविद्यालय तथा औरंगाबाद में मिलिन्द महाविद्यालय की स्थापना की।
- चौदह अक्टूबर 1956 को 5 लाख लोगों के साथ नागपुर में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली तथा भारत में बौद्ध धर्म को पुनःस्थापित कर अपने अंतिम ग्रंथ "द बुद्धा एण्ड हिज धम्मा" के द्वारा निरंतर वृद्धि का मार्ग प्रशस्त किया।
- जात पांत तोडक मंडल (वर्ष 1937) लाहौर के अधिवेशन के लिये तैयार अपने अभिभाषण को "जातिभेद निर्मूलन" नामक ग्रंथ से भारतीय समाज में व्याप्त मिथ्या, अंधविश्वास एवं अंधश्रद्धा से मुक्ति दिलाने का कार्य किया।
- हिन्दू विधेयक संहिता के जरिए महिलाओं को तलाक, संपत्ति में उत्तराधिकार आदि का प्रावधान कर उसके कार्यान्वयन के लिए वह जीवन पर्यन्त संघर्ष करते रहे।

आर्थिक, वित्तीय और प्रशासनिक योगदानः

- भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया की स्थापना डॉ. अम्बेडकर द्वारा लिखित शोध ग्रंथ "रुपये की समस्या-उसका उद्‌भव तथा उपाय" और "भारतीय चलन व बैंकिंग का इतिहास" ग्रन्थों का "हिल्टन यंग कमीशन के समक्ष उनकी साक्ष्य" के आधार पर 1935 में हुई।
- उनके दूसरे शोध ग्रंथ "ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकास" के आधार पर देश में वित्त आयोग की स्थापना हुई।
- कृषि में सहकारी खेती के द्वारा पैदावार बढ़ाना, सतत् विद्युत और जल आपूर्ति करने का उपाय बताया।
- औद्योगिक विकास, जलसंचय, सिंचाई, श्रमिक और कृषक की उत्पादकता और आय बढ़ाना, सामूहिक तथा सहकारिता से प्रगत खेती करना, जमीन के राज्य

स्वामित्व तथा राष्ट्रीयकरण से सर्वप्रभुत्व सम्पन्न समाजवादी गणराज्य की स्थापना करना।

- सन् 1945 में उन्होंने महानदी का प्रबंधन की बहुउद्देशीय उपयुक्तता को परख कर देश के लिये जलनीति तथा औद्योगीकरण की बहुउद्देशीय आर्थिक नीतियां जैसे नदी एवं नालों को जोड़ना, हीराकुण्ड बांध, दामोदर घाटी बांध, सोन नदी घाटी परियोजना, राष्ट्रीय जलमार्ग, केन्द्रीय जल एवं विद्युत प्राधिकरण बनाने के मार्ग प्रशस्त किये।
- सन् 1944 में प्रस्तावित केन्द्रीय जल मार्ग तथा सिंचाई आयोग के प्रस्ताव को 4 अप्रैल 1945 को वाइसराय द्वारा अनुमोदित किया गया तथा बड़े बांधों वाली तकनीकियों को भारत में लागू करने हेतु प्रस्तावित किया।
- उन्होंने भारत के विकास हेतु मजबूत तकनीकी संगठन का नेटवर्क ढांचा प्रस्तुत किया।
- उन्होंने जल प्रबंधन तथा विकास और नैसर्गिक संसाधनों को देश की सेवा में सार्थक रूप से प्रयुक्त करने का मार्ग प्रशस्त किया।

संविधान तथा राष्ट्र निर्माण में योगदान :

- समता, समानता, बन्धुता एवं मानवता आधारित भारतीय संविधान को 02 वर्ष 11 महीने और 17 दिन के कठिन परिश्रम से तैयार कर 26 नवंबर 1949 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को सौंप कर देश के समस्त नागरिकों को राष्ट्रीय एकता, अखंडता और व्यक्ति की गरिमा की जीवन पद्धति से भारतीय संस्कृति को अभिभूत किया।
- वर्ष 1951 में महिला सशक्तिकरण का हिन्दू संहिता विधेयक पारित करवाने में प्रयास किया और पारित न होने पर स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दिया।
- वर्ष 1955 में अपना ग्रंथ "भाषाई राज्यों पर विचार" प्रकाशित कर आन्ध्रप्रदेश,

भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संचालित अनुसूचित जाति कल्याण की योजनाएं

- अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मेट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना।
- कक्षा 9 और 10 में अध्ययनरत अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति।
- सफाई और स्वास्थ्य के लिए जोखिमपूर्ण कार्यों में लगे व्यक्तियों के बच्चों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति ।
- बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना।
- अनुसूचित जाति विद्यार्थियों की योग्यता उन्नयन।
- उच्चतर अध्ययन के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति।
- मेधावी छात्रों के लिए 'उत्कृष्ट शिक्षा'।
- राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति स्कीम।
- अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए निःशुल्क कोचिंग।
- राज्य अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगमों को आर्थिक सहायता।
- अनुसूचित जाति उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता।
- हाथ से मैला साफ करने वाले व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु स्वरोजगार योजना।
- अनुसूचित जाति के उद्यमियों के लिए उद्यम पूंजी निधि।
- अनुसूचित जाति के युवा एवं नए उद्यमियों के लिए ऋण वृद्धि गारंटी योजना।
- सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम-1989 एवं संशोधित अधिनियम 2015 के कार्यान्वयन हेतु राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को सहायता।
- अनुसूचित जातियों के कल्याणार्थ कार्यरत स्वैच्छिक संगठन।
- ◆ जन्म दिवस/महापरिनिर्वाण दिवस समारोह मनाना।
  - ◆ विश्वविद्यालयों/संस्थानों में डॉ. अम्बेडकर पीठ।
  - ◆ डॉ. अम्बेडकर चिकित्सा सहायता योजना।
  - ◆ अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए माध्यमिक शिक्षा (कक्षा 10) हेतु डॉ. अम्बेडकर मेधावी छात्र पुरस्कार योजना।
  - ◆ अनुसूचित जातियों के वरिष्ठ माध्यमिक (कक्षा 12वीं) परीक्षा के मेधावी छात्रों के लिए डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार योजना।
  - ◆ अत्याचार के अनुसूचित जाति पीड़ितों के लिए डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय राहत योजना।
  - ◆ डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान राष्ट्रीय निबंध प्रतियोगिता योजना।
  - ◆ महान संतों की जयंती योजना।
  - ◆ डॉ. अम्बेडकर अंतरराष्ट्रीय सामाजिक परिवर्तन पुरस्कार।
  - ◆ डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक समझ और दुर्बल वर्ग उत्थान पुरस्कार।
  - ◆ अंतरजातीय विवाहों के माध्यम से सामाजिक एकीकरण हेतु डॉ. अम्बेडकर योजना।
  - ◆ शौचालयों के डिजाइन हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार।
  - ◆ सामाजिक न्याय संदेश।
  - ◆ बाबासाहेब अम्बेडकर संग्रहित कृतियां (सीडब्ल्यूबीए) परियोजना।
  - ◆ डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय स्मारक।
  - ◆ डॉ. अम्बेडकर अंतरराष्ट्रीय केन्द्र।
  - ◆ राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग।
  - ◆ राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग।
  - ◆ राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम।
  - ◆ राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम।

मध्यप्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र को छोटे-छोटे और प्रबंधन योग्य राज्यों में पुनर्गठित करने का प्रस्ताव दिया था, जो उसके 45 वर्षों बाद 29 प्रदेशों में साकार हुआ।

- निर्वाचन आयोग, योजना आयोग, वित्त आयोग, महिला पुरुष के लिये समान नागरिक हिन्दू संहिता, राज्य पुनर्गठन, बड़े आकार के राज्यों को छोटे आकार में संगठित करना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, मानवाधिकार, काम्पट्रोलर व ऑडीटर जनरल, निर्वाचन आयुक्त राजनीतिक ढांचे को मजबूत बनाने वाली सशक्त, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक एवं विदेश नीति बनाई।
- प्रजातंत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए राज्य के तीनों अंगों- न्यायपालिका, कार्यपालिका एवं विधायिका को स्वतंत्र और पृथक बनाया तथा समान नागरिक अधिकार के अनुरूप एक व्यक्ति, एक मत और एक मूल्य के तत्व को प्रस्थापित किया।
- विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों की सहभागिता संविधान के द्वारा सुनिश्चित की, तथा भविष्य में किसी भी प्रकार की विधायिकता जैसे- ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, पंचायत राज इत्यादि में सहभागिता का मार्ग प्रशस्त किया।
- सहकारी और सामूहिक खेती के साथ-साथ उपलब्ध जमीन का राष्ट्रीयकरण कर भूमि पर राज्य का स्वामित्व स्थापित करना तथा सार्वजनिक प्राथमिक उद्यमों यथा बैंकिंग, बीमा आदि उपक्रमों को राज्य नियंत्रण में रखने के लिए पुरजोर सिफारिश की तथा कृषि की छोटी जोतों पर निर्भर बेरोजगार श्रमिकों को रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करने के लिए उन्होंने औद्योगीकरण की सिफारिश की।

शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा एवं श्रम कल्याण में योगदान :

- वायसराय की कौंसिल में श्रम मंत्री की हैसियत से श्रम कल्याण के लिए श्रमिकों की 12 घण्टे से घटाकर 8 घण्टे कार्य-अवधि, समान कार्य समान वेतन, प्रसूति अवकाश, सवैतनिक अवकाश, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, स्वास्थ्य सुरक्षा, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 बनाना, मजदूरों एवं कमजोर वर्ग के हितों के लिए तथा सीधे सत्ता में भागीदारी के लिए स्वतंत्र मजदूर पार्टी का गठन कर 1937 के मुम्बई प्रेसीडेंसी चुनाव में 17 में से 15 उम्मीदवार चुनाव जीते।
- कर्मचारी राज्य बीमा के तहत स्वास्थ्य, अवकाश, अपंग-सहायता, कार्य करते समय आकस्मिक घटना से हुए नुकसान की भरपाई करने और अन्य अनेक सुरक्षात्मक सुविधाओं को श्रम कल्याण में शामिल किया।

- कर्मचारी को दैनिक भत्ता, अनियमित कर्मचारी को अवकाश की सुविधा, कर्मचारी के वेतन श्रेणी की समीक्षा, भविष्य निधि, कोयला खदान तथा माईका खनन में कार्यरत कर्मियों को सुरक्षा संशोधन विधेयक सन् 1944 में पारित कराने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- सन् 1946 में उन्होंने निवास, जल आपूर्ति, शिक्षा, मनोरंजन, सहकारी प्रबंधन आदि से श्रम कल्याण नीति की नींव डाली तथा भारतीय श्रम सम्मेलन की शुरुआत की जो अभी निरंतर जारी है, जिसमें प्रतिवर्ष मजदूरों के ज्वलंत मुद्दों पर प्रधानमंत्री की उपस्थिति में चर्चा होती है और उसके निराकरण के प्रयास किये जाते हैं।
- श्रम कल्याण निधि के क्रियान्वयन हेतु सलाहकार समिति बनाकर उसे जनवरी 1944 में आकार दिया।
- भारतीय सांख्यिकी अधिनियम पारित कराया जिसमें श्रम की दशा, दैनिक मजदूरी, आय के अन्य स्रोत, मुद्रास्फीति, ऋण, आवास, रोजगार, जमापूंजी तथा अन्य निधि व श्रम विवाद से संबंधित नियम सम्भव कर दिया।
- नवंबर 8, 1943 को उन्होंने 1926 से लंबित भारतीय श्रमिक अधिनियम को सक्रिय बनाकर उसके तहत भारतीय श्रमिक संघ संशोधन विधेयक प्रस्तावित किया और श्रमिक संघ को सख्ती से लागू कर दिया।
- स्वास्थ्य बीमा योजना, भविष्य निधि अधिनियम, कारखाना संशोधन अधिनियम, श्रमिक विवाद अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम और विधिक हड़ताल के अधिनियमों को श्रमिकों के कल्याणार्थ निर्माण किया।

विरासत - आज उनके नाम से विश्व में जयभीम के नारे लगते हैं। उनके अनुयायी उनसे संबद्ध स्थलों महू, मुंबई, नागपुर, बड़ौदा, दिल्ली, लंदन, न्यूयार्क, महाड, नाशिक, पुणे आदि तीर्थों के दर्शनार्थ आवागमन करते हैं। उन पर शोध और प्रचुर साहित्य उपलब्ध है। संविधान के पिता की

मध्यप्रदेश में सामाजिक समरसता की ओर बढ़ते कदम

1. छात्रावासों में अन्य वर्गों के विद्यार्थियों का प्रवेश - प्री-मैट्रिक छात्रावासों में गैर अनुसूचित जाति वर्ग के 10 प्रतिशत विद्यार्थियों को छात्रावासों में प्रवेश देना सुनिश्चित किया गया है। इस व्यवस्था से अनुसूचित जाति के और सामान्य वर्गों के विद्यार्थी छात्रावासों में साथ-साथ रहेंगे। सामाजिक सद्भाव और समरसता का वातावरण निर्मित होगा।

2. अस्पृश्यता निवारण की दिशा में कार्य करने वाली उत्कृष्ट ग्राम पंचायत को 1.00 लाख रुपये का पुरस्कार - प्रदेश के सभी 51 जिलों में प्रतिवर्ष प्रत्येक जिले की एक आदर्श ग्राम पंचायत का चयन किया जाता है। जिस पंचायत द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक उत्थान की दिशा में उत्कृष्ट कार्य किया हो तथा अनुसूचित जाति बस्तियों में अधोसंरचनात्मक कार्य किया हो और अस्पृश्यता निवारण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया हो। ऐसी ग्राम पंचायत को 1.00 लाख रुपये का पुरस्कार दिया जाता है।

3. सद्भावना शिविरों का आयोजन- प्रदेश के सभी जिलों में प्रतिवर्ष सद्भावना शिविरों का आयोजन किया जाता है। इन शिविरों में समाज के सभी वर्गों के लोग बड़ी संख्या में भाग लेते हैं। समाज के गणमान्य नागरिक, जनप्रतिनिधि, जिले के वरिष्ठ अधिकारी, शैक्षणिक संस्थाओं के विद्यार्थी और अध्यापक भाग लेते हैं। इन कार्यक्रमों से समाज के सभी वर्गों में समरसता का वातावरण निर्मित होता है।

4. अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन - ऐसे आदर्श दम्पत्ति जिनमें एक पक्ष अनुसूचित जाति और एक पक्ष गैर अनुसूचित जाति वर्ग का हो ऐसे अंतर्जातीय विवाहों को प्रोत्साहन देने के लिये प्रति दम्पत्ति 2.00 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है तथा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाता है।

5. डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी छात्रवृत्ति योजना - योजना 2010 से प्रारंभ। समस्त वर्गों के कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 80 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले बी.पी.एल. परिवार के विद्यार्थियों को अनुसूचित जाति पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अनुरूप छात्रवृत्ति एवं फीस प्रतिपूर्ति की सुविधा प्रदान की जाती है।

भारत चला गांव की ओर

ग्राम उदय तो राष्ट्र उदय

एक सशक्त, समृद्ध और संपन्न भारत के निर्माण की ओर दौड़ लगाने की खबर आई है। खबर दिल्ली से भी मिली और भोपाल से भी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी 14 अप्रैल से ग्राम उदय अभियान चलायेंगे। वे ग्राम उदय को ही भारत उदय मानते हैं इसीलिए इस अभियान का नाम ग्राम उदय से भारत उदय रखा गया है। इसका शुभारंभ मध्यप्रदेश के महू से होगा। अभियान की घोषणा दिल्ली से हुई और खाका मध्यप्रदेश से जारी हुआ। जिसमें इसकी संपूर्ण रूप रेखा है। प्रधानमंत्री ने अपेक्षा की है कि ऐसा अभियान देशभर में चले किन्तु राज्य सरकारों पर बंधन नहीं है। वे अपनी सुविधा, पसंद और प्राथमिकता के आधार पर इसका स्वरूप निर्धारित कर सकती हैं। मध्यप्रदेश पहला राज्य है जिसमें मुख्यमंत्री श्री शिवराज चौहान ने इसका संपूर्ण प्रारूप प्रधानमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया और उन्होंने शुभारंभ की तिथि के लिए सहर्ष सहमति दी। अभियान चलाने के लिए भारत सरकार ने कुल दस दिवसीय कार्यक्रम जारी किया जो 14 अप्रैल से 24 अप्रैल तक चलेगा लेकिन मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे लगभग डेढ़ माह तक चलाने का निर्णय लिया है। मध्यप्रदेश में यह अभियान 14 अप्रैल से 31 मई तक चलेगा।

इस अभियान का उद्देश्य राष्ट्र की उन जड़ों को सशक्त और गहरा करना है जिससे वह भविष्य में आने वाली चुनौतियों का सामना करने की क्षमता पैदा कर सकें। धरती के प्रत्येक भाग का अपना स्वभाव है, अपनी प्रकृति है। इसीलिए प्रत्येक भूभाग की फसल अलग होती है, फल अलग होते हैं। जीवन का सौंदर्य उसके अनुरूप चलने में है। यदि विपरीत गए तो घर्षण होगा जिसका परिणाम विनाश के अतिरिक्त कुछ नहीं होता। भारत की बुनियाद उसके गांव हैं, कस्बे हैं, मजरे हैं, टोले हैं, जो कभी आत्मनिर्भर हुआ करते थे, सक्षम हुआ करते थे इतने सक्षम कि वे नगरों के जीवन-स्पंदन का आधार हुआ करते थे। इसी से भारत सोने की चिड़िया था, विश्व गुरु बना था। पूरा संसार उसकी ओर एक सम्मान की दृष्टि से देखता था। लोग यहां का जीवन देखने, सीखने और समझने आया करते थे लेकिन वक्त की आंधी उस सारी व्यवस्था को बहा ले गई। गांव उजड़ गए या उजाड़ दिए गए। लोग सैकड़ों सालों तक प्राण बचाने और पेट भरने के लिए भागते रहे। नतीजा क्या हुआ भारत की दुर्व्यवस्था पर मानो प्रकृति को रहम आया और 68 साल पहले स्वतंत्रता की सुहानी भोर का उदय हुआ। इन 68 वर्षों में भारत को आत्मनिर्भर बनाने, विषमताओं और विकृतियों से मुक्त करने के कई अभियान चले। गांवों में भी और नगरों में भी। कुछ योजनाओं के परिणाम बेहतर रहे और कुछ योजनाएं व्यवहारिक कठिनाईयों के कारण वांछित मुकाम हासिल नहीं कर पाईं। अपने पुराने अनुभवों का सामना करने के लिए विकास की प्राथमिकता में सबसे ऊपर गांवों को रखना होगा और ग्राम उदय से भारत उदय इसी सोच-संकल्प की कल्पना है। जिसका आरंभ 14 अप्रैल से प्रधानमंत्री मध्यप्रदेश के महू से करेंगे।

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने तिथि और स्थान का निर्धारण भी सोच समझ कर लिया है। 14 अप्रैल संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अम्बेडकर की जन्म तिथि है और महू उनका जन्म स्थान। भारत में डॉ. भीमराव अम्बेडकर केवल इसीलिए प्रसिद्ध नहीं है कि वे संविधान निर्माता थे बल्कि देश में एक समरस समाज के निर्माण के लिए भारत की सामाजिक परिस्थितियों में आई विसंगतियों को दूर करने के लिए उन्होंने बाकायदा एक अभियान चलाया था। जातिगत विषमताओं के कारण समाज के बिखराव को दूर करने के लिए वे सदैव जाने जायेंगे। उन्होंने अज्ञानता में डूबी उस मानसिकता को ज्ञान के प्रकाश में लाने का प्रयत्न किया था जो एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य से दूर करती थी। ज्ञान पर आए अविद्या के परदे से सामाजिक वैमनस्य पैदा हुआ और राष्ट्र की तमाम विशेषताएं भूमिसात हो गईं। राष्ट्र को सशक्त बनाने के लिए ही डॉ. अम्बेडकर ने सामाजिक विषमताओं को दूर करने का अभियान छेड़ा था। इसीलिए ग्राम उदय से भारत उदय अभियान के लिए उनकी जन्मतिथि और उन्हीं की जन्मस्थली महू का चयन किया गया।

सरकार ने डॉ. अम्बेडकर की जन्मतिथि और उनके व्यक्तित्व को गांवों और पंचायतों से जोड़ा है। इसका कारण यह है कि यदि डॉ. अम्बेडकर ने राष्ट्र के विकास की

नींव समाज को माना था तो भारतीय वाङ्मय के पुरातन सिद्धांत में भविष्य की बुनियाद समाज और गांव दोनों को माना है। यह ठीक है कि भारत में वर्ण-विभाजन था। लेकिन यह वर्गीकरण जन्म या जाति के आधार पर नहीं अपितु गुण और कर्म के आधार पर था, इसका स्पष्टीकरण गीता में भगवान कृष्ण ने भी किया। भारतीय वाङ्मय में अनेक ऋषि हैं जो ऋषि पुत्र नहीं थे, स्वयं वेद व्यास की माता मछुआरिन थी भारत में यही परंपरा लम्बे समय तक रही। इसीलिए जिस जमाने में भारत विश्वगुरु था, सोने की चिड़िया था, उस जमाने में भारत के गांव पूरी तरह आत्मनिर्भर थे, समाज आत्मनिर्भर थे। गांव की जरूरतें गांव में पूरी होती थीं। केवल फल, अनाज, सब्जी या दूध ही नहीं औजार, बर्तन, कपड़े, लोहे के यंत्र, लकड़ी का सामान सब। केवल नमक और सोना-चांदी या लोहे, पीतल, तांबे का कच्चा माल ही बाहर से आता था। कच्चे माल से आभूषण या यंत्र बनाने का काम भी गांवों में होता था। उनकी पंचायतें बहुत सशक्त हुआ करती थीं यहां तक कि छोटे-मोटे अपराधों पर फैसले भी न्याय पंचायतें ले लिया करती थीं। गांव से बाहर वही विवाद जाते थे जो अंतःपंचायती होते थे अथवा कोई पक्ष फैसले से संतुष्ट न हो। यह गांवों की समृद्धि का उदाहरण है। इसीलिए सरकार ने अब भारत के उदय को, एक सक्षम-सबल भारत के भविष्य की बात को गांव से जोड़ा। भविष्य की बेहतरी में सामाजिक विकृतियां और विषमताएं ही बाधक होती हैं जिसकी खबरें अक्सर गांवों से आती हैं इसीलिए अभियान के आरंभ की तिथि अम्बेडकर जयंती चुनी गई। इस अभियान के पीछे सरकार की मंशा जहां गांवों को सशक्त करना है वहीं सामाजिक बुराइयों को जड़ से मिटाना भी है। इसीलिए अभियान के पहले दिन 14 अप्रैल को ग्राम सभाओं के आयोजन की अपेक्षा की गई है जिसमें गांवों की समृद्धि के संकल्प के साथ गांवों में सामाजिक सौहार्द्र का वातावरण बनाने का भी संकल्प लिया जायेगा।

मध्यप्रदेश में यह अभियान लगभग डेढ़ महीने चलेगा। इसका समापन 31 मई को होगा। अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और

स्वैच्छिक संगठनों से कहा गया है कि वे गांव में रहें। स्वयं श्री शिवराज सिंह सप्ताह में तीन दिन गांवों का भ्रमण करेंगे। इस अभियान में दो स्तरीय काम होंगे- एक प्रशासकीय और दूसरे सामाजिक। प्रशासकीय कामों में सरकार की तमाम योजनाओं की प्रगति की समीक्षा होगी, वांछित परिणामों के विलम्ब में आने वाली रुकावटों को दूर करने की कवायद होगी वहीं सामाजिक स्तर पर जो विषमताएं हैं उनके निराकरण के काम भी होंगे।

सामाजिक स्तर पर श्री शिवराज सिंह चौहान की कोशिश होगी कि गांव पूर्णतया साक्षर बनें, स्वच्छ बनें, नशामुक्त हों, समरस व जागरूक हों। यदि यह सब होगा, वह व्यक्तिगत समस्याओं और तनाव से मुक्त होगा तो एकचित्त से, दूने उत्साह से कृषि और स्थानीय शिल्प के कामों में लगेगा तभी खेती लाभ का धंधा बनेगी, कृषि का उत्पादन बढ़ेगा। किसान संपन्न तो गांव संपन्न, गांव संपन्न तो प्रदेश संपन्न, प्रदेश संपन्न तो राष्ट्र संपन्न। मध्यप्रदेश देश का हृदय प्रांत है। यदि हृदय कमजोर है पूरा शरीर बीमारियों का, विसंगतियों का घर होगा। इन्हीं विसंगतियों को दूर करने के लिए देश के हृदय स्वरूप प्रांत मध्यप्रदेश से अभियान का आरंभ है। अभियान को उसके उद्देश्यों तक पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों की बैठकें अलग लीं और जन प्रतिनिधियों से बातचीत अलग की। श्री चौहान ने अभियान की रूपरेखा बतलायी और उस पर अमल सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। श्री चौहान ने कहा कि अभियान का उद्देश्य गांव और गांववासियों की तरक्की की योजना की मैदानी हकीकत जानना और उनमें जरूरी सुधार कर हरेक पात्र हितग्राही को योजना से लाभान्वित करवाना एवं ग्रामीणों को योजनाओं की जानकारी देना है। इससे सुशासन के लिये प्रशासन को और पारदर्शी बनाया जा सकेगा।

मुख्यमंत्री सप्ताह में तीन दिन भ्रमण करेंगे - इस अभियान में सांसद, विधायक, पंचायत पदाधिकारी एवं अन्य जनप्रतिनिधि तथा सभी अधिकारी जोड़े जायेंगे। इसके अंतर्गत ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला एवं प्रदेश स्तर पर कार्यक्रम किये जायेंगे। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिये कि योजनाओं के लाभ से कोई भी पात्र हितग्राही नहीं छूटे। साथ ही अभियान की सघन मानीटरिंग की जाये। अभियान के दौरान मुख्यमंत्री स्वयं सप्ताह में तीन दिन भ्रमण करेंगे। साथ ही ग्राम से प्रदेश स्तर तक के अधिकारी भी गांवों में पहुंचेंगे।

अलग-अलग कार्यक्रम होंगे - अभियान के दौरान अलग-अलग दिनों में अलग-अलग योजनाओं और कार्यक्रमों पर चर्चा होगी। इनमें अनुसूचित जाति, जनजाति के कल्याण और सामाजिक समरसता के कार्यक्रम, कृषि एवं किसानों की आय दो गुना करने की जानकारी किसानों को देने, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, महिला सशक्तिकरण, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी एवं युवा

स्व-रोजगार योजना, मुद्रा बैंक के हितग्राही, पंचायत प्रतिनिधियों का सम्मेलन, फसल बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री जन-धन योजना और अन्य बीमा योजनाओं पर चर्चा स्वच्छता, पेयजल, दिव्यांग कल्याण, सुशासन, महिला स्वास्थ्य परीक्षण, महिला स्व-सहायता समूह एवं नशामुक्ति पर आधारित कार्यक्रम होंगे।

ग्रामीणों की होगी संसद - अभियान के एक दिन ग्रामीणों की संसद की जायेगी, जिसमें ग्रामीणजन गांव के विकास पर संसद की तर्ज पर खुली बहस कर सकेंगे। इसके अलावा ग्राम पंचायतों के अगले पांच वर्ष के विकास कार्यों का रोड मेप तैयार किया जायेगा। ग्रामीणों को पानी बचाने के प्रति जागरूक किया जायेगा। मनरेगा में नये तालाब बनाने और पुराने तालाबों के जीर्णोद्धार की कार्य-योजना बनायी जायेगी। एक दिन ग्रामीणों की खेलकूद प्रतियोगिताएं भी की जायेंगी।

अभियान का स्वरूप - इस अभियान के अंतर्गत ग्राम सभाओं के आयोजन किए जायेंगे जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के प्रसंग, संबोधन तथा अन्य कार्यक्रम होंगे। इस अभियान के अंतर्गत पंचायत राज व्यवस्था को मजबूत करने, ग्राम विकास को बढ़ावा देने, किसानों के कल्याण को पोषण करने के काम होंगे। 14 अप्रैल को आयोजित ग्राम सभा में डॉ. अंबेडकर के जीवन प्रसंगों, आदर्शों पर भी चर्चा होगी उनके विचार, उनके साहित्य से समाज को अवगत कराना तथा सामाजिक समानता को बढ़ावा देने वाली योजनाओं की प्रदर्शनी भी लगाई जायेगी। अभियान का समापन राष्ट्रीय पंचायत दिवस के दिन होगा जिसमें प्रभात फेरी निकाली जायेगी, स्वच्छता अभियान पर कार्यक्रम, ग्रामीण खेलकूद तथा स्थानीय संस्कृति के आधार पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। जबकि अभियान के दौरान ग्रामवासियों को पांच वर्षीय विकास योजनाओं की संपूर्ण जानकारी दी जायेगी तथा ग्राम सभाओं में आए सुझावों के अनुरूप विकास का खाका तैयार किया जायेगा जिसमें ग्राम पंचायत विकास योजना, स्मार्ट ग्राम पंचायत योजना, पंचायत निधि के समुचित उपयोग पर चर्चा, पेयजल, स्वच्छता, महिलाओं की भूमिका तथा 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त होने वाली परफारमेंस ग्रांट के परिप्रेक्ष्य में स्व-कराधान पर भी चर्चा होगी।

मुख्यमंत्री के निर्देश - मुख्यमंत्री श्री चौहान ने 'ग्रामोदय से भारत उदय' अभियान की तैयारियों की समीक्षा का काम आरंभ कर दिया है तथा अधिकारियों को निर्देशित किया कि अभियान के दौरान यह सुनिश्चित किया जाये कि सभी योजनाओं के प्रत्येक पात्र हितग्राही को लाभ मिले। सभी सुविधाएँ और सेवाएँ जमीनी स्तर तक पहुँचें। अभियान के दौरान मिली जानकारी के आधार पर तैयार की गई कार्य-योजना आगामी वर्षों के लिये विकास का रोड मेप बनेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस महत्वाकांक्षी अभियान में जन-प्रतिनिधियों की भी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी। वे स्वयं और मंत्रीगण तथा राज्य से लेकर ग्राम स्तर के अधिकारी भी गाँवों का भ्रमण करेंगे। अभियान का शुभारंभ डॉ. अम्बेडकर की 125वीं जयंती के अवसर पर 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी महू से करेंगे। अभियान से सभी को जोड़ने के लिये मुख्यमंत्री द्वारा वीडियो कांफ्रेंसिंग की जायेगी। उन्होंने कहा कि इस दौरान हरियाली महोत्सव में वृक्षारोपण के लिये स्थान चिन्हित किये जायें। पानी रोकने के लिये जल-संरचनाओं के निर्माण की तैयारी की जाये। साथ ही बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने कहा कि इस अभियान से गाँवों की तस्वीर बदलेगी।

मुख्य सचिव श्री अंटोनी डिसा ने बताया कि अभियान की कार्य-योजना बना ली गई है। इसके अंतर्गत 15 अप्रैल से 15 मई के बीच प्रत्येक ग्राम पंचायत में तीन ग्राम सभाएँ लगातार तीन दिन आयोजित की जायेंगी। इनमें एक दिन ग्राम विकास की योजना बनायी जायेगी। इसमें पेयजल, स्वच्छता तथा जल-संरचनाओं का निर्माण शामिल होगा। दूसरे दिन हितग्राहीमूलक योजनाओं पर कार्यवाही होगी तथा तीसरे दिन कृषि कार्य-योजना बनायी जायेगी। अभियान के दौरान किसान सभा, महिला स्वास्थ्य शिविर, खेलकूद और सांस्कृतिक प्रतियोगिता भी होगी। ग्रामीणों को जन-कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जायेगी और उनकी वस्तु-स्थिति जानी जायेगी। किसानों की आय दो गुना करने की कार्य-योजना बनेगी और ग्रामीणों के विकास पर खुली परिचर्चा होगी। अभियान के अमल के लिये ग्राम पंचायत स्तर पर नोडल अधिकारी, ब्लॉक स्तर पर पर्यवेक्षण अधिकारी और जोनल अधिकारी तैनात किये जायेंगे। साथ ही वरिष्ठ अधिकारी भी भ्रमण करेंगे। इन सभी का प्रशिक्षण भी किया जायेगा।

● रमेश शर्मा

प्रधानमंत्री के ग्रामोदय-स्वप्न को साकार करता मध्यप्रदेश

राजनीतिक नेतृत्व की दृढ़ इच्छाशक्ति तथा प्रशासनिक तंत्र की कार्यकुशलता सफलता के कितने ऊंचे शिखर छू सकती है इसका उदाहरण है मध्यप्रदेश। वस्तुपरक दृष्टि से देखें तो साफ समझ में आ जायेगा कि इस राज्य का विकास मॉडल राष्ट्रीय स्तर पर अनुकरणीय है। इस मॉडल पर चर्चा करने के पहले माननीय प्रधानमंत्री के ग्रामोदय प्रकल्प का अध्ययन करें जो यथार्थतः भारत-उदय का मूलाधार है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की ग्रामोदय की अवधारणा का अध्ययन करते समय 2500 साल पहले के कौटिल्य अर्थशास्त्र का संदर्भ सामने आ जाता है जिसमें ग्रामों की बसाहट और उनकी प्रकृति-आधारित स्वयंपूर्ण अर्थव्यवस्था का सजीव सार्थक विवरण है। रक्षेद्रुपहतां कृषिम अर्थात राजा को चाहिये कि वह सर्वदा कृषि की रक्षा करे। शास्त्र वचन भी है : अन्नं बहुकुर्यात अर्थात अधिक अन्न उपजाओ।

प्रधानमंत्री ने स्पष्ट घोषणा की है कि सन् 2022 तक जब भारत की आजादी के 75 साल पूरे होंगे, किसानों की आमदनी दुगुनी करना है। यह सिर्फ घोषणा या संकल्प ही नहीं है बल्कि प्रधानमंत्री ने इसके लिये बाकायदा एक रोडमैप तैयार करके देश में प्रसारित किया है। यह एक सुसंयोग ही था कि प्रधानमंत्री ने किसानों की आय आगामी छह सालों में दुगुना करने की घोषणा, चार-चार कृषि कर्मण अवार्ड जीतने वाले हमारे मध्यप्रदेश के मंच से की। उल्लेखनीय है कि इस प्रसंग में हमारे राज्य ने सारे देश के सामने एक मॉडल पहले ही पेश कर दिया है कि कृषि न सिर्फ अन्न उत्पादन का जरिया है बल्कि वह स्थानीय उद्योगीकरण और रोजगार देने का स्रोत भी है। कृषि उपजों के प्रसंस्करण से उद्योग लगते हैं और समूची कृषि गतिविधि भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को रोजगार देती है। प्रधानमंत्री की अवधारणा को अमली जामा पहनाने के लिये मुख्यमंत्री ने एक विस्तृत कार्य योजना तैयार कर ली है। इस रोडमैप का संक्षिप्त विवरण देने के पहले बताते चलें कि मध्यप्रदेश ने उसमें से बहुत कुछ पहले ही हासिल कर लिया है जिसे प्रधानमंत्री ने रेखांकित किया है।

एक प्रमुख राष्ट्रीय अंग्रेजी अखबार ने जो कि सामान्यतः सरकारों की आलोचना के लिये जाना जाता है, एक शीर्ष अर्थशास्त्री का लेख प्रकाशित करके सवाल दागा है कि किसानों की नॉमिनल इनकम दुगुना करने में तो कुछ खास नहीं है लेकिन क्या उनकी वास्तविक आय दुगुना करना संभव है? और फिर मध्यप्रदेश मॉडल की चर्चा करके अपने ही प्रश्न का उत्तर खुद हां में दे दिया है। उन्होंने तथ्यात्मक आधार पर विवेचना करके बताया है कि मध्यप्रदेश तो कर्नाटक और गुजरात जैसे समृद्ध राज्यों से भी आगे है। फिलहाल कृषि आधारित समग्र ग्रामोदय विषयक मुख्यमंत्री के रोडमैप की संक्षिप्त चर्चा करें। प्रधानमंत्री जो काम छह साल में करना चाहते हैं उसे मध्यप्रदेश पांच साल में ही पूरा करने का रोडमैप बना चुका है।

मध्यप्रदेश में किसानों के खेतों पर एक तिहाई भाग में उन्नत परम्परागत खेती, एक तिहाई भाग में कृषि वानिकी या उद्यानिकी और शेष एक तिहाई हिस्से में पशु, मछली,

रेशम अथवा मधुमक्खी पालन का प्रकल्प है। वर्तमान में रबी और खरीफ के आधे से ज्यादा क्षेत्रफल में सिर्फ गेहूं या सोयाबीन की खेती की जाती है। अब फसलों के विविधीकरण और अंतरवर्तीय फसलों का अभियान चलाया जायेगा। इसका मोटे तौर पर यह उद्देश्य है कि साल में खेत की एक इंच जमीन भी अनुत्पादक न रहे। अभी फसल काटने और नई फसल बोने के बीच जमीन अनुत्पादक पड़ी रहती है। फसल की दो क्यारियों के बीच भूमि खाली रह जाती है जिसमें खरपतवारें उग आती हैं। अब साल में किसी भी समय खेत की एक इंच भूमि भी अनुत्पादक नहीं छोड़ना है।

किसान की आय वृद्धि के सामान्यतः दो ही तरीके हैं। प्रति हैक्टेयर उपज बढ़े तथा कृषि लागत कम हो। आजकल कृषि विज्ञान ने इतनी उन्नति कर ली है कि किसान को यदि समय पर बढ़िया बीज, खाद, बिजली, सिंचाई, कीटनाशक यंत्रीकरण आदि उपलब्ध करा दिये जायें तो उपज निश्चित ही बढ़ेगी और उसी अनुपात में लागत घटेगी। जैविक खाद स्वयं किसान बना सकते हैं। हर घर में गोबर उपलब्ध है। गौमूत्र और नीम की पत्ती से बढ़िया स्वदेशी कीटनाशक बनता है। खाद और कीटनाशक के मामले में परंपरागत व्यवस्था किसान को स्वावलंबी बनाती है। लेकिन हम ईंधन के लिये गोबर जला लेते हैं। अतः वृक्षारोपण पर भी बल दिया जा रहा है। किसानों को समय पर ऋण उपलब्ध कराने की जरूरत है।

सरकार ने कृषि के क्षेत्र में नवाचार के महत्व को भी समझा है। कृषि की उन्नत विधियों से परिचित होने के लिये हर साल एक लाख किसानों को देश में तथा एक हजार किसानों को विदेश में अध्ययन प्रवास पर भेजा जायेगा। मिसाल के तौर पर इजरायल की टपक सिंचाई पद्धति पानी की मितव्ययिता पर आधारित थोड़े पानी के भरपूर उपयोग की पद्धति है। अतः कृषि की तमाम विधियों पर देश-विदेश के किसानों में विचार-विमर्श होता रहना चाहिये।

प्रदेश के मुख्यमंत्री ने विभिन्न कृषि मदों में समयावधि के लक्ष्य निर्धारित करके उनकी विधिवत मॉनीटरिंग पर बल दिया है ताकि निर्धारित समय में लक्ष्य पूर्ति हो सके। सिंचाई और बिजली को सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत प्रत्येक जिले की सिंचाई योजना बनायेंगे ताकि हर खेत को पानी पहुंचाया जा सके। मनरेगा से ढाई लाख कुएं खोदेंगे और पांच लाख कृषि पोखर बनायेंगे।

छोटी-छोटी सिंचाई योजनाओं के जरिये कृषि और उद्यानिकी का रकबा लगभग तिगुना करके 12 लाख हैक्टेयर कर लिया जायेगा। वर्तमान फार्म पॉवर 1.73 कि.वा./हैक्टेयर को दुगुना करके 3.50 कि.वा./हैक्टेयर तक पहुंचाने का लक्ष्य है। आगामी पांच सालों में 75 प्रतिशत किसानों का फसल बीमा हो जायेगा। प्रदेश की समस्त कृषि मंडियों को राष्ट्रीय कृषि मंडी से जोड़कर पैदावार का समुचित मूल्य पारदर्शी ढंग से

सुनिश्चित करायेंगे।

मिल्क रूट की तर्ज पर वेजीटेबल रूट और फ्रूट रूट बनाकर उद्यानिकी उत्पादों को लाभप्रद मूल्य दिलवायेंगे। अनुदान प्राप्त करके दस लाख हैक्टेयर में कृषि वानिकी के तहत ऐसे वृक्ष लगायेंगे जो किसानों के लिये उपयोगी हों, जल्दी बढ़ें और जिनकी बाजार में मांग हो। बांस लगाने पर विशेष ध्यान देंगे। मधुमक्खी, मुर्गीपालन, मत्स्य पालन के लिये किसानों को प्रेरित, प्रशिक्षित करेंगे। रेशम पालन और लाख उत्पादन से भी किसानों की आय बढ़ेगी। पशुधन विकास की समग्र योजना है जिसमें चारा सहित पशु-खाद्यों और दूध सहित अन्य उत्पादों की बिक्री शामिल है। दुग्ध सहकारी समितियों को प्रोत्साहन दिया जायेगा।

इस प्रकार कृषि, कृषि-वानिकी, उद्यानिकी, खाद्य प्रसंस्करण, पशुपालन, मछली पालन, रेशम के कीड़े पालना, बांस रोपण आदि का एक सम्पूर्ण रोडमैप है जिसे निर्धारित अवधि में पूरा करना है। यह समग्र उन्नत कृषि का पैकेज है। अब मध्यप्रदेश की उन उपलब्धियों पर विचार कर लिया जाये जिनके जरिये प्रधानमंत्री की परिकल्पना के अधिकांश को पहले ही प्राप्त करके एक राष्ट्रीय स्तर का अनुकरणीय मॉडल रच दिया गया है। लोग सोचते थे कि छह साल में किसानों की आय दुगुना कर देना तो मानो एक जादू है। यह काम तो जादू की छड़ी से ही पूरा किया जा सकता है। लेकिन दृढ़ संकल्प के आये कुछ भी असंभव नहीं है।

अर्थशास्त्रियों विशेषकर कृषि की आर्थिकी पर पकड़ रखने वालों के अनुसार इस लक्ष्य को हासिल करने के लिये लगभग बारह प्रतिशत वार्षिक का कम्पाउन्ड ग्रोथरेट चाहिये। लेकिन मध्यप्रदेश ने तो पांच सालों में वास्तविक कृषि जी.डी.पी. में 14.2 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज की है। याद रहे कि चीन ने जब आर्थिक सुधार किये तो वहां कृषि आय में 14 प्रतिशत वार्षिक की बढ़ोतरी हुई थी। परन्तु खेती की जी.डी.पी. (सकल घरेलू

उत्पाद) वृद्धि दर 7.1 प्रतिशत ही थी। वहां गरीबी आधी हो गई थी। मध्यप्रदेश तो चीन से भी आये निकल गया।

मध्यप्रदेश में यह काम जल संचय की तमाम छोटी-छोटी योजनाओं को अमल में लाकर तथा भरसक किसान को सिंचाई के समय अनवरत बिजली देकर पूरा किया गया है। याद रहे कि सस्ती बिजली का टोटका उतना कारगर नहीं होता जितना कि सक्षम विद्युत पूर्ति, सन् 2000 में तो किसानों के पांच हॉर्स पॉवर तक के सिंचाई पंप निःशुल्क थे। मगर बिजली आना इतना अनिश्चित था कि किसान रात-रात भर जागकर इंतजार करता रहता था। दूसरी बात है न्यूनतम समर्थन मूल्य। केन्द्र की ओर से जो दरें निर्धारित की जाती हैं मध्यप्रदेश उससे सौ रुपया अधिक देता है। अतः यहां गेहूं का भंडारण शीर्ष पर है। हम यह दावा कर सकते हैं कि किसानों की आय दुगुनी करके ग्रामोदय से भारत उदय के प्रधानमंत्री के सपने को साकार करने में हमने पहले ही अपना विनम्र योगदान दे दिया है।

मध्यप्रदेश की सरकार कौटिल्य की अर्थनीति के इस सिद्धांत पर चलती है कि प्रजा का सुख ही राजा का सुख है वरना उसका अपना स्वयं का सुख कोई नहीं है :

प्रजासुखे सुखं राज्ञः प्रजानां च हिते हितम्।
नात्मप्रियं हितं राज्ञः प्रजानां तु प्रियं हितम्।।

● **घनश्याम सक्सेना**

महाराजा मार्तण्ड सिंह जू देव टाइगर सफारी नाम होगा

मुकुन्दपुर टाइगर सफारी विश्व की सर्वश्रेष्ठ सफारी बनेगी

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रीवा संभाग के सतना जिले के ग्राम मुकुन्दपुर में विश्व की पहली व्हाइट टाइगर सफारी का लोकार्पण करते हुए कहा कि मुकुन्दपुर टाइगर सफारी को विश्व की सर्वश्रेष्ठ टाइगर सफारी बनाया जायेगा। सफारी की अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान स्थापित की जायेगी। इस कार्य में धनराशि की कमी नहीं आने दी जायेगी।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने महाराजा मार्तण्ड सिंह जू देव का स्मरण करते हुए वन्य-प्राणियों के प्रति उनके प्रेम और उदारता की सराहना की। मुख्यमंत्री ने सफारी का नामकरण महाराजा मार्तण्ड सिंह जू देव पर करने की घोषणा की। श्री चौहान ने कहा कि विन्ध्य की धरोहर के विन्ध्य में लौटने का सपना साकार हो गया है। उन्होंने इसके लिये केन्द्रीय राज्य मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर, श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, प्रदेश के वन मंत्री डॉ. गौरी शंकर शेजवार और जनसम्पर्क मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल के प्रयासों की प्रशंसा की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस सफारी के प्रारंभ होने से क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। आजीविका के नये-नये साधन खुलेंगे जिससे क्षेत्र में समृद्धि आयेगी।

उन्होंने स्थानीय जनता के अवलोकन के लिये टाइगर सफारी में एक सप्ताह निःशुल्क प्रवेश की बात भी कही। मुख्यमंत्री ने मुकुन्दपुर के हाई स्कूल को उन्नत कर हायर सेकेण्डरी किये जाने और रीवा की हवाई पट्टी को हवाई अड्डे का रूप दिये जाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सतना हवाई पट्टी को भी और बेहतर बनाया जायेगा।

कार्यक्रम के अध्यक्ष केन्द्रीय वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि विश्व की कुल संख्या के 75 प्रतिशत बाघ हमारे देश में हैं। उन्होंने कहा कि मुकुन्दपुर टाइगर सफारी निश्चित रूप से अद्भुत है। बाघों के लिये यह एक अनुकूल स्थल है। उन्होंने कहा कि सफारी के विकास और उत्थान के समुचित प्रयास किये जायेंगे और इस कार्य के लिये केन्द्र से पर्याप्त राशि उपलब्ध करवाई जायेगी। प्रयास होगा कि इस सफारी को 7 स्टार का दर्जा मिले।

केन्द्रीय इस्पात एवं खान मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि यह सफारी विन्ध्य अंचल के लिये सौभाग्य और प्रसन्नता का विषय है।

सफेद शेर वर्षों से रीवा की पहचान थे। उनके लौटने से रीवा का वैभव लौट आया है। उन्होंने सफारी के निर्माण के लिये केन्द्र और प्रदेश सरकार के समन्वित प्रयासों की सराहना करते हुए इसे जन-भावनाओं के प्रति समर्पण का उदाहरण बताया।

वन मंत्री डॉ. गौरीशंकर शेजवार ने कहा कि विन्ध्य क्षेत्र की जनता का इंतजार खत्म हुआ है। विन्ध्य की चाहत थी सफेद शेर का आना। इसके लिए मंत्री श्री राजेंद्र शुक्ला ने मुकुन्दपुर का चयन किया। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी अड़चनों को दूर कर भरपूर सहयोग दिया। इसी प्रकार सेन्ट्रल जू अथॉरिटी, और केन्द्रीय मंत्री द्वय श्री जावड़ेकर तथा श्री तोमर ने भी भरपूर सहयोग दिया।

जनसंपर्क मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि लंबे समय से विन्ध्य के लोगों के मन में ललक थी कि सफेद शेर होना चाहिए। इसे दृष्टिगत रखते हुए पहल की गई और विन्ध्य के गौरव एवं पहचान की वापसी हुई। श्री शुक्ल ने महाराजा मार्तण्ड सिंह के नाम पर मुकुन्दपुर व्हाइट टाइगर सफारी का नाम रखने का आग्रह किया।

विधानसभा उपाध्यक्ष श्री राजेंद्र सिंह ने कहा कि 40 वर्ष के बाद पुनः सफेद शेर की दहाड़ गूँजी है। मोहन विश्व में प्रसिद्ध था। सफेद शेर को मुकुन्दपुर में लाकर इस अंचल

का सम्मान बढ़ाया गया है।

पूर्व मंत्री श्री पुष्पराज सिंह ने श्री राजेन्द्र शुक्ल के प्रयासों की सराहना की। श्री सिंह ने कहा कि व्हाइट टाइगर सफारी को स्थापित करने में उन्होंने अनुकरणीय योगदान दिया है। खजुराहो के बाद मुकुन्दपुर में देशी-विदेशी पर्यटक आयेंगे, जिससे अंचल की आय बढ़ेगी और बेरोजगारी कम होगी।

सतना सांसद श्री गणेश सिंह ने कहा कि जिले को अनुपम सौगात मिली है। रीवा सांसद श्री जनार्दन मिश्रा ने कहा कि विगत दस वर्ष में प्रदेश सरकार ने उल्लेखनीय कार्य किये हैं जिसका सीधा लाभ आम जनता को मिला है।

इस अवसर पर आदिम जाति कल्याण मंत्री श्री ज्ञान सिंह, सांसद सीधी सुश्री रीति पाठक, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री अभय मिश्रा, क्षेत्रीय विधायक, अन्य जन-प्रतिनिधि और आम जनता उपस्थित थी।

विश्व की पहली
व्हाइट टाइगर सफारी
का भ्रमण

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 3 अप्रैल को सतना में विश्व की पहली व्हाइट टाइगर सफारी मुकुन्दपुर के लोकार्पण के बाद केन्द्रीय खान एवं इस्पात मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, केन्द्रीय वन, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर, प्रदेश के वन मंत्री श्री गौरी शंकर शेजवार, ऊर्जा, खनिज साधन एवं जनसम्पर्क मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल, आदिम जाति कल्याण मंत्री श्री ज्ञान सिंह, विधानसभा उपाध्यक्ष डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह तथा सांसद सर्वश्री गणेश सिंह, जनार्दन मिश्रा और श्रीमती रीति पाठक के साथ सफारी का आन्तरिक भ्रमण किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान केन्द्रीय मंत्री द्वय और प्रदेश मंत्रि-परिषद के सदस्य, बैट्री चलित कार में बैठे। कार ऊर्जा मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने ड्राइव की। मुख्यमंत्री और उनकी टीम ने सबसे पहले बंगाल टाइगर के बाड़े के समीप जाकर दो पीले बाघ देखे। इसके बाद सफेद बाघ के जोड़े राधा और रघु के बाड़े में जाकर बाहर से सफेद शेरों का अवलोकन किया। सफेद बाघ रघु पेड़ पर चढ़ने का प्रयास कर रहा था। सफेद बाघ की इन अठखेलियों को देखकर मुख्यमंत्री श्री चौहान एवं मंत्रीगण को रोमांच हुआ। अतिथियों ने भालू के जोड़े के बाड़े का भी निरीक्षण किया। अतिथियों ने बाद में विशेष बन्द बस में बैठकर टाइगर सफारी का भ्रमण कर व्हाइट टाइग्रेस विन्ध्या का दीदार किया। विन्ध्या जब विशेष बस के करीब से गुजरी तो थोड़ी देर बस को रोक कर उसे देखा गया।

ज्ञानार्जन प्रोजेक्ट ने दिलाई मण्डला जिले को राष्ट्रीय पहचान

शैक्षणिक सुधार के लिये मण्डला जिले में लागू नवाचार ज्ञानार्जन प्रोजेक्ट ने राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान बनाई है। विगत दिनों को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में देश के चयनित नवाचारों के संबंध में प्राइम मिनिस्टर रूरल डेव्हलपमेंट फैलोज से वार्ता आयोजित की गई। वार्ता के दौरान पूरे देश के सर्वश्रेष्ठ 24 प्रयासों की सफलता की कहानी की पत्रिका का विमोचन किया गया। पत्रिका के आधार पर सर्वश्रेष्ठ 10 प्रयास की प्रस्तुति प्रधानमंत्री के सामने की गई। इसमें मध्य प्रदेश का एकमात्र प्रदर्शन मण्डला जिले के ज्ञानार्जन प्रोजेक्ट का था। ज्ञानार्जन पूरे मध्य प्रदेश में ऐसा सॉफ्टवेयर बन गया है जिसका प्रदर्शन प्रधानमंत्री रूरल डेव्हलपमेंट फैलोज की राष्ट्रीय वार्ता में शामिल कर प्रदर्शित किया गया। इस प्रोजेक्ट को पीएमआरडी श्रीमती नेहा गुप्ता ने प्रदर्शित किया। प्रस्तुति के दौरान बताया गया कि मण्डला जिला भारत के 20 सबसे कम विकसित जिलों में है। दूरस्थ अंचलों के स्कूलों में शिक्षकों की अनुपस्थिति, समय पर पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं होने और शालाओं में विद्यार्थियों की कम उपस्थिति जैसी समस्याएँ आती रहती हैं। कलेक्टर श्री लोकेश जाटव के नेतृत्व में पीएमआरडीएफ, आदिवासी विकास विभाग, उत्साही शिक्षकों एवं मेधावी छात्रों की भागीदारी से ज्ञानार्जन प्रोजेक्ट शुरू किया गया। प्रोजेक्ट का मूल उद्देश्य जिले के सभी 167 शासकीय हाई एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में बेहतर शिक्षा को सुनिश्चित करना है।

प्रोजेक्ट के जरिये जीपीएस आधारित टेबलेट एवं वेब एप्लीकेशन से नियमित पर्यवेक्षण पद्धति की पहल की गई। इसमें शिक्षकों की ई डायरी, ई अटेन्डेंस और अवकाश संबंधी आवेदन सहित शिक्षकों के अन्य स्वत्वों के निराकरण की व्यवस्थाएँ प्रारम्भ की गई। पहली बार शालाओं में कॉल सेंटर के माध्यम से अभिभावकों से सुझाव लेकर प्रोजेक्ट में सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित की गई। बच्चों के प्रतिस्पर्धात्मक शैक्षणिक परिवेश में वृद्धि के लिये आधुनिक ग्रंथालय, प्रयोगशालाएँ, स्मार्ट क्लासेस प्रारम्भ करने के साथ शिक्षकों द्वारा गणित, विज्ञान और अंग्रेजी जैसे कठिन विषयों पर अन्य विषय की अपेक्षा ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है।

पहली बार सत्रह अजजा बच्चों का जेईई में चयन

मण्डला जिले से पहली बार 2014-15 में इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई में 17 आदिवासी बच्चों का चयन हुआ। अस्सी प्रतिशत से अधिक अंक पाने वाले छात्र-छात्राओं की संख्या बढ़कर 138 हो गई। बोर्ड परीक्षा परिणाम में भी गत वर्षों की तुलना में 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई। विभिन्न व्यावसायिक प्रवेश परीक्षाओं जेईई और एआईपीएमटी के विषय में जो बच्चे नहीं के बराबर आवेदन करते थे उसके स्थान पर इस वर्ष 580 बच्चों ने जेईई परीक्षा एवं 1900 बच्चों ने एआईपीएमटी के फार्म भरे हैं। इन सबका परिणाम है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ज्ञानार्जन प्रोजेक्ट को देश की 31 गुड प्रेक्टिसेस में शामिल कर पुरस्कृत किया गया है।

शाहपुर को टप्पा तहसील बनाने की भी घोषणा

बुन्देलखंड को तीन सौ बहत्तर करोड़ आठ लाख के विकास कार्यों की सौगात

मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने 2 अप्रैल को गढ़ाकोटा के रहस मेले के समापन अवसर पर बुन्देलखंड के विकास कार्यों के लिए 372 करोड़ 8 लाख की सौगात एवं शाहपुर को टप्पा तहसील बनाने की घोषणा की। इन विकास कार्यों में मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत लगभग 9 हजार 400 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई हो सकेगी। इसके अलावा गढ़ाकोटा से जुड़ने वाली सभी सड़कों का उन्नयन कार्य भी किया जायेगा। गढ़ाकोटा में गरीब लोगों के मकानों के लिए 10 करोड की राशि एवं बस स्टेण्ड निर्माण के लिए एक करोड़ रुपये की राशि तथा शाहपुर में बस स्टेण्ड निर्माण के लिए 50 लाख रुपये की राशि का निर्माण कार्य किया जायेगा। उन्होंने कहा कि बुन्देलखंड के विकास के लिए एक रोडमेप तैयार किया जायेगा। बुन्देलखंड की अमीर धरती पर कोई भी गरीब नहीं होगा। श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार प्रदेश में ग्राम उदय से भारत उदय अभियान का शुभारंभ 14 अप्रैल से महू में करने जा रही है। इस अभियान के अंतर्गत प्रत्येक गांव में विकास कार्य एवं किसानों, हितग्राहियों की सूची ग्राम में पढ़कर सुनाई जायेगी। जिस पात्र हितग्राही का नाम उस सूची में नहीं होगा उसका डेढ़ माह के अंदर उसको लाभ दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार एक हैप्पीनेस मंत्रालय बनाने जा रही है जिसमें प्रदेश की जनता को जीवन में आनंद और खुशहाली के लिए योजनाएं तैयार की जायेंगी। खेती लाभ का धंधा बने इसके लिए खेती से संबंधित नये तरीकों जैसे फलों-फूलों की खेती, औषधीय खेती, पशुपालन, दुग्ध संघ, मुर्गी पालन के लिए किसानों को सुविधा मुहैया कराई जायेगी। श्री चौहान ने कहा कि अगले पांच सालों में प्रदेश के किसानों की आय दुगनी हो जायेगी। समारोह में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने रहली-गढ़ाकोटा क्षेत्र के ऐसे अक्षम हितग्राही जो पेंशन लेने बैंक तक नहीं पहुंच पाते उन्हें पी.डी.एस. दुकान के माध्यम से पेंशन राशि दिलाने संबंधी अधिकार पत्र भी 6 हितग्राहियों को सौंपे और इस योजना का जिले में क्रियान्वयन की सराहना की।

श्री चौहान ने सागर में नया दुग्ध संघ बनाने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश के साढ़े सात करोड़ में से पांच करोड़ लोगों को मध्यप्रदेश सरकार एक रुपये किलो गेहूं और एक रुपये किलो चावल मुहैया करा रही है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक के विद्यार्थियों के अलावा सामान्य वर्ग के गरीब बच्चों को भी स्कालरशिप दी जायेगी।

ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह के नेतृत्व में लोकोपयोगी योजनाओं का लाभ क्षेत्र को मिल रहा है जिससे बुन्देलखंड विकास एवं प्रगति की नई ऊँचाईयां एवं नये सोपान की ओर अग्रसर है। कार्यक्रम का संचालन रहस मेले के संयोजक श्री अभिषेक भार्गव ने किया।

सामाजिक समरसता का समागम

रहस मेले में लोगों को लाभ पहुंचाने का प्रयास

प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विकास व सामाजिक न्याय मंत्री श्री गोपाल भार्गव की अगुवाई में गढ़ाकोटा में आयोजित रहस मेले को सामाजिक समरसता के कुंभ के रूप में मनाया गया जिसमें अनेक निःशक्तजनों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उनकी आवश्यकता के अनुरूप चिकित्सकों के परामर्श पर आवश्यक उपकरण व कृत्रिम अंगों का वितरण किया गया। साथ ही कर्मकार मंडल की योजनाओं, मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना और शासन की अनेक योजनाओं के तहत पात्र हितग्राहियों को मौके पर लाभांवित किया गया। मेले में 2381 विभिन्न श्रेणी के निःशक्तों को पंचायत मंत्री श्री गोपाल भार्गव, सांसद श्री लक्ष्मीनारायण यादव व श्री प्रहलाद पटैल ने लाभ वितरित किये।

पंचायत मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने महाराजा मर्दनसिंह जू देव द्वारा स्थापित इस मेले के 212 वें आयोजन को संबोधित करते हुए कहा कि मेला हमारी धरोहर है। इस परंपरा को जीवंत रखना है। भारत का अपना परिवेश व हमारा इतिहास है हमारी विशिष्ट विचारधारा भी है। हम अपने कर्म से आगे बढ़ना चाहते हैं। यह मेला आप सभी का है। मैं तो केवल निमित्त मात्र हूं। उन्होंने ग्रामीणजनों से कहा कि मेले में विभिन्न योजनाओं के स्टाल लगाये गये हैं। आप खुद स्टाल पर जाकर लाभ उठायें। मेले में आप सभी ग्रामीणजन दूरदराज से आये हैं, किसी न किसी योजना में कुछ लाभ लेकर जायें तभी मेले की सार्थकता होगी। सागर सांसद श्री लक्ष्मीनारायण यादव ने कहा कि हमारी सरकार का उद्देश्य देश की जनता की अधिक से अधिक सेवा करना है। देश के किसान की वर्ष 2022 तक आय 5 वर्ष में दुगनी करनी है। हर किसान तक शासन द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ पहुंच जाये। सरकार द्वारा प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत हर खेत को पानी पहुंचाने के प्रयास किये जा रहे हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलाई जा रही है इसका लाभ पहुंचेगा।

इस अवसर पर सांसद श्री प्रहलाद पटेल ने कहा यहां सभी वर्ग के लोग उपस्थित हैं। मैं अपने आपको भाग्यशाली समझता हूं। उन्होंने रहस मेले की 212 वर्ष पुरानी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए मंत्री श्री भार्गव की प्रशंसा की। उन्होंने देश की समृद्धि के लिये गौधन संवर्धन को सशक्त माध्यम बताया। उन्होंने कहा कि आज जैविक खेती की बात की जा रही है। केवल गाय का गोबर ही कृषि जमीन को उपजाऊ बना सकता है। उन्होंने कृषि को लाभ का धंधा बनाने के लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता बताई।

इस अवसर पर बुन्देलखंड विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री रामकृष्ण कुसमरिया ने बुन्देलखंड की इस प्राचीन परंपरा एवं संस्कृति को जीवित रखने एवं नये कार्यों को इसमें जोड़ने के लिए रहस मेले के आयोजकों को धन्यवाद दिया। इस परम्परा को बनाये रखने एवं नई व्यवस्थाओं को हमसे जोड़ने से बुन्देलखंड का विकास होगा। डॉ. कुसमरिया ने जैविक खेती अपनाने के लिए किसानों को प्रेरित किया।

मेले के संयोजक श्री अभिषेक भार्गव ने बताया कि इस रहस मेले को बहुआयामी बनाने की भरसक कोशिश की गई है जिसमें विभिन्न विभागों की शासकीय योजनाओं के तहत इस क्षेत्र के पात्र लोगों को लाभांवित किया जा रहा है। इसके साथ ही विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा प्रदर्शनी स्टाल लगाते हुए लोगों को जानकारी दी जा रही है। इस मेले में दो दिवस के भीतर पात्रतानुसार 12 लैपटाप, 300 बैसाखी, 8 स्वचलित मोटर साईकिल आदि उपकरण उपलब्ध कराये गये हैं। इसके अलावा 2381 निःशक्त लोगों को निःशक्तता प्रमाण पत्र वितरित किये जा चुके हैं।

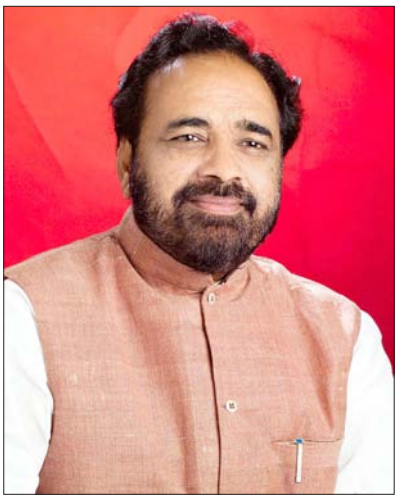

ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता

विधानसभा में 8 मार्च को पंचायत एवं ग्रामीण विकास, सहकारिता, सामाजिक न्याय मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने अपने विभाग की अनुदान मांगों की चर्चा के बाद कहा कि पेयजल संकट से निजात पाने के लिये प्रदेश की ग्राम पंचायतों के लिये 1400 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई। इसमें से 750 करोड़ की प्रथम किश्त जारी कर दी गई है। इसी प्रकार ग्रामीणों के विद्युत भुगतान की भी राशि जमा कर दी गई है। इस साल प्रत्येक ग्राम का समग्र विकास का प्लान बनाया गया है। हर ग्राम स्मार्ट ग्राम बनाया जायेगा। सभी 52 हजार गाँवों को इसमें शामिल किया जायेगा।

श्री भार्गव ने कहा कि किसी भी ग्राम पंचायत को विकास कार्यों के लिये 6 लाख से कम की राशि नहीं दी जायेगी। पिछले साल से डेढ़ गुना अधिक राशि इस वर्ष प्रत्येक पंचायत को उपलब्ध करवाई जायेगी। उन्होंने कहा कि हर विधानसभा क्षेत्र में 80 लाख की लागत से एक-एक सुसज्जित स्टेडियम उपलब्ध करवाया जायेगा। इससे ग्रामीण खेल प्रतिभा में निखार आयेगा। खेल मैदान के साथ उपकरण भी उपलब्ध करवाये जायेंगे। उन्होंने बताया कि सामुदायिक भवन बनवाने का काम किया जा रहा है। भवन अभाव क्षेत्र में 10-10 लाख की लागत से 100 सामुदायिक भवन बनवाये जायेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 6800 पंचायत भवन बनाने का काम किया जा रहा है जिसमें से 2818 पंचायत भवनों का निर्माण हो चुका है। लगभग 4 हजार भवनों का निर्माण प्रगति पर है। पंचायत भवन बनाने के लिये 15 लाख की राशि सीधे पंचायतों को उपलब्ध करवाई जा रही है।

मध्यप्रदेश देश में प्रथम राज्य है जहां 64 हजार किलोमीटर लम्बी सड़क प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में बनवाई गई है। पांच हजार किलोमीटर लम्बी सड़क बनवाने की स्वीकृति जल्द मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में लगभग 14 हजार किलोमीटर सड़क का निर्माण करते हुए 7300 बसाहटों को जोड़ा जा चुका है। इस योजना में निर्मित सड़कों को डामरीकृत करने की योजना में 20 हजार किलोमीटर सड़कों को डामरीकृत किया जायेगा। इस कार्य पर लगभग 3 हजार करोड़ की राशि व्यय होगी।

श्री गोपाल भार्गव ने कहा कि मनरेगा के स्वरूप में सुधार आया है। पिछले वर्ष शत-प्रतिशत 4 हजार करोड़ का व्यय हुआ। इतनी ही राशि इस वर्ष भी खर्च की जायेगी। कपिल धारा योजना में साढ़े तीन लाख कुएं बनाये गये इससे लगभग साढ़े तीन लाख हैक्टेयर जमीन सिंचित हुई।

मध्यान्ह भोजन व्यवस्था के तहत 64 लाख 11 हजार विद्यार्थियों को भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। राज्य में एक लाख 15 हजार 829 प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं में मध्यान्ह कार्यक्रम में लगभग 78 हजार 277 स्व-सहायता समूहों को जोड़ा गया।

श्री भार्गव ने कहा कि प्रदेश को कृषि कर्मण अवार्ड दिलाने में सहकारिता की अहम भूमिका रही है। किसानों को जीरो प्रतिशत ब्याज पर ऋण उपलब्ध करवाने से ही किसानों की प्रगति संभव हो सकी है। अब तो सरकार किसानों को मूलधन पर 10 प्रतिशत राशि की छूट भी दे रही है और बैंकों की घाटा पूर्ति सरकार द्वारा वहन की जा रही है। उन्होंने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड की संख्या वर्ष 2003-04 में प्रदेश की प्राथमिक कृषि साख समितियों के माध्यम से 19 लाख थी, जो अब लगभग 52.38 लाख हो गई है।

बीज उत्पादन के लिये सीड फेडरेशन का गठन 2004 में किया गया था। फेडरेशन अब प्रामाणिक बीज मध्यप्रदेश ही नहीं पूरे हिन्दुस्तान में वितरित कर रहा है। प्रदेश में धान और गेहूं का समर्थन मूल्य पर रिकार्ड उपार्जन हुआ है। किसानों को 25.50 लाख मेट्रिक टन फर्टिलाइजर उपलब्ध करवाया गया है। भारत सरकार के बैंकिंग भर्ती बोर्ड के माध्यम से प्रदेश के 38 जिला सहकारी बैंकों में अधिकारी तथा कर्मचारी उपलब्ध करवाये जायेंगे।

श्री गोपाल भार्गव ने बताया कि मध्यप्रदेश पहला ऐसा राज्य है जहाँ स्पर्श अभियान के माध्यम से 8 लाख से अधिक दिव्यांगजनों का डाटाबेस तैयार कर उसका डिजिटाइजेशन कर दिया गया है। निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन के लिये दम्पत्ति में किसी एक के निःशक्त होने पर 50,000 रुपये एवं दोनों के निःशक्त होने पर एक लाख रुपये एकमुश्त प्रोत्साहन राशि एवं प्रशंसा पत्र दिये जा रहे हैं। योजना में अभी तक 7 हजार निःशक्तजनों के विवाह सम्पन्न कराए गए हैं।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में अब तक कुल 3 लाख 53 हजार 994 कन्याओं के विवाह सम्पन्न करवाये गये हैं। वर्ष 2016-17 में 181.52 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास, सहकारिता, सामाजिक न्याय मंत्री श्री गोपाल भार्गव के जवाब के बाद सदन ने उनके विभाग से संबंधित 20504 करोड़ 67 लाख 90 हजार रुपये की अनुदान मांगों को ध्वनिमत से पारित कर दिया।

मुख्यमंत्री ग्राम हाट योजना ने बदली ग्रामीण हाट बजारों की तस्वीर

प्राचीनकाल से ही भारतीय सामाजिक ताने-बाने में हाटों का विशेष महत्व रहा है। ये हाट हर्ष उल्लास एवं आपसी मेल मिलाप के प्रतीक रहे हैं। एक तरह से ये भारतीय जनमानस में एक परम्परा का भी हिस्सा रहे हैं। ग्रामीण अपनी रोजमर्रा की जरूरतें इन्हीं साप्ताहिक हाटों से पूरी करते आए हैं। यह हाट ग्रामीण महिलाओं एवं पुरुषों को समान रूप से न केवल आजीविका के अवसर उपलब्ध कराते हैं बल्कि इनके लिए घर से बाहर मनोरंजन का साधन भी बनते हैं। भारतीय जनमानस की इसी परम्परा के तहत उनकी आजीविका एवं मनोरंजन को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा इन हाटों को सुव्यवस्थित एवं सुसज्जित करने के साथ-साथ एक निश्चित स्थान पर आजीविका उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री ग्राम हाट योजना को अमलीजामा पहनाया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों की जनता एवं व्यापारियों की सुविधा के उद्देश्य से अमल में लाई गई इस योजना ने ग्रामीण हाटों की तस्वीर बदलने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है।

ग्रामीण हाटों में अधोसंरचना की आवश्यकता - प्रदेश में उत्पाद के विपणन एवं प्रचार-प्रसार हेतु नगरीय क्षेत्रों में अनेक हाट बाजार विकसित किये गए हैं। इन हाटों में ग्रामीणों का निरन्तर रहकर अपने उत्पाद का विक्रय करना किफायती एवं लाभदायक नहीं रहा है। इन हाटों में ग्रामीणों व्यापारियों का अत्यधिक समय एवं श्रम व्यर्थ होता है। इसलिए इन्हें अपने ही क्षेत्रों में लाभ दिलाने के लिए ग्रामीण हाटों को विकसित करने की आवश्यकता महसूस की गई जिससे कि ग्रामीण उत्पादक नियत दिन इन हाटों में सम्मिलित होकर न केवल आय अर्जित कर सकें बल्कि उसी दिन अपने ग्राम भी वापस जा सकें।

प्रदेश के लगभग 52,000 ग्रामों में से लगभग 2 हजार ग्रामों में साप्ताहिक हाट बाजार लगते हैं। यह हाट बाजार सामान्यतः आसपास के 8 से 10 ग्रामों को जोड़ने वाले मुख्य मार्गों पर लगते हैं।

इनमें से अधिकतर ग्रामों में इन घरों के लिए न तो स्थान चिन्हित किया गया और न ही सामग्री विक्रय हेतु विक्रेता ग्रामीणों को बैठने अथवा शेड आदि की व्यवस्था थी। इन घरों में खुले स्थानों में सामान बेचने वाले विक्रेताओं को अत्यधिक धूप व वर्षा से परेशानी का सामना करना पड़ता था। एक अनुमान के मुताबिक इन ग्रामीण हाट बाजारों में प्रत्येक सप्ताह लगभग पचास लाख ग्रामीण जन सम्मिलित होकर व्यापारिक गतिविधियों का निष्पादन करते हैं। प्रदेश सरकार द्वारा वर्षों से यह परेशानी झेल रहे ग्रामीणों के लिए इस योजना से सुलभ एवं समुचित व्यवस्था

बुरहानपुर के चापोरा में है सुविधाओं का हाट बाजार

मध्यप्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री हाट योजना को जिला बुरहानपुर की चापोरा ग्राम पंचायत में धरातल पर उतारा गया है। व्यापारियों के बैठने के लिए सुव्यवस्थित चबूतरे (प्लेटफार्म), उनके बीच में सीमेंट कांक्रीट की सड़क, स्थायी दुकानें, बची सामग्री रखने के लिए भंडारगृह, पानी, पार्किंग व प्रसाधन सहित वे सभी सुविधाएं जो एक आदर्श हाट बाजार को परिभाषित करती हैं। वर्षों से खुले में अत्यधिक धूप, वर्षा व कीचड़ के कारण कच्ची सड़क पर चलने में परेशानी झेल रहे चापोरा के ग्रामीणों एवं व्यापारियों को इस योजना से काफी लाभ मिल रहा है।

जिला बुरहानपुर के ग्राम चापोरा में मुख्यमंत्री ग्राम हाट बाजार योजना के तहत राशि रु. 49.68 लाख की लागत से हाट का निर्माण जुलाई 2015 में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा किया गया है। हाट में निर्माण के अंतर्गत 60 चबूतरे एवं इनके बीच पर्याप्त जगह एवं पेविंग ब्लाक का कार्य किया गया है जिससे व्यापारियों को दुकान लगाने में सुविधा हुई है। व्यवस्थित बाजार में अब ग्राहकों को सामग्री क्रय करने में सुविधा हो रही है। हाट में जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं के लिए 6 दुकानों का निर्माण किया गया है जिसमें छत के नीचे रखकर इसे विक्रय की सुविधा उपलब्ध हुई है।

चापोरा के बाजार में व्यापारियों की शेष सामग्री/सब्जियों के लिए एक भण्डारगृह, सड़कों के बीच में पानी की निकासी की सुलभ व्यवस्था की गई है। हाट में आने वाले व्यापारियों एवं ग्रामीणों के लिए व्यवस्थित पार्किंग सहित महिलाओं व पुरुषों के लिए अलग-अलग प्रसाधन की व्यवस्था ग्राम चापोरा के हाट बाजार को अन्य बाजारों से अलग पहचान दिला रही है। वहीं हाट का सुचारु रूप से संचालन करने के लिए योजना के माध्यम से कार्यालय भवन का निर्माण भी किया जा रहा है।

उपलब्ध कराई जा रही है.

सुविधाएं जो बदल रहीं तस्वीर - प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री ग्राम हाट योजना द्वारा प्रदान की जा रही सुविधाओं से ग्रामीण क्रेता एवं विक्रेताओं के जीवन में उल्लेखनीय परिवर्तन देखने को मिल रहा है। इस योजना से उन्हें न केवल सुनिश्चित आजीविका के अवसर मिल रहे हैं बल्कि उच्च गुणवत्ता का वातावरण भी उपलब्ध हो रहा है। एक नजर में सुविधाएं -

छोटे सब्जी विक्रेता एवं अन्य दैनिक उपयोग की वस्तुओं के विक्रेताओं के लिए (8x6) मीटर के 50 पक्के प्लेटफार्म जिनमें दीवारें नहीं हैं परन्तु प्युस्लर स्ट्रक्चर पर पीपीजीआई की छत निर्मित की जा रही है।

अन्य बड़े व्यापारियों के लिए (3.60x4.40) मीटर के 5 चबूतरे तथा अपेक्षाकृत कुछ अन्य बड़े व्यापारियों के लिये (6.30x3.60) मीटर के 5 चबूतरों का निर्माण किया जा रहा है।

हाट समाप्ति के पश्चात व्यापारियों का सामान रखने के लिए (5x4) मीटर का भंडारगृह (गोडाउन) तथा हाट का कामकाज देखने के लिए एक छोटे कार्यालय का निर्माण किया जा रहा है। यह कार्यालय ग्राम पंचायत के अधीन रहेगा।

सभी चबूतरों के बीच 6 फीट चौड़ाई के पक्का कांक्रीट रोड की व्यवस्था की जा रही है।

उन ग्रामों में जहां हाट बाजार नहीं लगते हैं परन्तु दुकान खुले में लगती है वहां 10 लाख राशि से 8 स्थायी दुकानों का निर्माण

क्र.	ग्राम का प्रकार	अनुमानित संख्या	अनुमानित लागत (रु. लाख में)	अनुमानित कुल राशि (रु. करोड़ में)
1	2	3	4	5
(अ)	1 बड़े ग्राम	1000	50.00	500.00
	2 मध्यम ग्राम	600	40.00	240.00
	3 छोटे ग्राम	400	30.00	120.00
	कुल	**2000**		**860.00**
(ब)	स्थायी दुकानें	1000	10.00	100.00
			महायोग	**960.00**

उपरोक्तानुसार निर्माण कार्य चिन्हित भूमि की उपलब्धता (क्षेत्रफल) के आधार पर प्राकलन की लागत अनुसार किये जा रहे हैं।

हाट योजना से ग्रामीणों के जीवन में आ रहा बदलाव

- ग्रामीण विक्रेताओं को सामग्री विक्रय एवं भंडारण की सुविधा से व्यापार एवं आय में वृद्धि हो रही है।
- योजना से व्यापारियों एवं ग्रामीणों का अत्यधिक धूप एवं वर्षा से बचाव हो रहा संभव।
- ग्रामीण अधोसंरचना में साफ सफाई की समुचित व्यवस्था से जीवन स्तर में हो रहा सुधार।
- महिलाओं व बच्चों को विशेष सुविधाओं के साथ-साथ मिल रही सुरक्षा।
- योजना का ग्रामीण अंचलों में उत्तम वातावरण देने में अहम योगदान।

• सचिन गंगराड़े

स्व-कराधान योजना

कोदरिया पंचायत ने तेईस लाख रुपये की राशि एकत्र कर बनाया कीर्तिमान

महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत गाँवों का देश है और भारत की आत्मा गाँवों में बसती है। देश का विकास तब तक नहीं होगा जब तक गाँव प्रगति नहीं करेंगे। गाँव के विकास के लिए जरूरी है गाँवों का आर्थिक और आत्मनिर्भर होना। वे कहते थे कि ग्राम-राज से स्वराज की स्थापना हो। महात्मा गाँधी ने स्वतन्त्रता आन्दोलन के साथ-साथ ग्राम स्वराज के लिए भी जागृति फैलाई।

इंदौर और ग्रामीण इंदौर जागरूक क्षेत्र हैं वहाँ नगर निगम की तरह ग्राम पंचायतों को भी आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है ताकि स्व-कराधान के जरिये वे खुद अपने आंतरिक आर्थिक स्त्रोत तैयार कर सकें। आशा है जिले की 312 पंचायतें आत्मनिर्भर बनेंगी। इसकी शुरुआत सिमरोल और कोदरिया से हो गई है जिसमें लगभग 30 लाख रुपये की आय हो चुकी है। कोदरिया महू के पास लगा हुआ एक बड़ा कस्बानुमा गाँव है जहाँ की युवा सरपंच श्रीमती अनुराधा जोशी कहती हैं कि उन्होंने जल कर, संपत्ति कर, बिजली कर के नियमित नोटिस जारी किये, हमने नियम बना दिया कि जिनको भी पंचायत से कोई प्रमाण-पत्र चाहिए पहले वो अपने बकाया टैक्स जमा करें। हमने कोदरिया में व्यावसायिक कर और सफाई कर भी लगाया। परिणाम यह रहा कि हमने 23 लाख रुपये के कर एक साल में वसूल किये। इंदौर कलेक्टर श्री पी. नरहरि का कहना है कि जिला पंचायत द्वारा एक सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है जिसके माध्यम से ग्राम पंचायतें स्वयं ही कर आरोपित कर, कर वसूल कर लेंगी। कलेक्टर श्री नरहरि का कहना है यह पहल ग्राम पंचायतों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने की प्रक्रिया है। कोदरिया

ग्राम पंचायत एक उदाहरण है पंचायतों के लिए जहाँ अकेली एक पंचायत ने एक ही वर्ष में 23 लाख रुपये की वसूली कर ली है। अधिक से अधिक राशि वसूलने वाली पंचायतों को जिला पंचायत और जिला प्रशासन पुरस्कृत करेगा।

सरपंच अनुराधा जोशी का कहना है कि हम इस कार्य में सतत लगे हुए हैं, हमने दो कर्मचारी भी सिर्फ इस काम के लिए अलग से नियुक्त किये हैं। एक महती इच्छा है कि जल्दी ही हम स्व-रोजगार पैदा करने के लिए कार्ययोजना को मूर्त रूप देने वाले हैं। अनुराधा जोशी का मानना है कि हमारे 73-74वें संविधान संशोधन में उल्लेख है कि नगरीय निकायों के साथ-साथ ग्राम पंचायतों को भी अधिक सशक्त और आत्म निर्भर बनाया जाना देश के विकास के लिए बेहद जरूरी है।

कोदरिया एक जागरूक ग्राम पंचायत है, यह आलू चिप्स का एक बड़ा व्यावसायिक-व्यापारिक केंद्र भी है। ग्राम पंचायत कोदरिया की सरपंच श्रीमती अनुराधा जोशी ने बताया कि मिले-जुले प्रयासों से गर्मी के मौसम में पेयजल के संकट को देखते हुए 3 बोरिंग कोदरिया में लगाए जा रहे हैं उसी के साथ-साथ पानी के रिचार्जिंग हेतु 4 रिचार्जिंग बोरिंग भी स्वीकृत कराये गए हैं।

इस कार्य में जिला पंचायत अध्यक्ष सुश्री कविता पाटीदार, जनपद अध्यक्ष लीला संतोष पाटीदार के साथ जिला प्रतिनिधि ललित निनामा और जनपद प्रतिनिधि संगीता जी तम्बोली का हमें विशेष सहयोग प्राप्त हो रहा है। अनुराधा जोशी का मानना है कि सरपंच का यह दायित्व भी है कि वह जन-प्रतिनिधि होने के नाते अपनी ग्रामीण जनता को कर देने का महत्त्व समझायें।

हमने 20 लाख की वसूली मात्र कुछ माह की मेहनत से ही कर ली थी अभी यह राशि 23 लाख के आसपास हो गई है। मैं इसका श्रेय अपने क्षेत्र के उन लोगों को देना चाहती हूँ जिन्होंने मेरी हर बात को समझा और अपने दायित्व का पालन किया। यदि जनता सहयोग न करे तो कोई अकेला कुछ नहीं कर सकता यह सब एक तरह से टीम वर्क है।

● **रुचि बागड़देव**

स्व-कराधान प्रोत्साहन योजना

पंचायतराज अधिनियम में त्रिस्तरीय पंचायतों को अपने क्षेत्र में अपने स्तर पर कर लगाने और वसूलने के अधिकार दिये गये हैं। पंचायतें सरकारी बजट पर निर्भर न होकर स्वयं के आय स्रोत विकसित करें और कर से प्राप्त राशि का उपयोग अपनी पंचायत को मजबूत करने में करें, इसी उद्देश्य से स्व-कराधान प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की गयी। इसमें पंचायतें अपनी सम्पत्तियों पर और अपने क्षेत्र में लगने वाले मेलों, हाट बाजारों और व्यवसायों पर करारोपण करती हैं। स्व-कराधान प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत जिला, जनपद और ग्राम पंचायतों को अपने स्तर पर कर लगाने और वसूलने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। स्व-कराधान से प्राप्त राशि का उपयोग पंचायतें अपने क्षेत्र में पंचायत भवन निर्माण, सड़क निर्माण और विकास कार्यों में कर सकती हैं।

प्रोत्साहन : 5 लाख रुपये या उससे अधिक स्व-कराधान वसूली करने वाली ग्राम पंचायतों को 50-50 लाख रुपये प्रोत्साहन राशि। 1 लाख रुपये से 5 लाख रुपये तक स्व-कराधान वसूलने वाली ग्राम पंचायतों को 25-25 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि। 50 हजार रुपये से 1 लाख रुपये तक स्व-कराधान वसूली करने वाली ग्राम पंचायतों को 15-15 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि। 10 हजार से 50 हजार तक की स्व-कराधान वसूली करने वाली ग्राम पंचायतों को 6-6 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि। 10 हजार से कम स्व-कराधान वसूलने वाली ग्राम पंचायतों को 3-3 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जायेगी।

स्व-कराधान प्रोत्साहन राशि का उपयोग - ऐसी ग्राम पंचायतें जो भवन विहीन हैं, अपना पंचायत भवन प्राथमिकता के आधार पर संलग्न मॉडल तथा नक्शा जो कि आर.डी.पी.एस.ए. योजनांतर्गत अनुमोदित है, के अनुसार 12.00 लाख तक की लागत से तथा आंगनवाड़ी भवन 7.00 लाख तक की लागत से निर्मित कर सकती हैं। नाली सहित सीमेंट रोड, सीमेंट की गली जल निकास के लिये नालियों का निर्माण और नल-जल निस्तारण के कार्य तथा ग्रामों और एवं मजरे-टोलों को जोड़ने के लिये मार्गों का निर्माण मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के मापदण्ड अनुसार अथवा आवश्यक हो तो मनरेगा के साथ अभिसरण कर सकती हैं।

आपकी पंचायत आपके द्वार

इंदौर जिले के महू जनपद की कोदरिया ग्राम पंचायत की सरपंच श्रीमती अनुराधा जोशी ने मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की परिकल्पना आपकी सरकार आपके द्वार को मूर्त रूप देते हुए सरपंच के दायित्व ग्रहण करने के उपरांत कोदरिया ग्राम पंचायत के एक वर्ष पूर्ण होने पर आपकी पंचायत आपके द्वार अभियान चलाया। इसके तहत सरपंच ने स्वयं घर-घर जाकर लोगों की समस्याओं को जाना-समझा और तुरंत निराकरण के लिए कदम बढ़ाए। उल्लेखनीय है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने हाल ही में ग्रामोदय से भारत उदय अभियान की घोषणा की है इसका शुभारंभ 14 अप्रैल को महू से होगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने इस अभियान की तैयारियों की स्वयं समीक्षा की है और निर्देश दिये हैं कि अभियान के दौरान यह सुनिश्चित हो कि सभी योजनाओं का लाभ प्रदेश के हरेक पात्र हितग्राही को मिले। पात्र लोगों को लाभ पहुंचाने के इस अभियान के पूर्व कोदरिया सरपंच द्वारा अपनी पंचायत में भ्रमण कर समस्याओं की जानकारी एकत्र करना ग्रामोदय से भारत उदय अभियान श्रृंखला का एक पक्ष साबित हो सकता है। ग्राम उदय के लिये त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की पहली इकाई ग्राम पंचायत की अहम भूमिका है। अतः इस लिहाज से देखा जाये तो "आपकी पंचायत आपके द्वार" कार्यक्रम से जन-जन की समस्याएं एकत्रित करने से ग्राम विकास योजना बनाने और हितग्राहियों को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से आधारभूत जानकारी प्राप्त हुई है। कोदरिया में इस कार्यक्रम की शुरुआत ग्राम पंचायत भवन से की गयी। मुख्य अतिथि राधेश्याम यादव, विशेष अतिथि जनपद अध्यक्ष लीला पाटीदार, रामकिशोर शुक्ला, मंडल भाजपाध्यक्ष दिनेश पटेल, नगर अध्यक्ष करणसिंह ठाकुर, संतोष पाटीदार आदि थे। अध्यक्षता जिला ग्रामीण अध्यक्ष अशोक सोमानी ने की। प्रत्येक घर पर संपर्क कर जानकारियों से संबंधित परचों का वितरण करने के साथ लोगों की समस्याएं सुनी गईं। सरपंच अनुराधा जोशी ने बताया कि भोले विहार, गुरुकुल, सुखसागर कालोनियों के रहवासियों ने पंचायत द्वारा जलप्रदाय नहीं किए जाने की परेशानियां बताईं वहीं अन्य ने नाली निर्माण, सफाई, बिजली के स्थायी कनेक्शन, बिजली के खंभे आदि लगाने की मांग की जिसका तुरंत निराकरण कर दिया जायेगा।

● रीमा राय

कोदरिया ग्राम पंचायत में एक वर्ष में किये गये कार्य

- ग्राम में स्ट्रीट लाइट लगाई गई।
- मध्यप्रदेश की प्रथम आई.एस.ओ. पंचायत होने का गौरव प्राप्त किया व खुले में शौच मुक्त पंचायत।
- तीन आँगनवाड़ियों का निर्माण पूर्णता की ओर व दो आँगनवाड़ी प्रस्तावित।
- शताब्दी पुरम में बल्लियों पर से स्ट्रीट लाइट हटाकर बिजली के पोल लगाकर विद्युत सप्लाइ व्यवस्थित की गई।
- केशवनगर की कॉलोनी में एक नई डीपी और लगवाई।
- सी.सी. रोड, अयोध्यापुरी व शताब्दीपुरम में से सी.सी. रोड बनाई। नारायण कॉलोनी में स्वीकृत निर्माण शीघ्र।
- नाली निर्माण व ड्रेनेज विभिन्न कॉलोनियों में अयोध्यापुरी, केशव नगर, लोधी मोहल्ला, मालवीय मोहल्ला वार्ड नं. 1 न्यू कॉलोनी।
- जनभागीदारी से माज़दा पार्क में नाली व पुलिया का निर्माण व सी.सी. रोड प्रस्तावित।
- पुलिया निर्माण व स्कूल चौराहा सहित विभिन्न जगह छोटी-छोटी पुलियाओं का निर्माण।
- पशु चिकित्सालय भवन का निर्माण शीघ्र प्रारम्भ।
- आदिवासी सामुदायिक भवन की बाउण्ड्रीवॉल।
- चोरल पंप जल योजना के तहत पेयजल पाइप डालना।
- अवैध शराब निर्माण के खिलाफ निरन्तर महिलाओं को जागृत कर शराब बंदी की पहल।
- कुपोषित बच्चों को पंचायत द्वारा गोद लेकर उनका समुचित ध्यान रखा जा रहा है।
- ग्राम की वेबसाइट शीघ्र शुरू होगी।
- सफाई व पेयजल पर विशेष ध्यान।
- चोरल पेयजल की पाइप लाइन को दोनों टंकियों से जोड़ना।
- 700 परिवारों को खाद्य सुरक्षा प्रदाय की।

समूह की महिलाओं ने दो किलोमीटर दूर से पानी लाकर खेतों को किया हरा

झाबुआ जिले के गोपालपुरा ग्राम की महिलाओं ने साबित कर दिया है कि अगर सामूहिक प्रयास किये जायें तो बंजर जमीन को भी हरा किया जा सकता है। महिलाओं द्वारा स्वयं की बचत से डाली गई पाइप लाइन से अब गांव की 25 बीघा जमीन उपजाऊ बन गई है। महिलाओं के प्रयासों से पाइप में बह रहे पानी से 17 परिवारों के चेहरों पर खुशियों की फसल को लहलहाते देखा जा सकता है।

म.प्र. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत मेघनगर विकासखण्ड के ग्राम गोपालपुरा में 15 स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से 170 परिवारों को जोड़ा गया है। मिशन अंतर्गत किये गये प्रयासों एवं उन्मुखीकरण के माध्यम से अब महिलाएं सामुदायिक गतिविधि कर आजीविका के संसाधनों को बेहतर करने में लगी हैं। इसी के तहत ग्राम की 17 महिलाओं ने अपने समूह के माध्यम से 3 पाइप लाइन बिछाकर अपने अलग-अलग दिशा में फैले 25 खेतों को सिंचित कर लिया है। यह वह खेत हैं जो गत वर्ष पानी न होने के कारण सूखे रह गये थे।

ग्राम में गठित महिला, सीता एवं झांसी रानी महिला स्वयं सहायता समूह की 17 महिलाओं ने समूह बैठक में अपने खेत में पानी की समस्या पर चिंता जाहिर की। चर्चा में निराकरण के रूप में समूह की महिलाओं ने निर्णय लिया कि समीप से बहने वाली नदी में उपलब्ध पानी को खेतों में पहुंचाकर हरियाली को बरकरार रखा जा सकता है। इसी के तहत तीनों स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं ने अपने-अपने क्षेत्रों तक पाइप लाइन बिछाने एवं नदी पर मोटर लगाने का निर्णय लिया। इसके लिए समूह की बचत एवं बैंक से मिली ऋण राशि के माध्यम से योजना को अमली जामा पहनाने का कार्य किया गया। प्रति लाइन पर 1.80 लाख के मान से 5.40 लाख की लागत आंकलित की गई। इन समूहों ने बैंक से प्राप्त ऋण राशि के साथ स्वयं की भी राशि के उपयोग का निर्णय लिया। इस लाइन पर व्यय हुए 05 लाख 40 हजार में 04 लाख 20 हजार ऋण के माध्यम से एवं 1 लाख 20 हजार परिवारों से सीधे लेकर कार्य किया गया है। चूंकि समूह की सभी महिलाओं के पास खेत नहीं था, अतः पाइप लाइन पर आने वाली लागत को उपयोग करने वाले परिवारों के मध्य ऋण विभक्त किया गया। वर्तमान में पाइप लाइन के माध्यम से सीता समूह के छः, झांसी समूह के दो एवं महिला बचत समूह के छः परिवार इसका लाभ उठा रहे हैं। झांसी समूह ने अपने समूह के अलावा लक्ष्मी समूह एवं वीर तेजाजी समूह की भी 3 महिलाओं के खेतों को पानी देने में सहमति देते हुए ऋण राशि को उनमें भी बराबर विभाजित किया है।

बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार नदी पर लगाई गई मोटर की सुरक्षा के लिए प्रतिदिन एक सदस्य चौकीदारी करता है। पानी का वितरण भी बारी-बारी से परिवारों को किया जाता है। महिलाओं ने अपने खेत में गेहूं, मक्का, चना के अलावा सब्जी की फसल बोई है। वर्तमान में इस सिंचाई सिस्टम के माध्यम से 17 परिवारों की 25 बीघा जमीन सिंचित हो रही है जिसके माध्यम से प्रति परिवार को 3 माह में 20 से 50 हजार की अतिरिक्त आय प्राप्त हो सकेगी। वर्तमान में कुछ परिवारों ने सब्जी के माध्यम से आय लेना प्रारंभ कर दिया है जिसके आधार पर 10 हजार तक की आय अर्जित कर चुके हैं।

स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का एक सफल प्रयास

मंडला जिला मध्यप्रदेश का आदिवासी बाहुल्य जिला है। लावर माल ग्राम जो कि मंडला जिले से 27 किलो मीटर की दूरी पर स्थित है। यहां लगभग 92 परिवार जिसमें कुछ पिछड़ा वर्ग व आदिवासी जाति के लोग निवास करते हैं। यहां के लोगों की मुख्य आजीविका कृषि एवं मजदूरी है। मजदूरी के लिये इन्हें दूर-दूर तक काम की तलाश व अन्य शहर में पलायन करना पड़ता है। 2011 में आसा संस्था के द्वारा मंडला जिले के लावर ग्राम में कृषि को लाभ का धंधा बनाने हेतु कार्य की शुरुआत की गयी। इसी के अंतर्गत ग्राम में जगह-जगह टोला बैठक कर महिलाओं के विषय पर चर्चा की गयी जिसमें महिलाओं से यह ज्ञात किया गया कि आप लोग ग्राम से जुड़ी महिलाओं की जुड़ी समस्या पर आपस में या ग्राम सभा में चर्चा करती हैं तो यह ज्ञात हुआ कि नहीं। शासन की योजनाओं के विषय में भी इन महिलाओं को कोई जानकारी नहीं थी। बचत के विषय पर चर्चा की गयी तो नहीं में ही जवाब मिला। कभी पैसे की जरूरत पड़ती है तो यह जवाब मिला कि गाँव की बड़े जमींदार व शहर के सेठ साहूकार से अधिक ब्याज दर पर कर्ज लेते हैं या सेठ साहूकार के यहाँ पर अपने गहने गिरवी रखकर पैसा उधार लेते हैं और जमीन को भी गिरवी रखते हैं। चर्चा के दौरान उन्हें समूह के विषय बताया गया तो गाँव की कुछ महिलाओं ने रुचि दिखाई। इसके बाद इनका समूह गठन किया गया जिसमें समूह के प्रति सदस्यों से 11 रुपये की राशि ली गई । जो कि उसी समूह में रखी गई। इसके बाद समूह की सर्वसम्मति से सभी की मासिक बचत जो कि प्रति सदस्य 40 रुपये तय की गई। तत्पश्चात् 3 माह में प्रथम ग्रेडिंग की गई जिसमें सभी समूहों की उपस्थिति का प्रतिशत, रुचि व सभी का लेन-देन अच्छा हो रहा कि नहीं इन सभी नियमों को देखा गया। इसके बाद उनका खाता उनके गांव के नजदीक की बैंक सतपुड़ा नर्मदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा बकोरी में खोला गया। इसमें अध्यक्ष व सचिव को इस खाता का संचालन कर्ता रखा गया जिसमें सभी सदस्य अपनी माह की बचत राशि बैंक से अपना लेन-देन करने लगे व लेखा-संधारण का कार्य स्वयं करने लगे। इसके पश्चात् समूह की 6 माह की ग्रेडिंग की गई व उन्हें म.प्र.ग्रा.आ.मि. के तहत रिवाल्विंग फंड दिलाया गया जिसकी राशि 15000 रुपये थी। समूह ने प्रगति की और वर्तमान में यह समूह वैज्ञानिक तरीके से एस.डब्ल्यू.आई.ए.एस.आर.आई., सब्जी उत्पादन, कम्पोजिट नर्सरी मेड़ बंधान, आदि कार्यक्रम में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करता है।

सफलता व परिणाम :- वर्तमान में समूह की कुल बचत 12820 रुपये है। समूहों की छोटी-छोटी आवश्यकता की पूर्ति होने लगी है जिससे उन्हें सेठ-साहूकारों से कर्ज नहीं लेना पड़ता है व उनकी जमीन भी गिरवी नहीं रखनी पड़ती है। सभी सदस्यों की बचत होने लगी है जो कि उनके भविष्य में काम आयेगी। समूह के माध्यम से इनकी स्वयं की पहचान बनी व इन्हें सरकार के द्वारा दी जाने वाली अन्य योजनाओं के बारे में आवश्यकताओं की पूर्ति समूह से की जाती हैं। समूह में समझ विकसित होने से अन्य गतिविधियों के माध्यम से इनकी आजीविका के नये स्त्रोत बने हैं।

प्रस्तुति : नेमचंद जादव

महिला ग्राम संगठन अध्यक्ष श्रीमती गंगा बारिया का कहना है कि इन पाइपों के माध्यम से आगामी वर्षों में भी सिंचाई की सुविधा प्राप्त हो सकेगी। साथ ही अगर दूसरे किसान भी चाहेंगे तो उन्हें भी पानी बेचकर लाभ कमाया जा सकता है। श्रीमती गंगा बारिया का कहना है कि गत वर्ष इस जमीन पर पानी न होने के कारण कोई भी फसल नहीं ली जा सकी थी। इस साल फसल के साथ पशुओं को पानी एवं चारा प्राप्त हो रहा है। मिशन के माध्यम से समूह बनने से महिलाएं खासी उत्साही हैं। महिलाओं का कहना है कि अगर अलग-अलग रहते तो यह पाइप लाइन बिछाने की सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन सबके साथ आने से हिम्मत आई और सफलता से साथ काम कर पाये।

महिलाओं के इन प्रयासों की थांदला विधायक श्री कलसिंह भाबर ने भी सराहना की है। 15 फरवरी, 2016 को ग्राम में आयोजित ग्राम संगठन की बैठक में क्षेत्र के विधायक ने महिलाओं की मांग पर नदी किनारे एक डी.पी. लगाने का आश्वासन दिया, ताकि मोटर चलाने में महिलाओं को सुविधा मिल सके।

जिला परियोजना प्रबंधक श्री आशीष शर्मा का कहना है कि मिशन का उद्देश्य महिलाओं को समूह के माध्यम से संवहनीय आजीविका से जोड़ना है। व्यक्तिगत गतिविधियों के साथ मिशन में सामूहिक गतिविधियों के प्रति प्रयास जारी हैं जिसके परिणाम विभिन्न ग्रामों में सामने आ रहे हैं।

● संजय सक्सेना

पंचायत राज विधान एक नजर में

गांवों के विकास के बिना देश के विकास की बात करना या योजना बनाना बेमानी है इसीलिए ग्राम पंचायतों को ग्रामीण क्षेत्रों में स्वशासन की प्रमुख इकाई के रूप में स्थापित किया गया। सामुदायिक विकास में पंचायतों को रीढ़ की हड्डी माना गया है। संविधान में चौथे भाग में अनुच्छेद 40 में 'राज्य की नीति के निर्देशक तत्व' में भी ग्राम पंचायत के संगठन का उल्लेख है।

15 अगस्त 1947 को जैसे ही हमारा देश आजाद हुआ, देश के कर्णधारों ने भारत का नक्शा फैलाकर विकास की योजनाएं एवं ताना-बाना बुनना शुरू किया, वैसे ही उनके माथे पर बल पड़ गये। कारण यह है कि देश के तीन-चौथाई भारतवासी गांवों में निवासरत थे। गांवों के विकास की योजना के बिना देश की विकास की योजना बनाना या बात करना बेमानी महसूस हुई। परिणामस्वरूप 1952 में ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक विकास के लिए विकासखण्ड स्थापित किए। विकासखण्डों को इकाई मानकर ग्रामीण विकास की योजनाएँ लागू की गईं। चूंकि पुरातन समय से देश में पंचायतें काम कर रही थीं इसलिए सामुदायिक विकास में इन पंचायतों को रीढ़ की हड्डी माना गया है। इन पंचायतों को विकासखण्ड अधिकारी के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में अपना कार्य करने के लिए निर्देशित किया गया और विधिक स्वरूप प्रदान किया गया। ग्राम पंचायतों को ग्रामीण क्षेत्र में स्वशासन की प्रमुख इकाई के रूप में स्थापित किया गया। स्थानीय शासन से अभिप्राय ऐसी शासन प्रणाली से है, जिसके अनुसार स्थानीय क्षेत्र का शासन वहां के लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। यह ऐसी शासन पद्धति होती है जिसमें प्रायः स्थानीय लोगों द्वारा स्थानीय हितों की प्राप्ति के लिये प्रयास किए जाते हैं। स्थानीय शासन की संस्थाओं को एक सीमित क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करना होता है और जनता के लिए मूलभूत सुविधाएँ प्रदान करनी पड़ती हैं। यह स्थानीय क्षेत्र एक गांव, कस्बा, नगर या

महानगर होता है। स्थानीय निकायों को राष्ट्रीय या राज्य सरकारों के नियंत्रण में रहते हुए अपने स्थानीय शासन को चलाना होता है तथा कृत्य और दायित्वों का निर्वहन करना होता है।

भारत के संविधान का अनुच्छेद-40 ग्राम पंचायतों का संगठन - 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात् सन् 1950 में भारत का संविधान अंगीकृत किया गया। "राज्य की नीति के निर्देशक तत्व" नामक संविधान के चौथे भाग में अनुच्छेद 40 द्वारा ग्राम पंचायतों के संगठन का निदेश दिया गया है।

राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिये कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हैं।

म.प्र. गठन के पूर्व की स्थिति - भारत के कुछ राज्यों में पंचायतों का गठन संविधान के अंगीकरण के बहुत पहले से ही था और वे सुचारु रूप से कार्य कर रही थीं। मध्य भारत के ग्वालियर क्षेत्र में यह प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था और पंचायत बोर्ड, परगना बोर्ड तथा जिला बोर्ड नामक संस्थाएँ विभिन्न प्रकार के अधिकारों से युक्त होकर सफलतापूर्वक कार्य कर रही थीं। मध्य भारत बनने के पश्चात् सन् 1949 में मध्य भारत पंचायत विधान पारित किया गया और पहले की व्यवस्था अधिक विस्तृत आधार पर चालू रखी गई। पूर्व मध्यप्रदेश में पंचायत अधिनियम, 1946 तथा स्थानीय शासन अधिनियम, 1948 द्वारा विधिक स्तरों पर पंचायतों का गठन किया गया था। विंध्यप्रदेश क्षेत्र में पंचायत अध्यादेश, 1949 द्वारा पंचायतों की स्थापना की गई थी। भोपाल क्षेत्र में यह कार्य भोपाल राज्य पंचायत राज अधिनियम, 1952 द्वारा प्रारंभ हुआ था। सिरोंज क्षेत्र में पंचायतों का गठन राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1953 द्वारा किया गया था। 1962 के पंचायत अधिनियम के अंतर्गत पंचायतों के गठन के पूर्व नवीन मध्यप्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में 12,533 ग्राम पंचायतें और 1,877 न्याय पंचायतें कार्य कर रही थीं, परन्तु उनकी कार्य प्रणाली, अधिकार और कार्य क्षेत्र उनको निर्मित करने वाले अधिनियमों के उपबंधों के अनुसार भिन्न-भिन्न थे। यह आवश्यक था कि समस्त राज्य में एक ही अधिनियम के अधीन भारत के संविधान के अनुच्छेद 40 के अनुरूप, विस्तृत आधार पर ग्रामों में पंचायत संगठन स्थापित किए जाएँ।

म.प्र. पंचायत अधिनियम, 1962 - उक्त उद्देश्य से नवीन मध्यप्रदेश के लिए पंचायत अधिनियम पारित करने में राज्य का विधान मंडल अग्रसर हुआ। 25 मार्च, 1960 के राजपत्र में मध्यप्रदेश पंचायत विधेयक

अंग्रेजी में और 19 मार्च, 1960 के राजपत्र में हिन्दी में प्रकाशित हुआ, उनके पृष्ठ क्रमशः 438 और 648 पर इस विधेयक के उद्देश्य और कारणों का विवरण क्रमशः अंग्रेजी और हिन्दी में प्रकाशित किया गया। उस विवरण में इस अधिनियम के पारित करने के कारणों पर प्रकाश डाला गया है - "फिलहाल, पंचायतों की स्थापना, गठन, कार्य और शक्तियों के संबंध में मध्यप्रदेश के इस नवीन राज्य की विभिन्न इकाइयों में विभिन्न विधियाँ लागू थीं और पंचायत प्रशासन के ढाँचे भी हर क्षेत्र में भिन्न-भिन्न थे। इस प्रकार की स्थिति स्पष्टरूपेण अवांछनीय होने से संपूर्ण राज्य के लिए एकीकृत विधि की आवश्यकता महसूस की गई, ताकि संपूर्ण राज्य में ग्राम प्रशासन का ढाँचा एकरूप हो सके। इस उद्देश्य से, राज्य शासन ने जाँच करने और ग्राम स्थानीय स्वायत्त शासन ढाँचे की, जो वर्तमान परिस्थितियों की आवश्यकताओं के अनुसार यथोचित हों, शासन को सिफारिश करने के लिए एक समिति का गठन किया गया। उक्त समिति की सिफारिशों और आयोजना-परियोजना समिति के अध्ययन दल और सुझाए गए ग्राम प्रशासन के ढाँचे को दृष्टि में रखते हुए, राज्य शासन ने न्याय पंचायतों के अलावा तीन प्रकार के ग्राम स्थानीय प्राधिकरणों को स्थापित करने का निर्णय लिया अर्थात् ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायतों, सामुदायिक विकासखण्ड स्तर पर जनपद पंचायतों और जिला स्तर पर जिला पंचायतों की स्थापना करना। सामान्यतया यह समझा जाता है कि सर्वतोन्मुखी ग्राम विकास ही देश की प्रमुख आवश्यकता है जो केवल तभी संभव है जबकि इसके लिये स्थानीय ग्रामजनों का बौद्धिक सहयोग एवं सहायता मिल सके। यह भी स्पष्ट है कि स्थानीय कार्यारंभ को विकसित करने एवं ग्राम विकास के कार्यक्रम और नीतियों के लिये जन समर्थन प्राप्त करने के लिए यथा-संभव, प्रत्येक वयस्क को ग्राम प्रशासन में हाथ बँटाने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। यह विधेयक इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए है।" संपूर्ण राज्य के लिये इस एकीकृत विधि "मध्यप्रदेश पंचायत अधिनियम, 1962 (अधिनियम क्र. 7 सन् 1962)" को 11 जुलाई, 1962 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई तथा यह अधिनियम म.प्र. राजपत्र दिनांक 20 जुलाई, 1962 में प्रकाशित हुआ। इस अधिनियम में समय-समय पर आवश्यक संशोधन किये गये।

म.प्र. पंचायत अधिनियम, 1981 - मध्यप्रदेश सरकार ने 1962 के पंचायत अधिनियम की संक्षिप्त और सरल रूप देने की पहल बहुत पहले ही प्रारंभ की थी। यह प्रयास 1981 में फलीभूत हुए। म.प्र. राजपत्र दिनांक 24 अप्रैल 1981 में पूर्वतन 1962 के अधिनियम के स्थान पर मध्यप्रदेश पंचायत अध्यादेश, 1981 (क्र. 6 सन् 1981) प्रख्यापित हुआ। यह अध्यादेश म.प्र. राजपत्र दिनांक 27 जून, 1981 में प्रकाशित मध्यप्रदेश पंचायत (संशोधन) अध्यादेश, 1981 (क्र. 8 सन् 1981) द्वारा संशोधित हुआ। मध्यप्रदेश विधानसभा ने इस अध्यादेश के स्थान पर मध्यप्रदेश पंचायत अधिनियम, 1981 पारित किया। इसे 6 अक्टूबर, 1981 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई और यह म.प्र. अधिनियम क्र. 35 सन् 1981 के रूप में म.प्र. राजपत्र दिनांक 7 अक्टूबर, 1981 में प्रकाशित हुआ। 1962 के अधिनियम की 393 धाराओं की संख्या कम कर के इस अधिनियम में कुल 126 कर दी गई।

इस विधि की प्रमुख विशेषताएँ निम्नानुसार हैं -

(एक) ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायतों के बीच समन्वित संगठनात्मक एवं कृत्यात्मक संबंध होगा।

(दो) ग्राम पंचायत मुख्यतः अपने क्षेत्र में नगर पालिक की तरह कृत्यों का संपादन करने के लिये उत्तरदायी होगी। वह ऐसे विकासात्मक क्रियाकलाप भी करेगी जो उसे सौंपे जाएँ।

(तीन) जनपद पंचायत का गठन खण्ड स्तर पर किया जाएगा। यह निकाय मुख्यतः विकासात्मक क्रियाकलाप और ऐसे अभिकरण कृत्यों के निष्पादन के लिये उत्तरदायी होगा जो राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपे जाएँ।

(चार) जिला पंचायत समन्वयकारी और पर्यवेक्षी निकाय होगा।

(पाँच) पंचायत राज संस्थाओं को वित्तीय रूप से समर्थ बनाने की दृष्टि से, भू-राजस्व की संपूर्ण निर्धारित रकम प्रतिवर्ष इन संस्थाओं को दी जाएगी।

(छह) पंचायतों को भू-राजस्व पर देय उपकर की दर निर्धारित भू-राजस्व का 50 प्रतिशत होगी। राज्य सरकार का यह दायित्व होगा कि वह उसके बराबर रकम ग्राम पंचायतों तथा जनपद पंचायतों में प्रतिवर्ष वितरित कर चाहे इस अधिनियम के अधीन उद्गृहीत उपकर वास्तव में संगृहीत किया गया हो अथवा नहीं।

(सात) जनपद पंचायतों को देय अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क आधे प्रतिशत से बढ़ाकर एक प्रतिशत कर दिया।

म.प्र. पंचायत राज अधिनियम, 1990 - म.प्र. पंचायत राज अधिनियम, 1981 को प्रतिस्थापित कर म.प्र. पंचायत राज अधिनियम, 1990 प्रवृत्त हुआ। इस पंचायत राज अधिनियम को 30 जुलाई 1990 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई और यह म.प्र. अधिनियम क्रमांक 13 सन् 1990 के रूप में म.प्र. राजपत्र दिनांक 31 जुलाई, 1990 में प्रकाशित हुआ।

राष्ट्र की लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने में सहायक होने के उद्देश्य से अधिनियमित इस पंचायत राज अधिनियम के विषय म.प्र. राजपत्र दिनांक 27 जुलाई, 1990 में म.प्र. पंचायत राज विधेयक, 1990 प्रकाशित हुआ। बुनियादी खामियों को समाप्त करने के लिये यह प्रस्तावित किया गया कि पंचायती राज संस्थाएँ वास्तव में लोकतांत्रिक निकाय हैं जिनके पास प्रभावी स्थानीय प्रशासन तथा यथार्थ में उन्हें ग्रामीण विकास के अभिकरण बनाने के लिये शक्ति हो।

(क) प्रत्येक पटवारी हल्के के लिए एक ग्राम पंचायत स्थापित की जाएगी ताकि ग्राम पंचायत के क्षेत्र में परिवर्तन करने की संभावनाएँ कम से कम हो सकें।

(ख) ग्राम पंचायतों के पंच, सरपंच और जनपद पंचायतों के अध्यक्ष और जिला परिषद् के जिला प्रधान प्रत्यक्षतः निर्वाचित किए जाएंगे। सरपंच, जनपद पंचायत के पदेन सदस्य होंगे और जनपद पंचायतों के अध्यक्ष, जिला परिषद् के पदेन सदस्य होंगे। इस प्रकार तीनों ही स्तरों पर जनता द्वारा प्रत्यक्षतः निर्वाचित सदस्य होंगे।

(ग) जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों से भिन्न सदस्यों को मतदान का अधिकार नहीं होगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि इन निकायों को, संसद सदस्यों/विधानसभा सदस्यों तथा अन्य विशेषज्ञों से मार्गदर्शन तो प्राप्त होगा किन्तु निर्वाचित सदस्यों को विनिश्चय करने की स्वतंत्रता रहेगी।

(घ) जनपद पंचायतों पर पूर्व प्राथमिक तथा प्राथमिक शिक्षा तथा विकासखण्डों के नियंत्रण तथा प्रशासन की जिम्मेदारियों का भार डाला जाएगा। इसी प्रकार, जिला परिषद को माध्यमिक शिक्षा तथा जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के नियंत्रण तथा प्रशासन की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।

(ङ) पंचायती राज संस्थाओं की आय के स्रोत भली-भाँति निश्चित किए गए हैं।

(च) सुलह बोर्ड गठन का प्रावधान किया गया।

दलीय आधार पर पंचायतों के निर्वाचन का वातावरण बना, अभ्यर्थी-अभिनेता पराक्रम के लिये कटिबद्ध हुए, किन्तु यह पर्दा उठ ही नहीं सका, प्रदर्शन के बिना ही पटाक्षेप हो गया। अधिनियम के अधीन उपबंधित पंचायत राज की स्थापना की मंशा परिकल्पना मात्र रह गई तथा अधिनियम का लगभग साढ़े तीन वर्ष का जीवन पूर्णतः निष्फल रहा।

विद्यमान अधिनियम 1993 - संविधान (तिहत्तरवाँ संशोधन अधिनियम, 1992) द्वारा भारत के संविधान में अंतःस्थापित भाग 9 के अनुसरण में विधान मंडल ने 1990 के पंचायत राज अधिनियम में विस्तृत संशोधन की आवश्यकता अनुभव की, जिसकी फलश्रुति के रूप में म.प्र. पंचायत राज अधिनियम, 1993 अधिनियमित हुआ। इसे 24 जनवरी, 1994 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई जो म.प्र. राजपत्र (असाधारण) में 25 जनवरी, 1994 को प्रकाशित हुई। राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का उपबंध नए अधिनियम की विशिष्टता है। निर्वाचनों में दलीय आधार पर निषेध इसे 1990 के पंचायत राज अधिनियम से सुभिन्न निरूपित करता है। ग्राम पंचायत के सरपंच तथा जनपद और जिला पंचायतों के सदस्यों का पूर्णरूपेण प्रत्यक्ष निर्वाचन इस अधिनियम में उपबंधित किया गया। 1990 के अधिनियम में उपबंधित सुलह बोर्ड का नए अधिनियम में लोप किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 243-जी के साथ पठित संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में वर्णित कई कार्यक्रम और योजनाएं पंचायती राज संस्थाओं को शासन के विभागों द्वारा सौंपे गए हैं। ऐसा अनुभव होता है कि राज्य शासन पंचायतों को वे समस्त अधिकार देने में हिचक रहा है जिसकी परिकल्पना पंचायत अधिनियम की धारा 53 में की गई है। कभी-कभी पूर्व सत्ता का लोभ प्रगति के मार्ग में बाधक बने यह कोई अनहोनी घटना नहीं है, यह पूर्व से होता आया है और होता रहेगा।

सबसे बड़ा आक्षेप रहा है कि पंचायतें, शायद अपना दायित्व ठीक प्रकार से नहीं संभाल सकेंगी। इस आशंका का उत्तर सत्ता संघर्ष नहीं वरन् जो अधिकार पंचायतों को प्राप्त हैं, उन्हें इस प्रकार प्रयोग करके दिखाना है कि फिर कभी पंचायत पदाधिकारियों की क्षमता पर किसी को संदेह नहीं रहे। आज भारत की सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि संविधान के अनुच्छेद 51 "क" में वर्णित मूल कर्तव्यों का प्रत्येक नागरिक जहां भी स्थित हो, राष्ट्र के प्रति अपने दायित्व को अपनी समस्त उपलब्ध शक्ति के साथ पूरा करे अर्थात् प्रत्येक दशा में अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर देश का हित समझे।

● एन.पी. पंथी

मध्यप्रदेश में सशक्त ग्राम सभा

भारत के संविधान का 73वां संशोधन पंचायत राज व्यवस्था के लिये एक मील का पत्थर साबित हुआ है इस संशोधन में पंचायत राज व्यवस्था को प्रभावशाली बनाने के लिये किये गये प्रावधानों के अन्तर्गत ग्राम सभा को निचले स्तर की प्रभावशाली संस्था के रूप में स्थापित किये जाने हेतु निम्न प्रावधान किया गया है-

243-क. ग्राम सभा- "ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का निर्वहन कर सकेगी जो राज्य के विधान मंडल द्वारा, विधि द्वारा, उपबंधित किए जाएं।"

मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप राज्य का पंचायत राज अधिनियम तैयार कर उसे म.प्र. पंचायत राज अधिनियम के रूप में प्रदेश में महामहिम राज्यपाल महोदय की अनुमति से 26 जनवरी 1994 से पूरे राज्य में प्रभावशील किया गया।

इस अधिनियम में संविधान के अनुच्छेद 243-क ग्राम सभा को स्थान दिया गया किन्तु ये ग्राम सभा एक ग्राम पंचायत क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले सभी आश्रित ग्रामों को मिलाकर बनाई गई। प्रत्येक ग्राम के लिये एक मतदाता सूची तैयार किये जाने का प्रावधान किया गया। ऐसा व्यक्ति जो उस ग्राम से संबंधित विधान सभा की मतदाता सूची में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिये पात्रता रखता है या जिसका नाम उसमें प्रविष्ट है और जो मामूली तौर से निवासी है उस ग्राम की मतदाता सूची में रजिस्ट्रीकृत किए जाने का हकदार होगा। ग्राम सभा का वर्ष में एक सम्मिलन का प्रावधान किया गया एवं ग्राम सभा के कुल सदस्यों के एक-तिहाई से अधिक सदस्यों द्वारा लिखित मांग किये जाने पर ग्राम सभा का सम्मिलन 30 दिन के भीतर बुलाये जाने का प्रावधान किया गया था। ग्राम सभा के सम्मेलन हेतु एक-दशमांश सदस्यों की उपस्थिति से गणपूर्ति का प्रावधान किया गया था एवं गणपूर्ति न होने की दशा में स्थगित बैठक के लिये कोई गणपूर्ति आवश्यक नहीं रखी गई। ग्राम सभा के सम्मिलन की अध्यक्षता हेतु सरपंच, सरपंच की अनुपस्थिति में उपसरपंच एवं दोनों की अनुपस्थिति में ग्राम के ऐसे सदस्य को जिसे उस दिन की अध्यक्षता करने के लिये बहुमत से निर्वाचित किया जावे, द्वारा सम्मिलन की अध्यक्षता की जावेगी।

म.प्र. पंचायत राज अधिनियम 1993 में सितम्बर 1994 में राज्य शासन ने निम्नवत् संशोधन किया गया -

- ग्राम सभा का वर्ष में एक बार आयोजित होने वाला सम्मिलन के स्थान पर प्रत्येक तीन मास में ग्राम सभा का सम्मेलन आयोजित करने का संशोधन किया गया।
- इसके साथ ही यह भी संशोधन किया गया कि ग्राम सभा, ग्राम पंचायत के कृत्यों से संबंधित किसी विषय पर विचार करे और ग्राम पंचायत ग्राम सभा द्वारा की गई सिफारिशों को कार्यान्वित करेगी।

म.प्र. पंचायत राज अधिनियम 1993 में दिसम्बर 1995 में संशोधन किया जाकर निम्न प्रावधान किया गया -

- ग्राम सभा की बैठक सरपंच द्वारा नियमित अन्तराल में करने असफल रहने पर वह सरपंच अपना पद धारण करने के लिये निरर्हित हो जायेगा। किन्तु सरपंच के विरुद्ध कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जावेगा जब तक कि उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया जावे।

म.प्र. पंचायत राज अधिनियम 1993 में जनवरी 1997 में संशोधन किया जाकर निम्न प्रावधान किया गया -

- ग्राम सभा के किसी सम्मिलन में ग्राम सभा के सदस्यों की कुल संख्या के एक-दशमांश सदस्यों से अन्यून सदस्यों से गणपूर्ति होगी जिसमें से एक-तिहाई से अन्यून महिला सदस्य होंगी ।
- यदि सम्मिलन के लिए नियत किए गए समय पर गणपूर्ति के लिये आवश्यक संख्या में सदस्य उपस्थित नहीं हैं तो अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति सम्मिलन को ऐसी आगामी तारीख तथा समय के

लिए स्थगित कर देगा जैसा कि वह नियत करे और एक नई सूचना विहित रीति में दी जाएगी और ऐसे स्थगित सम्मिलन के लिए गणपूर्ति आवश्यक नहीं होगी। परन्तु ऐसे सम्मिलन में किसी नए विषय पर विचार नहीं किया जाएगा।

म.प्र. पंचायत राज अधिनियम 1993 में दिसम्बर 1997 में संशोधन किया जाकर निम्न प्रावधान किया गया -

- अधिनियम की धारा 7 में ग्राम सभा की शक्तियां और कृत्य तथा उसका वार्षिक सम्मिलन के अन्तर्गत ग्राम सभा को 16 कृत्य सौंपे गये थे ।

म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 में दिसम्बर 1997 में संशोधन किया जाकर अनुसूचित क्षेत्र के लिये विशेष उपबन्ध अध्याय स्थापित कर निम्नवत संशोधन किया गया -

- ग्राम सभा के सदस्य, यदि ऐसा चाहें तो किसी ग्राम में एक से अधिक ग्राम सभा का गठन ऐसी रीति जैसी कि विहित की जाए और ऐसी प्रत्येक ग्राम सभा के क्षेत्र में आवास या आवास का समूह अथवा छोटा गाँव या छोटे गाँवों का समूह होगा जिसमें समुदाय समाविष्ट हो और जो परम्पराओं और रूढ़ियों के अनुसार अपने कार्यकलापों का प्रबन्ध करेगी,
- ग्राम सभा के प्रत्येक सम्मिलन के लिए ग्राम सभा के सदस्यों की कुल संख्या के एक-दशमांश से या ग्राम सभा के कुल पाँच सौ सदस्य इनमें से जो भी कम हो, से अन्यून सदस्यों से गणपूर्ति होगी,
- "ग्राम सभा" के सम्मिलन की अध्यक्षता, ग्राम सभा के अनुसूचित जनजातियों के किसी ऐसे सदस्य द्वारा की जाएगी जो पंचायत का सरपंच या उपसरपंच या कोई सदस्य न हो और जो उस सम्मिलन में उपस्थित सदस्यों की बहुमत द्वारा इस प्रयोजन के लिए निर्वाचित किया गया हो,
- व्यक्तियों की परम्पराओं तथा रूढ़ियों, उनकी सांस्कृतिक पहचान और सामुदायिक साधनों को तथा विवादों के निराकरण के रूढ़िगत ढंग को सुरक्षित तथा संरक्षित करना,
- ग्राम सभा क्षेत्र के भीतर के प्राकृतिक स्त्रोतों को, जिनके अन्तर्गत भूमि, जल तथा वन आते हैं उसकी परम्परा के अनुसार और संविधान के उपबन्धों के अनुरूप और तत्समय प्रवृत्त अन्य सुसंगत विधियों की भावना का सम्यक ध्यान रखते हुए प्रबन्ध करना,
- ग्राम के बाजारों तथा मेलों को, जिनमें पशुमेला सम्मिलित हैं चाहे वे किसी भी नाम से जाने जाएं, ग्राम पंचायत के माध्यम से प्रबन्ध करना,
- स्थानीय योजनाओं पर, जिनमें जनजातीय उप-योजनाएं सम्मिलित हैं तथा ऐसी योजनाओं के लिये स्त्रोतों और व्ययों पर नियंत्रण रखना, और, ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यों का पालन करना जिसे राज्य सरकार तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उसे प्रदत्त करे या न्यस्त करे।

म.प्र. पंचायत राज अधिनियम 1993 में अप्रैल 1999 में संशोधन किया जाकर निम्न प्रावधान किया गया -

- ग्राम सभाओं के बीच उद्भूत कोई विवाद या ग्राम पंचायत क्षेत्र के भीतर समाविष्ट एक से अधिक ग्राम सभाओं से संबद्ध कोई मामले और ग्राम पंचायत से संबंधित लेखा, प्रशासन की रिपोर्ट आगामी वर्ष के लिए प्रस्तावित विकास तथा अन्य कार्यक्रम, संपरीक्षा रिपोर्ट आदि के संबंध में ग्राम पंचायत के समस्त मामले उस ग्राम पंचायत की समस्त ग्राम सभाओं के संयुक्त सम्मिलन के समक्ष लाए जावेंगे।
- उपरोक्त के अतिरिक्त सामाजिक सेक्टरों में ऐसी संस्थाओं तथा ऐसे कृत्यकारियों पर, जो ग्राम पंचायत को अंतरित या ग्राम पंचायत के द्वारा नियुक्त किए गए हैं उस पंचायत के माध्यम से नियंत्रण, ग्राम के अन्दर के प्राकृतिक स्त्रोतों का जिनके अन्तर्गत भूमि, जल, वन आते हैं संविधान के उपबन्धों और तत्समय प्रवृत्त अन्य सुसंगत विधियों के अनुसार प्रबन्ध करना, ग्राम पंचायत को लघु जलाशयों के विनियमन तथा उपयोग में सलाह देना, स्थानीय योजना पर तथा ऐसी योजनाओं के स्त्रोतों और व्ययों पर नियंत्रण रखना।

संविधान संशोधन के अनुच्छेद 243-क के प्रावधान को राज्य शासन ने पुनर्विचार करते हुये जनवरी 2001 में ग्राम सभा को और अधिक प्रभावशाली बनाने

हेतु राज्य के पंचायत राज अधिनियम 1993 में व्यापक संशोधन करते राज्य के पंचायत राज अधिनियम 1993 को पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 के नाम से स्थापित किया व इस संशोधन में निम्नवत् प्रावधान ग्राम सभा व्यवस्था अन्तर्गत किये गये -

- ग्राम पंचायत के सभी गांवों को मिलाकर ग्रामसभा के स्वरूप में संशोधन करते हुए प्रत्येक ग्राम के लिए एक ग्राम सभा का प्रावधान किया गया। ग्राम सभा उसके लिये उक्त नाम से एक निगमित निकाय होगी, उसका शाश्वत अधिकार होगा और उसकी एक सामान्य मुद्रा होगी और वह उक्त नाम से वाद चलाएगी तथा उक्त नाम से उसके विरुद्ध वाद चलाया जाएगा। अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत उसे किसी जंगम या स्थावर संपत्ति अर्जित करने, धारण करने और व्ययन करने, संविदा करने और इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए आवश्यक अन्य समस्त बातें करने की शक्ति होगी।
- ग्राम सभा का प्रत्येक तीन माह में आयोजित होने वाला सम्मिलन की व्यवस्था में संशोधन करते हुए अब ग्राम सभा का प्रतिमाह कम से कम एक सम्मिलन आयोजित करने का प्रावधान किया गया जो ग्राम पंचायत के सचिव द्वारा बुलाया जावेगा। ग्राम सभा के प्रथम सम्मिलन की तारीख, समय तथा स्थान सरपंच द्वारा तय किया जावेगा। उसके बाद के सम्मिलनों की तारीख, समय व स्थान ग्रामसभा के सदस्यों द्वारा तय किया जाने का प्रावधान स्थापित किया गया।
- ग्राम सभा के सम्मिलनों के लिये एक-दशमांश सदस्यों की उपस्थिति के स्थान पर कुल सदस्यों का एक-पंचमांश सदस्यों से गणपूर्ति होगी जिसमें एक-तिहाई से अधिक महिला सदस्य होंगी और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों का प्रतिनिधित्व ग्रामसभा में उनकी जनसंख्या के अनुपात में होगा और ग्रामसभा के प्रत्येक सम्मिलन में गणपूर्ति आवश्यक होगी।

प्रत्येक ग्राम के लिये एक मतदाता सूची तैयार किये जाने का प्रावधान किया गया। ऐसा व्यक्ति जो उस ग्राम से संबंधित विधान सभा की मतदाता सूची में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिये पात्रता रखता है या जिसका नाम उसमें प्रविष्ट है और जो मामूली तौर से निवासी है उस ग्राम की मतदाता सूची में रजिस्ट्रीकृत किए जाने का हकदार होगा। ग्राम सभा का वर्ष में एक सम्मिलन का प्रावधान किया गया एवं ग्राम सभा के कुल सदस्यों के एक-तिहाई से अधिक सदस्यों द्वारा लिखित मांग किये जाने पर ग्राम सभा का सम्मिलन 30 दिन के भीतर बुलाये जाने का प्रावधान किया गया था।

- ग्राम सभा के सम्मिलन की अध्यक्षता हेतु सरपंच, सरपंच की अनुपस्थिति में उपसरपंच एवं दोनों की अनुपस्थिति में ऐसे पंच द्वारा की जावेगी जिसे उस दिन को अध्यक्षता करने के लिये बहुमत से निर्वाचित किया जावे।
- ग्राम सभाओं के बीच उद्भूत कोई विवाद या ग्राम पंचायत क्षेत्र के भीतर समाविष्ट एक से अधिक ग्राम सभाओं से सम्बद्ध कोई मामले उस ग्राम पंचायत की समस्त ग्राम सभाओं के संयुक्त सम्मिलन के समक्ष रखा जावेगा।
- संयुक्त सम्मिलन में लिया गया निर्णय प्रत्येक ग्राम सभा द्वारा लिया गया निर्णय समझा जावेगा ।
- ग्राम सभा के दस प्रतिशत या अधिक सदस्य या पचास सदस्य जो भी कम हो ग्राम सभा के विशेष सम्मिलन की मांग करने पर ऐसी सूचना प्राप्ति से सात दिन के भीतर विशेष सम्मिलन बुलाया जावेगा।
- ग्राम पंचायत का सचिव ग्राम सभा का भी सचिव होगा और ऐसे कृत्यों का पालन करेगा जो ग्राम सभा द्वारा उसे बताये जावें ।
- ग्राम सभा के समक्ष लाए गए समस्त मामले यथासंभव एकमत से तय किये जावेंगे। इस प्रयास में असफल रहने पर उपस्थित सदस्यों की सामान्य सहमति से मामले तय किये जावेंगे किन्तु जहां कोई मामला सामान्य सहमति से तय नहीं हो पा रहा है वहां गुप्त मतदान से निर्णय लिया जावेगा।
- ग्राम पंचायत को सौंपे गये उत्तरदायित्वों का हस्तान्तरण ग्राम सभा को कर लगभग 52 तरह के कार्य सौंपे गये हैं।
- ग्राम सभा में आठ स्थायी समिति के गठन का प्रावधान किया गया। इसके अतिरिक्त तदर्थ समिति भी समयबद्ध कार्यक्रम के लिए गठित करने का प्रावधान किया गया।
- ग्राम विकास समिति में नौ सदस्य एवं एक सभापति का प्रावधान किया गया जिसे सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जावेगा । सभापति की पदावधि एक वर्ष की होगी।
- ग्राम सभा की प्रत्येक समिति के कृत्य एवं शक्तियाँ तय की गईं। इसके प्रति समिति की जवाबदारी भी तय की गई।
- ग्राम विकास समिति को ग्राम विकास की योजना बनाने का कार्य सौंपा गया। समिति द्वारा बनाई गई योजना ग्राम सभा के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रावधान किया गया।
- ग्राम विकास समिति से भिन्न प्रत्येक समिति दो-तिहाई बहुमत से अपना ग्राम सभा के सदस्यों में से किसी सदस्य को सचिव निर्वाचित करेगी।
- स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत कार्यरत जनस्वास्थ्य रक्षक ग्राम सभा की स्वास्थ्य समिति का सचिव होगा।
- कोई व्यक्ति उस समिति का सचिव निर्वाचित नहीं किया जावेगा जिसका नातेदार रिश्तेदार उस समिति का

सदस्य हो।

- ग्राम सभा के निर्णय के विरुद्ध, जनपद पंचायत के अध्यक्ष उस क्षेत्र की जनपद पंचायत के सदस्य और उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) से मिलकर बनने वाली समिति अपील समिति होगी।
- ग्राम सभा का प्रति वित्तीय वर्ष के लिये बजट उसके द्वारा तैयार किया जावेगा।
- ग्राम सभा को ग्राम पंचायत द्वारा उनके क्षेत्रान्तर्गत लगाये जाने वाले अनिवार्य कर एवं वैकल्पिक कर लगाने के अधिकार स्थानान्तरित किये गये।
- ग्राम सभा में ग्राम कोष स्थापित किया गया जिसमें अन्नकोष, श्रमकोष, वस्तुकोष एवं नगद कोष स्थापित करने का प्रावधान किया गया।
- ग्रामकोष में दान से प्राप्त आय, अन्य स्त्रोतों से आय, भू-राजस्व के आगम, भू-राजस्व पर उपकर, चराई फीस तथा शाला भवन उपकर की राशि, ग्राम सभा द्वारा अधिरोपित कर केन्द्रीय व राज्य शासन द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम के लिये प्राप्त अनुदान राशि आवंटित की जाने का प्रावधान किया गया।
- ग्राम कोष का संचालन ग्राम विकास समिति द्वारा किया जाने का प्रावधान किया गया।
- ग्राम कोष के संचालन हेतु ग्राम सभा द्वारा अपने सदस्यों में से कोषाध्यक्ष एवं सचिव को निर्वाचित करने का प्रावधान किया गया।
- ग्राम सभाओं के लेखों का संपरीक्षक द्वारा अंकेक्षण करने का प्रावधान किया गया।
- ग्राम सभाओं को उनके क्षेत्र के शासकीय कर्मचारियों पर नियंत्रण का अधिकार सौपा गया।

म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 में अक्टूबर 2001 में संशोधन किया जाकर निम्न प्रावधान किया गया -

- ग्राम सभा की बैठक हेतु नियत गणपूर्ति के एक-पंचमांश भाग में संशोधन कर एक-पंचमांश या एक हजार सदस्यों से गणपूर्ति का प्रावधान किया गया।
- ग्राम कोष का संचालन ग्राम विकास समिति द्वारा किया जाने का प्रावधान किया गया तथा ग्राम सभा की समस्त राशि ग्राम सभा के अनुमोदन से ग्राम विकास समिति के अध्यक्ष (सरपंच) तथा कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से आहरित किये जाने का प्रावधान किया गया।
- ग्राम कोष से आहरित समस्त रकमों के संबंध में जानकारी ग्राम सभा के आगामी सम्मिलन में रखे जाने का प्रावधान किया गया ।

म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 में दिसम्बर 2004 में निम्नवत् संशोधन कर यह प्रावधान किया गया कि -

- ग्राम सभा प्रतिमाह आयोजित की जाने वाली बैठकों के प्रावधान को समाप्त कर प्रति वर्ष कम से कम जनवरी, अप्रैल, जुलाई तथा अक्टूबर में एक-एक सम्मिलन आयोजित करने का संशोधन किया गया। इसके अतिरिक्त ग्राम सभा का अतिरिक्त सम्मिलन भी बुलाया जाने का प्रावधान किया गया।
- ग्राम सभा के सम्मिलनों की समुचित व्यवस्था के लिये जिला कलेक्टर द्वारा एक शासकीय अधिकारी या कर्मचारी को नियुक्त करने का प्रावधान किया गया।
- ग्राम सभा में आठ स्थायी समितियों के प्रावधान में संशोधन करते हुए उसके स्थान पर केवल दो समिति ग्राम निर्माण समिति एवं ग्राम विकास समिति के गठन का प्रावधान किया गया।
- ग्राम सभा को रुपये पांच लाख तक की लागत के कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति के अधिकार व ग्राम पंचायत द्वारा सौंपे गये समस्त कार्य संपादित करने का प्रावधान किया गया ।
- ग्राम निर्माण समिति व ग्राम विकास समिति को संयुक्त रूप से ग्राम के विकास की योजना तैयार करने का दायित्व सौंपा गया जिसे तैयार कर वे उसे ग्राम सभा के समक्ष प्रस्तुत करेंगी। ग्राम सभा उसे प्राप्त होने वाली दस वर्षों की राशि का अनुमानित मूल्यांकन कर विशेषज्ञों की सहायता से ग्राम विकास के लिए दस वर्षीय दीर्घकालिक योजना तैयार करेगी और उसे अनुमोदित करेगी।
- ग्राम विकास समिति के अध्यक्ष (सरपंच) तथा कोषाध्यक्ष द्वारा ग्राम कोष से राशि आहरित किये जाने के प्रावधान में संशोधन कर उसके स्थान पर ग्राम निर्माण समिति का अध्यक्ष तथा ग्राम पंचायत का सचिव के माध्यम से ग्राम कोष से राशि आहरित करने का प्रावधान किया गया ।
- ग्राम निर्माण समिति तथा ग्राम विकास समिति के अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य के विरुद्ध कोई अनुशासन कार्यवाही की जाने के लिये भारतीय दण्ड संहिता 1860 (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थ के अन्तर्गत लोक सेवक समझे जाने का प्रावधान किया गया है।

म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 में अगस्त 2005 में निम्नवत् संशोधन किया गया-

- ग्राम सभा के प्रत्येक सम्मिलन के लिए पूर्व की व्यवस्था में संशोधन कर ग्राम सभा के सदस्यों की कुल संख्या के एक-दशमांश से अन्यून सदस्यों या ग्राम सभा के कम से कम पॉच सौ सदस्यों, इनमें से जो भी कम हो, से गणपूर्ति होगी का प्रावधान किया गया।
- ग्राम सभा की ग्राम निर्माण समिति तथा ग्राम विकास समिति का ग्राम पंचायत के सरपंच पदेन अध्यक्ष बनाया गया।
- ग्राम पंचायत का सचिव ग्राम निर्माण समिति तथा ग्राम विकास समिति का पदेन सचिव बनाया गया।

म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 में मई 2007 में निम्नवत् संशोधन किया गया-

- ग्राम सभा की स्थायी समिति के गठन तथा निर्वाचन से संबंधित समस्त विवाद धारा 122 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों द्वारा निपटाए जाने का प्रावधान किया गया।

● जी.पी. अग्रवाल

पंचायतों में चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त राशि का उपयोग

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 के तहत त्रिस्तरीय पंचायतों को विकास कार्यों के लिए वित्त उपलब्ध करवाया जाता है। 14वें वित्त आयोग द्वारा ग्रामीण विकास के लिए जारी की गई अनुदान राशि के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इन दिशा-निर्देशों का मध्यप्रदेश पंचायिका में यथावत प्रकाशित किया गया है।

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक/335/475/2016/22/पं-1 **भोपाल, दिनांक 04.03.2016**

प्रति,

1. कलेक्टर
जिला - समस्त (मध्यप्रदेश)
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत -समस्त (मध्यप्रदेश)
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत - समस्त (मध्यप्रदेश)

विषय : 14वें वित्त आयोग अंतर्गत प्राप्त राशि के उपयोग के संबंध में दिशा-निर्देश।

संदर्भ : 1. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के द्वारा जारी दिशा निर्देश पत्र क्र. No. 13(32)FFC/FCD/2015-16 दिनांक 08.10.2015.

2. भारत सरकार, पंचायती राज मंत्रालय का पत्र No. G-39011/4/2015-FD दिनांक 16.12.2015

संदर्भित विषयांतर्गत लेख है कि हमारी त्रि-स्तरीय पंचायत व्यवस्था 73वें संविधान संशोधन के परिप्रेक्ष्य में मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 से स्वरूप प्राप्त करते हुये क्रियान्वित है। अधिनियम में त्रि-स्तरीय पंचायत व्यवस्था के प्रत्येक स्तर की भूमिका और कार्य पूर्णतः स्पष्ट हैं। जिसके अनुसार ग्राम पंचायत मुख्य क्रियान्वयन इकाई है। 14वें केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 से वित्तीय वर्ष 2019-20 की अवधि के लिए ग्रामीण स्थानीय निकायों को अनुदान दिये जाने के संबध में अपनी अनुशंसाएं प्रस्तुत की हैं। अपनी अनुशंसाओं में 14वें वित्त आयोग ने ग्राम पंचायत की इस महत्वपूर्ण भूमिका को इंगित करते हुये अपने प्रतिवेदन की कण्डिका 9.72 में अनुशंसा की है कि - "आयोग द्वारा सिफारिश किये गये अनुदान केवल ग्राम पंचायतों को मिलने चाहिए जो कि मूलभूत सुविधाओं की आपूर्ति के लिये सीधे तौर पर उत्तरदायी हैं और इसमें किसी अन्य स्तर के लिये भागीदारी नहीं है।"

पंचायतीराज मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अपेक्षा की गयी है कि ग्राम पंचायत अपनी उक्त भूमिका को अधिक प्रभावी ढंग से निर्वहन करते हुए 14वें वित्त आयोग अंतर्गत प्राप्त होने वाली राशि का अधिक प्रभावी तथा परिणाममूलक उपयोग कर सके इसके लिये विकेन्द्रित नियोजन की प्रकिया को अपनाते हुये ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) बनायी जाना आवश्यक है। ग्राम पंचायत विकास योजना का केन्द्र ग्राम पंचायत का समग्र विकास होना चाहिए जिसमें ना केवल अधोसंरचनात्मक विकास सम्मिलित रहेगा बल्कि सामाजिक, आर्थिक, एवं वैयक्तिक विकास भी ग्राम पंचायत विकास योजना का भाग होंगे। प्रदेश में ग्राम पंचायत विकास योजना "आओ संवारें-गाँव हमारे" दृष्टिकोण से अभिप्रेरित एवं ग्राम पंचायतों को स्मार्ट रूप से विकसित करने को संकल्पित रहेगी तथा इस ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) को "स्मार्ट ग्राम-स्मार्ट पंचायत" के नाम से जाना जाएगा। ग्राम पंचायत विकास योजना की तैयारी तथा क्रियान्वयन के संबंध में विभाग के आदेश क्रमांक/पंचा/FFC/2015/15524

भोपाल, दिनांक 23.10.2015 के द्वारा मार्गदर्शिका जारी की गयी है। इस मार्गदर्शिका के अनुसार अपेक्षित कार्यवाही समय-सीमा में संपादित किया जाना है।

पंचपरमेश्वर योजना की निरंतरता- 13वें वित्त आयोग के साथ अन्य मदों को एकीकृत कर संचालित की जाने वाली पंच-परमेश्वर योजना पूर्ववत् प्रभावी रहेगी। केवल 13वें वित्त के स्थान पर 14वें वित्त आयोग अंतर्गत प्राप्त राशि को सम्मिलित किया जाएगा। पत्राचार में एवं पंचायत दर्पण पोर्टल पर पंच-परमेश्वर योजना (14वां वित्त आयोग एवं अन्य) नाम का उपयोग किया जाएगा।

14वें वित्त आयोग अंतर्गत प्राप्त होने वाली राशि - ग्राम पंचायतें अपने क्षेत्र में मूलभूत नागरिक सुविधाएं प्रदान कर सकें इस हेतु 14वें वित्त आयोग द्वारा राशि उपलब्ध करायी जा रही है।

राशि वितरण का आधार - 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त होने वाली राशि का वितरण वर्ष 2011 की जनसंख्या को आधार मानकर 90 प्रतिशत जनसंख्या की भारिता अनुसार तथा 10 प्रतिशत क्षेत्रफल की भारिता अनुसार किया जावेगा।

राशि का स्वरूप - 14वें वित्त आयोग द्वारा राशि को निम्नानुसार दो हिस्सों में प्रदान किया है। कुल राशि का 90 प्रतिशत मूल अनुदान होगा तथा 10 प्रतिशत अनुदान कार्य निष्पादन (परफारमेंस) अनुदान होगा।

मूल अनुदान - समस्त ग्राम पंचायतों को वर्ष 2011 की जनसंख्या के मान से 90 प्रतिशत तथा क्षेत्रफल के मान से 10 प्रतिशत 14वें वित्त आयोग द्वारा दिये गए सूत्र अनुसार प्राप्त होगा।

कार्य निष्पादन अनुदान (परफारमेंस ग्रांट) -

समस्त ग्राम पंचायतों के लिये यह समान अवसर होगा कि निर्धारित मापदण्डों के अनुसार परफारमेंस कर यह राशि प्राप्त कर सकें। 14वें वित्त आयोग द्वारा निष्पादन अनुदान (परफारमेंस ग्राण्ट) प्राप्त करने के लिये दो शर्तें निर्धारित की गयी हैं -

1. ग्राम पंचायतों द्वारा उसे प्राप्त होने वाली समस्त राशियों की अंकेक्षित वार्षिक लेखा रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगी।
2. ग्राम पंचायत को अपनी स्वयं की आय में पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में वृद्धि करनी होगी। आय वृद्धि की यह पुष्टि ऑडिट रिपोर्ट के माध्यम से होनी अनिवार्य होगी।

परफारमेंस ग्राण्ट हेतु दो वर्ष पूर्व की ऑडिट रिपोर्ट को मान्य किया जावेगा जैसे वर्ष 2016-17 में परफारमेंस ग्रांट प्राप्त करने के लिये वर्ष 2014-15 की ऑडिट रिपोर्ट मान्य होगी, वर्ष 2017-18 के लिये वर्ष 2015-16 की ऑडिट रिपोर्ट मान्य होगी, वर्ष 2018-19 के लिये वर्ष 2016-17 की रिपोर्ट अनिवार्य होगी वहीं वर्ष 2019-20 के लिये वर्ष 2017-18 की रिपोर्ट को आधार माना जावेगा। परफारमेंस मद में प्राप्त होने वाली राशियों की मात्रा तथा अन्य मापदण्डों के संबंध में राज्य स्तर से पृथक से निर्देश जारी किये जावेंगे जिनका पालन परफारमेंस ग्रांट प्राप्त करने के लिये अनिवार्य होगा।

14वें वित्त आयोग अंतर्गत प्रदेश को मूल अनुदान एवं परफारमेंस ग्रांट में पांच वर्षों में निम्नानुसार राशि प्राप्त होगी -

राशि करोड़ में

क्र.	मद का नाम	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2015-20
1.	मूल अनुदान	1463.61	2026.62	2341.57	2708.78	3660.14	12200.72
2.	परफारमेंस ग्रांट	-	265.84	300.83	341.63	447.34	1355.64

प्राप्त राशि का ग्राम पंचायत स्तर पर वितरण

यह पूर्णतः स्पष्ट है कि 14वें वित्त आयोग अंतर्गत राज्य को प्राप्त होने वाली राशि में से प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायतों को उनकी वर्ष 2011 की जनसंख्या के आधार पर 90 प्रतिशत तथा क्षेत्रफल के आधार पर 10 प्रतिशत राशि प्राप्त होगी।

लिए जाने वाले कार्य -

ग्राम पंचायतें नियत प्रक्रिया का अनुसरण कर अपनी विकास योजना तैयार करेंगी। ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) की इस प्रक्रिया में अधोसंरचनात्मक विकास केवल एक घटक के रूप में रहेगा। पूर्व में जारी मार्गदर्शिका के भाग-04: ग्राम पंचायत विकास योजना- घटक एवं लिये जाने वाले कार्य अंतर्गत अधोसंरचना विकास के संबंध में पृष्ठ क्रमांक 12 से 16 के स्थान पर यह निर्देश प्रभावी रहेंगे तथा 14वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित राशि से ग्राम पंचायतों द्वारा निम्न अधोसंरचनात्मक कार्य लिये जा सकेंगे -

1. सामुदायिक संरचनाएं

1.1 पंचायत भवन निर्माण

1.2 पंचायत भवन का विस्तार

1.3 ई-कक्ष निर्माण
1.4 आंगनवाड़ी भवन निर्माण
1.5 सामुदायिक भवन निर्माण
1.6 हाट बाजार स्थल निर्माण
1.7 पक्की नाली सहित सीमेंट क्रांकीट सड़क निर्माण
1.8 शासकीय भवनों, श्मशान तथा कब्रिस्तान की बाउंड्रीवॉल निर्माण
1.9 सार्वजनिक पार्कों का निर्माण
1.10 पक्के फुटपाथों तथा वृक्षारोपण सहित पक्के रोड डिवाइडर का निर्माण
1.11 यात्री प्रतीक्षालय निर्माण
1.12 किचिन शेड एवं डायनिंग हॉल निर्माण
1.13 ग्राम सभा चौपाल निर्माण
1.14 ग्राम के सार्वजनिक स्थानों पर प्रकाश व्यवस्था (एल.ई.डी. लाइट को प्राथमिकता देते हुए)
1.15 स्ट्रीट लाइट्स की व्यवस्था (एल.ई.डी. लाइट को प्राथमिकता देते हुए)
1.16 श्मशान शेड का निर्माण (केवल शेड निर्माण कार्य, अन्य कार्य मनरेगा की शांतिधाम उपयोजना से लिये जाने होंगे)
1.17 नदी या तालाबों में पक्के घाटों का निर्माण
1.17 वृद्धजनों के लिये विश्राम स्थल निर्माण एवं डे-केयर सेन्टर की स्थापना
1.18 शासकीय भवनों में निःशक्तजनों के लिए रेम्प निर्माण
1.19 पंचायत भवन में पूर्व से निर्मित ना होने की स्थिति में पृथक-पृथक महिला एवं पुरुष शौचालय का निर्माण।

2. पेयजल व्यवस्था एवं जल प्रदाय योजना

2.1 ग्राम पंचायतों द्वारा स्वयं स्थापित स्वच्छ पेयजल स्त्रोतों का संचालन एवं संधारण तथा ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित हो चुकीं नल जल योजनाओं का संचालन एवं संधारण।
2.2 पशुओं के पानी पीने के लिये संरचना निर्माण
2.3 शासकीय भवनों में स्वच्छ पेयजल व्यवस्था।

3. सामुदायिक स्वच्छता

3.1 सीमेंट-क्रांकीट की पक्की नालियों का निर्माण
3.2 सामुदायिक मूत्रालयों तथा शौचालयों का निर्माण एवं संचालन
3.3 ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के कार्य
3.4 ग्राम पंचायत क्षेत्र की नालियों तथा सड़कों की साफ-सफाई

4. जल संरक्षण एवं संवर्धन

4.1 पक्के स्टाप डेम निर्माण
4.2 पक्के चेक डेम निर्माण
4.3 शासकीय भवनों पर रूफ वाटर हार्वेस्टिंग।

5. अन्य कार्य -

5.1 भूमि क्रय -

ग्राम पंचायत क्षेत्र में रिक्त शासकीय भूमि की अनुपलब्धता की स्थिति में ग्राम पंचायतें अपने सामुदायिक दायित्वों के निर्वहन के लिये जिला कलेक्टर द्वारा निर्धारित दर पर आवश्यकतानुसार आबादी भूमि क्रय कर सकेंगी।

5.2 सौर ऊर्जा उत्पादन-

ग्राम पंचायतें पृथक-पृथक सौर ऊर्जा लाइट्स लगाने के स्थान पर अपने क्षेत्र में संसाधनों की उपलब्धता अनुसार सौर ऊर्जा उत्पादन के लिये आवश्यक क्षमता का सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित कर सकेंगी ताकि ग्राम पंचायत की ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति की जा सके।

5.3 पुरातात्विक धरोहरों की रक्षा -

ग्राम पंचायतें अपने क्षेत्र की ऐसी पुरातात्विक धरोहरें जो कि किसी भी स्तर से संरक्षित घोषित नहीं हैं उनका प्रारंभिक संरक्षण कर उन स्थानों को पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित कर सकेंगी।

5.4 सामुदायिक पुस्तकालय की स्थापना -

ग्राम पंचायतें अपने क्षेत्र में ग्राम वार या पंचायत मुख्यालय पर सामुदायिक पुस्तकालय की स्थापना कर सकेंगी। इन पुस्तकालयों को अद्यतन रखने का उत्तरदायित्व ग्राम पंचायतों का होगा।

6. परिसंपत्तियों का रखरखाव -

परिसंपत्तियों के रखरखाव एवं साफ-सफाई कार्यों के संबंध में पुनरीक्षित निर्देश पृथक से जारी किए जायेंगे।

7. तकनीकी एवं प्रशासनिक व्यय

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के द्वारा संदर्भित पत्र के माध्यम से 14वें वित्त आयोग अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में प्राप्त होने वाली कुल राशि के अधिकतम 10 प्रतिशत राशि तक तकनीकी एवं प्रशासनिक व्यय हेतु सीमा नियत की गयी है। इसी सीमा का पालन अनिवार्य होगा। इस सीमा के अधीन ग्राम पंचायतों द्वारा निम्न कार्य किये जा सकेंगे-

1. ग्राम पंचायत स्तर पर या क्लस्टर स्तर पर ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने में आवश्यक विशेषज्ञों जैसे कि कम्यूनिटी रिसोर्स पर्सन, लेखा पाल सह डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, इंजीनियर आदि की सेवाएं पूर्णतः अस्थायी रूप से ली जा सकेंगी। यदि सेवाएं क्लस्टर स्तर पर ली जाती हैं तो होने वाला व्यय संबंधित ग्राम पंचायतों द्वारा समान रूप से किया जाएगा।
2. ग्राम पंचायत विकास योजना (स्मार्ट ग्राम - स्मार्ट पंचायत) तैयार किये जाने पर होने वाले समस्त व्यय जैसे कि पी.आर.ए., आई.ई.सी, सर्वे विविध नक्शों तथा अभिलेखों का निर्माण, परामर्शदाता की व्यवस्था आदि पर होने वाला व्यय सम्मिलित रहेगा।
3. ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन तथा पेयजल जैसे तकनीकी परियोजना प्रस्तावों को तैयार किए जाने पर होने वाला व्यय।
4. निर्माण कार्यों की गुणवत्ता परीक्षण के लिए समय-समय पर ली जाने वाली विशेषज्ञों की सेवाओं पर व्यय।
5. चार्टर्ड एकाउंटेंट की सेवाओं एवं सामाजिक अंकेक्षण पर होने वाला व्यय।
6. ग्राम पंचायतों को प्रदाय किए गए कम्प्यूटर के वार्षिक रखरखाव तथा बीमा राशि पर होने वाला व्यय ।
7. पंचायत कार्यालय के तथा नल जल योजना के बिजली बिल भुगतान किंतु पुराने देयकों का भुगतान इस राशि से नहीं किया जाना चाहिए।
8. टेलीफोन बिल भुगतान किंतु पुराने देयकों का भुगतान इस राशि से नहीं किया जाना चाहिए।
9. इंटरनेट उपयोग (ब्रॉडबेंड/डाटा कार्ड) का भुगतान। किंतु पुराने देयकों का भुगतान इस राशि से नहीं किया जाना चाहिए।
10. डी टू एच सेवा का भुगतान।
11. आवश्यक स्टेशनरी एवं कार्यालयीन सामग्री पर व्यय।
12. ग्राम पंचायत भवन के अंदर सभी दीवालों एवं छत पर पुट्टी भरवाकर सभी बाहरी दीवालों की गुलाबी रंग से पुताई तथा खिड़की-दरवाजों की ग्रे रंग से पुताई तथा आवश्यकतानुसार भवन की छत का वाटर प्रूफिंग कार्य।
13. ग्राम पंचायत भवन में अर्थिंग सहित बिजली फिटिंग, सी.एफ.एल., पंखे तथा इनवर्टर की व्यवस्था। (केवल एक बार व्यय)
14. ग्राम पंचायत कार्यालय की विद्युत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आवश्यक क्षमता का सौर ऊर्जा उत्पादन प्लांट स्थापित करने पर व्यय। (केवल एक बार व्यय)
15. सरपंच, सचिव एवं ग्राम रोजगार सहायक के लिये कार्यालयीन फर्नीचर तथा पंचों की संख्या के मान से विजिटर कुर्सी की व्यवस्था, अभिलेख संधारित करने के लिए अलमारी तथा बॉक्स आदि की व्यवस्था। (केवल एक बार व्यय)
16. पर्सनल माइक सिस्टम (केवल एक बार व्यय)
17. आवश्यकता अनुसार सफाई कर्मियों की व्यवस्था तथा सफाई उपकरणों की व्यवस्था।

वह गतिविधियाँ जिन पर 10 प्रतिशत की सीमा अंतर्गत व्यय नहीं किया जा सकता है-

1. अन्य योजनाओं से वित्तपोषत गतिविधियों पर होने वाला व्यय।
2. बधाई संदेश आदि पर व्यय।
3. सांस्कृतिक कार्यक्रम पर व्यय।
4. साज सज्जा पर व्यय।

5. उद्घाटन पर व्यय।
6. निर्वाचित प्रतिनिधियों के टी.ए./डी.ए. या मानदेय/वेतन पर व्यय।
7. कर्मचारियों के मानदेय पर व्यय।
8. पुरस्कार या सहायता पर व्यय।
9. मनोरंजन पर व्यय।
10. एयर कंडीशन की खरीदी पर व्यय।
11. वाहन खरीदी पर व्यय।

कार्य हेतु अंशदान - कार्यों हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर अंशदान की अनिवार्यता नहीं होगी। किंतु ग्राम पंचायत द्वारा अंशदान अस्वीकार नहीं किया जावेगा यह अंशदान ग्राम पंचायत के रिसोर्स एनवलप का भाग होगा। ग्राम पंचायतें इस अंशदान का उपयोग उन कार्यों के निष्पादन में गेप फिलिंग के लिये कर सकेंगी जहाँ अन्य मद उपलब्ध ना हो या उनका उपयोग अनुमत्य ना हो।

अभिसरण (कनवरजेंस)- 14वें वित्त आयोग अंतर्गत प्राप्त राशि से तत्समय लागू नियम निर्देशों के अधीन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना सहित अन्य अनुमत्य योजनाओं जैसे- स्वच्छ भारत मिशन आदि के अंतर्गत प्राप्त होने वाली राशि के साथ अभिसरण किया जा सकेगा।

तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति- तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृतियाँ ग्राम पंचायत विकास योजना का भाग होंगी। ग्राम सभा द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना के निर्माण संबंधी भाग को तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकारी को प्रेषित किया जावेगा।

तकनीकी स्वीकृति

- सर्वप्रथम संबंधित ग्राम पंचायत के उपयंत्री द्वारा स्थल का भ्रमण कर ग्राम सभा द्वारा चिन्हित कार्यों के प्राक्कलन तैयार किये जावेंगे। प्राक्कलन तैयार कर तकनीकी स्वीकृति जारी करने वाले सक्षम अधिकारी को प्रेषित किये जावेंगे।
- एक से अधिक योजनाओं एवं मदों में होने वाले कार्यों के प्राक्कलन में कार्य में उपयोग होने वाली समस्त निधियों को योजनावार पृथक-पृथक दर्शाया जाना होगा।
- पंच-परमेश्वर योजना अंतर्गत तकनीकी स्वीकृति जारी करने के संबंध में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देश पूर्ववत प्रभावी रहेंगे।
- अन्य योजनाओं के साथ समावेशन की स्थिति में तकनीकी स्वीकृति हेतु वर्तमान में प्रभावी दिशा निर्देश ही प्रभावी रहेंगे।

प्रशासनिक स्वीकृति

- पंच-परमेश्वर योजना अंतर्गत प्रशासनिक स्वीकृति जारी करने के संबंध में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देश पूर्ववत प्रभावी रहेंगे।
- अन्य योजनाओं के साथ समावेशन की स्थिति में तकनीकी स्वीकृति हेतु वर्तमान में प्रभावी दिशा निर्देश ही प्रभावी रहेंगे।

कार्य एजेंसी - मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पत्र क्रमांक-एफ2-5/2013/22/प.1 भोपाल, दिनांक 26 फरवरी, 2013 अनुसार राशि 15 लाख तक के कार्यों को संपादित करने के लिये ग्राम पंचायतें सक्षम होंगी। इससे अधिक के कार्य ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी आदि कार्य एजेंसी द्वारा संपादित किये जायेंगे।

पर्यवेक्षण, मूल्यांकन एवं सत्यापन

- प्रत्येक निर्माण कार्य की प्रविष्टि कार्य स्वीकृति के साथ ही पंचायत दर्पण पोर्टल पर की जाना अनिवार्य होगी।
- प्रत्येक निर्माण कार्य के प्रारंभ के समय, प्रत्येक मूल्यांकन के समय तथा कार्य पूर्ण होने के पश्चात जियोटेग फोटो लेकर पंचायत दर्पण पोर्टल पर उस कार्य के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।
- संबंधित ग्राम पंचायत के पंचायत समन्वय अधिकारी, खण्ड पंचायत अधिकारी तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत द्वारा कार्यों का निरंतर पर्यवेक्षण किया जावेगा।
- प्रत्येक निर्माण कार्य का मूल्यांकन संबंधित उपयंत्री द्वारा प्राक्कलन में किये गये प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में स्थल पर संपादित हुये कार्य का भौतिक निरीक्षण कर समय-समय किया जावेगा।
- प्रत्येक कार्य को माप पुस्तिका में दर्ज करना होगा। माप पुस्तिका की स्केन प्रति पंचायत दर्पण पोर्टल पर कार्य के साथ अपलोड करना होगी।

- प्रत्येक कार्य का सत्यापन सहायक यंत्री या अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा किया जावेगा।
- कार्यों के मूल्यांकन एवं सत्यापन के संबंध में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा समय समय पर जारी निर्देश पूर्ववत प्रभावी रहेंगे।

गुणवत्ता नियंत्रण

- कार्य की गुणवत्ता के साथ किसी भी प्रकार की लापरवाही को मान्य नहीं किया जावेगा। स्तरहीन गुणवत्ता पाये जाने की स्थिति में कार्य एजेंसी के साथ-साथ तकनीकी पर्यवेक्षण करने वाले अधिकारी भी उत्तरदायी होंगे।
- पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा पंच-परमेश्वर योजना में सीमेंट-कांक्रीट निर्माण कार्य में गुणवत्ता नियंत्रण हेतु जारी समस्त निर्देश पूर्ववत प्रभावी रहेंगे।
- सीमेंट-कांक्रीट के अतिरिक्त अन्य ऐसे कार्य जिनके संबंध में पूर्व से निर्देश जारी हैं वह प्रभावी रहेंगे।
- अन्य कार्यों के संबंध में सुझावात्मक डिजाइन, ड्राइंग तथा गुणवत्ता हेतु मापदण्ड राज्य स्तर से तैयार कर जारी किये जावेंगे जिनका पालन अनिवार्य होगा।

लेखांकन एवं लेखा परीक्षण - ग्राम पंचायत स्तर पर प्राप्त समस्त राशियों का लेखांकन एवं उनका समय पर लेखा परीक्षण एक वैधानिक बाध्यता है जिसका पालन अनिवार्य होगा। ग्राम पंचायतों को प्रचलित लेखा नियमों के अनुसार अपने समस्त अभिलेख संधारित करने होंगे तथा पंचायत दर्पण पोर्टल पर भी अद्यतन करने होंगे।

ग्राम पंचायत के समस्त लेखों का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के तकनीकी मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण में, स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा तथा चार्टर्ड एकाउंटेंट के द्वारा समय-समय पर अंकेक्षण एवं लेखा परीक्षण किया जावेगा। प्रदेश में प्रत्येक संभागवार नियुक्त चार्टर्ड एकाउंटेंट मासिक एवं वार्षिक अंकेक्षण संपादित करेंगे। ऑडिट दलों को समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच एवं सचिव का होगा।

लेखा परीक्षण दलों द्वारा चिन्हित की गयी आपत्तियों का दी गयी समय सीमा में निराकरण कर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करना सरपंच एवं सचिव का दायित्व होगा।

समस्त कार्यों एवं अभिलेखों का पूर्व निर्धारित प्रक्रिया अनुसार सामाजिक अंकेक्षण किया जावेगा।

आयोग ने यह भी सिफारिश की है कि "यदि निधियों के अनुप्रयोग में किसी प्रकार की गड़बड़ी पाई जाती है तब कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित जानी चाहिए।" अर्थात प्रदाय की गयी राशि के उपयोग में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को शासकीय धन के गबन के रूप में देखा जाकर वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

मासिक प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र - ग्राम पंचायतों द्वारा प्रति माह निर्धारित प्रपत्र में जनपद पंचायत के माध्यम से राज्य स्तर पर प्राप्त राशि के विरुद्ध किये गये व्यय तथा निर्मित परिसंपत्तियों की जानकारी का मासिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होगा। इसी प्रकार प्राप्त राशियों का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा।

यह मासिक प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र पंचायत दर्पण पोर्टल के माध्यम से भी प्राप्त किया जाएगा। 14वें वित्त आयोग द्वारा जारी राशि के विरुद्ध किए जाने वाले प्रत्येक कार्य को पंचायत दर्पण पोर्टल पर दर्ज किया जाकर समस्त भुगतान भी ई-भुगतान आदेश (EPO) प्रक्रिया के माध्यम से किये जायेंगे।

(बृजेश कुमार)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

राज्य वित्त आयोग से प्राप्त राशि का जिला और जनपद पंचायतों में वितरण

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मध्यप्रदेश द्वारा पूर्व में जारी एक आदेश को संशोधित करते हुए अब जिला पंचायतों को विकास कार्यों के लिए 2 करोड़ रुपये दिए जायेंगे वहीं जनपद पंचायतों को एक करोड़ रुपये दिए जायेंगे। राज्य शासन द्वारा इस आदेश को मध्यप्रदेश पंचायिका में यथावत प्रकाशित किया जा रहा है।

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक एफ 2-2/2015/22/पं.-1 **भोपाल, दिनांक 11.3.2016**

प्रति,

1. कलेक्टर जिला (समस्त) मध्यप्रदेश।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत (समस्त) मध्यप्रदेश।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत (समस्त) मध्यप्रदेश।

विषय - राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा अंतर्गत प्राप्त राशि का जिला/जनपद पंचायतों के मध्य वितरण बाबत।

उपरोक्त विषयक इस विभाग के पत्र क्रमांक एफ 2-2/2015/22/पं.-1 दिनांक 20.10.2015 में जिला पंचायतों को 25 लाख एवं इससे अधिक के कार्य करने तथा जनपद पंचायत को 15.00 लाख रुपये से अधिक के कार्य करने के प्रावधान को निरस्त करते हुये, निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

1. प्रदेश के प्रत्येक जिला पंचायतों को राशि रुपये 02 करोड़ प्रदाय की जावेगी तथा यह राशि जिला पंचायत के समस्त निर्वाचित सदस्यों को समानुपातिक रूप से व्यय हेतु वितरित की जावेगी।

2. प्रदेश के प्रत्येक जनपद पंचायतों को राशि रुपये 01 करोड़ प्रदाय की जावेगी तथा यह राशि जनपद पंचायत के समस्त निर्वाचित सदस्यों को समानुपातिक रूप से व्यय हेतु वितरित की जावेगी।

उपलब्ध कराई जा रही राशि का पृथक से जिला पंचायत, जनपद पंचायत स्तर पर व्यय का हिसाब रखा जावेगा, एवं कार्यों की प्रति का मासिक पत्रक, कराये गये कार्यों का प्रतिवेदन आयुक्त, पंचायत राज को भेजा जाना सुनिश्चित किया जावेगा।

(शोभा निकुंम)
अवर सचिव
म.प्र. शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत किचिनशेड का निर्माण

राज्य शासन द्वारा संचालित मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के तहत सभी शालाओं में भोजन निर्माण के लिए किचिनशेड एवं डायनिंग हाल का निर्माण कराया जाना जरूरी है। कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसी शालायें जिनमें किचिनशेड निर्मित नहीं हैं, उन शालाओं में किचिनशेड का निर्माण 14वें वित्त आयोग द्वारा प्रदाय की गई राशि से किया जाना है। राज्य शासन द्वारा इस संबंध में जारी आदेश को मध्यप्रदेश पंचायिका में यथावत प्रकाशित किया गया है।

मध्याह्न भोजन योजना
Mid Day Meal Scheme

मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम परिषद्
(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, म.प्र. शासन के अंतर्गत गठित संस्था)
विकास आयुक्त कार्यालय, विन्ध्याचल भवन, बी विंग, द्वितीय तल, भोपाल
फोन नं. 0755-2570259, फैक्स नं. 0755-2552889 ई-मेल : mpmdm@rediffmail.com

क्रमांक 3510/22/वि-9/एमडीएम/2016 **भोपाल, दिनांक 18.03.2016**

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत - समस्त।

विषय - एमडीएम अंतर्गत किचिनशेड कम स्टोर रूम/डायनिंग हॉल निर्माण के संबंध में।

संदर्भ - सचिव, म.प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का पत्र क्र. 335/475/2016/22/पं-1 भोपाल, दिनांक 04.03.2016।

विभाग का संदर्भित पत्र जो कि सीधे आपको भी सम्बोधित है, का अवलोकन करें, जिसके द्वारा 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त राशि के उपयोग के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। इसके अनुसार लिए जाने वाले कार्यों की सूची में क्र. 1.12 पर किचिनशेड एवं डाइनिंग हॉल निर्माण के कार्यों को भी अनुमति दी गई है। इसी तरह निर्देश की कण्डिका क्र. 2.3 में शासकीय भवनों में स्वच्छ पेयजल व्यवस्था के कार्यों का उल्लेख है।

उक्त निर्देश के परिप्रेक्ष्य में कृपया आप सुनिश्चित करें कि ऐसी सभी मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम अंतर्गत लक्षित शालाएँ, जिनमें किचिनशेड निर्मित नहीं है, उनमें 14वें वित्त आयोग की राशि से किचिनशेड का निर्माण सर्वोच्च प्राथमिकता पर किया जावे, ताकि मध्यान्ह भोजन का क्रियान्वयन सुगमता से हो सके। कुछ जिलों में (जैसे - भिण्ड-451, छतरपुर-254, देवास-254, धार-382, गुना-323, मण्डला-512, पन्ना-479, राजगढ़-582, सतना-755, सीहोर-355, शहडोल-298, उमरिया-278, विदिशा-534, आगर-948) आज भी बड़ी संख्या में किचिनशेड भवन कार्य नहीं हुए हैं, उनमें विशेष अभियान चलाकर यह कार्य किया जा सकता है।

एमडीएम अंतर्गत प्राप्त होने वाले बजट में अधोसंरचना के रूप में मात्र किचिनशेड के निर्माण का ही प्रावधान है, कई जिलों जैसे- हरदा, ग्वालियर आदि में पंच-परमेश्वर व अन्य योजनाओं के कन्वर्जेंस से अच्छे व उपयोगी डाइनिंग हॉल का निर्माण किया गया है। अतः आप सुनिश्चित करें कि 14वें वित्त आयोग की राशि से प्रथम चरण में प्रत्येक विकासखण्ड की अधिक छात्र संख्या वाली तथा एक ही परिसर में प्राथमिक, माध्यमिक शाला संचालित होने वाली ग्राम पंचायत में प्रत्येक विकासखण्ड में कम से कम 05 डाइनिंग हॉल का निर्माण भी यथा संभव किया जावे।

एमडीएम के दिशा-निर्देशानुसार लक्षित छात्रों को प्रत्येक शैक्षणिक दिवस में गर्म, पका हुआ, रुचिकर, पौष्टिक एवं स्वच्छ भोजन प्रदाय किया जाना है, चूंकि स्वच्छ पेयजल के अभाव में यह संभव नहीं है। अतः उक्त परिपत्र की कण्डिका-2.3 के प्रावधान अनुसार जिन शालाओं में पेयजल व्यवस्था नहीं है, उनमें 14वें वित्त आयोग की राशि से स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था भी आगामी 02 माह में यथा संभव कर ली जावे।

उक्तानुसार की गई कार्यवाही से 02 माह उपरांत अवगत करावें।

(विभाष कुमार ठाकुर)
राज्य समन्वयक
मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम परिषद

मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम में स्वच्छता की सतत् मॉनिटरिंग

मध्यप्रदेश में प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम द्वारा विद्यार्थियों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाता है। पौष्टिक भोजन के साथ-साथ जरूरी है कि भोजन साफ और स्वच्छ हो। ग्रामीण क्षेत्रों में इस कार्यक्रम का संचालन और मॉनिटरिंग स्व-सहायता समूहों के माध्यम से की जा रही है। मध्यान्ह भोजन के लिए भोजन सामग्री और किचिनशेड में साफ-सफाई हो साथ ही बच्चे भी भोजन करने से पहले अनिवार्य रूप से हाथ धोयें इसकी सतत् मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए। राज्य शासन द्वारा इस संबंध में जारी आदेश को मध्यप्रदेश पंचायिका में यथावत प्रकाशित किया गया है।

मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम परिषद्
(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, म.प्र. शासन के अंतर्गत गठित संस्था)
विकास आयुक्त कार्यालय, विन्ध्याचल भवन, बी विंग, द्वितीय तल, भोपाल
फोन नं. 0755-2570259, फैक्स नं. 0755-2552889 ई-मेल : mpmdm@rediffmail.com

क्रमांक 3333/22/वि-9/एमडीएम/2016 **भोपाल, दिनांक 15.03.2016**

प्रति,

1. कलेक्टर, जिला, समस्त
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत, समस्त

विषय - मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम अंतर्गत भोजन दूषित होने की घटनाओं को रोकने हेतु आवश्यक सतर्कता बरतने के संबंध में।

मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम प्रदेश की लगभग 1 लाख 15 हजार से अधिक प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं में संचालित है तथा प्रतिदिन बच्चों को निर्धारित मीनू के अनुसार गर्म पका रुचिकर व स्वादिष्ट दोपहर का भोजन प्रदाय किया जाता है। ग्रामीम क्षेत्रों में कार्यक्रम का संचालन मुख्यतः स्व सहायता समूहों के माध्यम से हो रहा है। मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के प्रत्येक चरण में साफ-सफाई की पर्याप्त व्यवस्था जैसे मिश्रण सामग्री हेतु तेल मसाले, नमक, डिब्बे बंद एवं एगमार्क ब्रांड के उपयोग करना, खाना पकाने व खाने के बर्तनों की अच्छी तरह से साफ-सफाई करना, खाना बनाने में स्वच्छ पानी का उपयोग करना, बच्चों को जिस स्थान पर भोजन वितरित किया जा रहा है वह साफ-सुथरा रखा जाना आदि संबंधी विस्तृत निर्देश समय-समय पर प्रसारित किये जाते हैं।

भोजन तैयार होने के उपरांत भी इसकी बहुआयामी मॉनीटरिंग का प्रावधान है। विशेष रूप से बच्चों को भोजन वितरित करने के पूर्व माताओं के निरीक्षण रोस्टर, अन्त्योदय कार्ड धारी वरिष्ठ नागरिकों, प्रधान अध्यापक द्वारा भोजन को चखे जाने की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त विभिन्न स्तर के अधिकारियों के लिए मासिक निरीक्षण का कोटा भी पृथक-पृथक निर्धारित है। बच्चों को खाना खाने के पूर्व साबून से हाथ धोना अनिवार्य है, इसी तरह रसोईयों द्वारा भी साबुन से हाथ धोने के बाद ही खाना बनाने का कार्य करना है। किचिन शेड में मच्छर, मक्खी के प्रवेश को रोकने के लिए दरवाजे व खिड़कियों में जाली लगवाने के भी निर्देश दिये गये हैं। उपर्युक्त तथा साफ-सफाई संबंधी अन्य किन्हीं भी निर्देशों में जरा सी चूक होने पर कई बार भोजन के दूषित हो जाने से बच्चों के बीमार होने की घटनायें सामने आती रहती हैं। पिछली 26 जनवरी, 2016 को प्राथमिक/माध्यमिक शाला, चौहटा, विकासखण्ड भीमपुर जिला बैतूल में 'विशेष भोज' के दौरान 40 बच्चे उल्टी और दस्त की शिकायत के बाद बीमार हो गये, जिन्हें तत्काल जिला चिकित्सालय, बैतूल में उपचार के लिए भेजा गया।

कलेक्टर द्वारा इस घटना की जांच की रिपोर्ट मुख्यालय भेजी गयी, जांच रिपोर्ट से स्पष्ट हुआ है कि मध्यान्ह भोजन में किसी तरह की गड़बड़ी या उसका दूषित होना नहीं पाया गया बच्चों के बीमार होने का मुख्य कारण जांच रिपोर्ट में यह बताया गया कि संबंधित छात्र आयोजित कार्यक्रम में तेज धूप में लगभग 4-5 घंटे खाली पेट बैठे रहे तथा कार्यक्रम स्थल पर पीने के पानी की भी उचित व्यवस्था नहीं की गयी थी, जिससे उपर्युक्त घटना हुई। अतः इस घटना से सबक लेते हुए कृपया सुनिश्चित करें कि आपके जिले में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो तथा इस तरह के कार्यक्रमों के दौरान निम्नानुसार बातों का विशेष ध्यान रखा जाये -

1. छोटे बच्चों को अधिक समय तक धूप में न बिठाया जाये। 2. अत्यंत आवश्यक होने पर पर्याप्त व समुचित छाया की व्यवस्था बच्चों के लिए की जाये। 3. मध्यान्ह भोजन का वितरण बच्चों को समय पर किया जाये। 4. पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था रखी जाये। 5. बच्चों को स्वयं भी अपने साथ पीने के पानी की बाटल लाये जाने के लिए अवगत कराया जाये। 6. स्थल पर फर्स्टएड बाक्स की व्यवस्था हो, प्रशिक्षित मेडीकल स्टॉफ उपस्थित रहे। उपर्युक्त निर्देश प्रत्येक स्तर पर अनिवार्य रूप से प्रसारित किये जायें।

(अल्का उपाध्याय)
प्रमुख सचिव, विकास आयुक्त कार्यालय म.प्र.